

जर्मनी का विकास

पहला भाग

संग्रह

दयंकुमार चर्मा

१९१८

भौद्धीनारायण प्रेस, बनारस में छुट्रिन।

मृत्यु ।

परिचय।

वर्तमान यूरोपीय महायुद्ध के कारण सारे समाज और जर्मनी की ओर लगी हुई हैं। उसने युद्ध के अस्तावे में उत्तर कर सारे समाज को युद्ध के लिये निमित्तिका किया है। समाज के जितने विशाल राष्ट्र हैं वे तो एक और हैं और अकेला जर्मनी एक और। जर्मनी के दो एक साथी हैं, दो भी सब उसी के बल पर कूदते हैं। अतएव बहुत से लोग जर्मन राष्ट्र के समर्थन और उनकी उन्नति का इतिहास जानने की इच्छा रखते हैं। इसी कारण इस पुस्तक में प्राय वेही वार्ता गई हैं जिनसे जर्मनी के विकास का पता चले। इस पुस्तक का मुख्य विषय तो जर्मनी के व्यवसाय वाणिज्य का विकास है। पुस्तक का बहुत बड़ा भाग इसी विषय ते देर लिया है। पचास वर्ष, में जर्मनी ने अपना किस प्रकार रूपात्तर कर लिया और अपने व्यवसाय वाणिज्य से समाज को किस प्रकार चाकित और स्वभित कर दिया, ये सब वातें, इस पुस्तक में सब अच्छी तरह समझाई गई हैं। परन्तु वाणिज्य व्यवसाय के सामने उसने कृषि, शिक्षा, समाज आदि की उन्नति की ओर ध्यान न दिया हो, यह बात नहीं है। जर्मनों ने अपनी उन्नति की सब वातों पर समान ध्यान रखता। जर्मनी का यह रूपात्तर और सास, कर सापत्ति रूपात्तर, किस प्रकार होता गया, यह बात इस

पुस्तक को पढ़ने से पाठकों के ध्यान में अवश्य आ जानी चाहिए। व्यापार में यश प्राप्त करने के लिये जर्मनी ने कितने प्रयत्न किए और किस परिश्रम और उत्साह से उसने अपना कार्य संपादन किया, वे सब बातें पाठकों को इस पुस्तक में मिलेंगी। जर्मनी ने जो औद्योगिक उन्नति की, उसका रहस्य समझने में इस पुस्तक से सहायता मिलेगी। जर्मनी का विकास किसी गुप्त मार्ग से हुआ हो, यह बात नहीं है। उसने निस मार्ग और जिन उपायों का अवलम्बन किया, वे मार्ग और उपाय सब के लिये खुले हुए हैं। जो चाहे वह उन्हीं प्रहण कर सकता है। संसार के बाजार में जो अप्रस्थान जर्मनी ने प्राप्त किया है उसका कारण शास्त्र, शिक्षा और दीर्घ उद्योगों के सिवाय और कुछ नहीं है। जिन राष्ट्रों ने इन बातों की ओर दुर्लक्ष्य किया उन्हींको यह अलभ्य ढाभ प्राप्त नहीं हुआ। छोटे बड़े सब कामों की ओर बराबर ध्यान रखने से ही कार्यसिद्धि होती है। यह मन जर्मन लोगों से सीखने चाहिए।

हमारा देश व्यवसाय बाणिज्य में बहुत पीछे है। शिक्षा का प्रचार भी यहां उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। केलाकौशल में भी हम लोग बहुत गिरे हुए हैं पर इन सब बातों को प्राप्त करलेना कुछ कठिन नहीं है, यदि हम उचित मार्ग को झूँढ़कर उसपर बराबर प्रयत्न करते आगे बढ़ते जाएं। जर्मन लोगों को तो सारे प्रयत्न स्वतं करने पड़े थे और हमें तो सहायता देने के लिये स्वयं त्रिटिश सरकार और भारत की देशी रियासतें हैं जहां पर यह प्रयत्न बराबर जारी है कि

जिस तरह ही सके देश के वाणिज्य व्यवसाय और कला कौशल को बढ़ाया जाय।

यह पुस्तक मिंड डब्ल्यू हरवर्ट डासन की अंगरेजी पुस्तक "The Evolution of modern Germany" का हिंदी अनु वाद है। विषय गहन और नया होने पर भी इस बात का प्रयत्न किया गया है कि भाषा ऐसी हो, जिससे विषय के समझने में पाठकों को कुछ अधिक कठिनता न पड़े। मिंड डासन महोदय ने इस पुस्तक को इसी उद्देश्य से लिखा है कि "अपेज लोग उन बातों को जान ले जिनसे जर्मनी ने अपनी थोड़े समय में ही उन्नति कर ली है"। मिंड डासन ने इस पुस्तक में स्थान-रेथान पर इग्लैंड के व्यापार, समाचार-पत्रों, राजनीतिक विचारों, कला-कौशल सबधी साधनों, रेलवे, नहरों आदि की अच्छी तुलना की है जिससे पाठक यह जान सकेंगे कि अगरेज लेखक अपने देश की उन्नति के लिये किस प्रकार का सहित्य प्रस्तुत करके अपने पाठकों के हाथ में देने का प्रयत्न करते हैं। मूँछ पुस्तक मिंड डासन के कई वर्ष के परिश्रम का फल है। उन्होंने बहुत योज और छानबीन के पश्चात् उपर्युक्त सामग्री एकत्रित करके, यह उपयोगी प्रथ, चलानी अगरेजों के सामने रखा और इस पुस्तक को दिखाने का उद्देश्य भी उन्होंने मूँछ पुस्तक की भूमिका में यही बताया है कि "अगरेज लोग जर्मनी के विकास का रहस्य जान कर अपने देश को वर्तमान अवस्था से अधिक उन्नतिशाली बनाने का प्रयत्न करें"।

यह पुस्तक पहले पहल सन् १९०८ में प्रकाशित हुई थी।

जर्मनी का विकास ।

फहला भाग ।

—७६—

पहला अध्याय ।

नवीन विचारों का उदय ।

मृत पचास वर्ष पहले की, यदि जर्मनी की दशा की ओर ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट प्रगट होगा कि उस देश के मनुष्यों के मन की गति विलकुल सकुचित थी, अर्थात् अपने देश, अपनी भाषा, अपने आचार विचार, अपना धर्म और अपने तत्त्वज्ञान के चिंतन में वे लीन हो रहे थे। “स्व”, अर्थात् ‘आप या अपना’ इसके सिवाय अन्य विषयों की ओर उनका ध्यान ही न था। परंतु गत पचास वर्ष से ही उनकी स्थिति विलकुल बदल गई है। अपने देश के अतिरिक्त और जो पृथ्वी का भाग है, उस भाग में प्रवेश करके, अपने देश का व्यापार बढ़ाना और अपने देश को सम्पत्तिशाली बनाना चाहिए, इतना ही नहीं, बरत इस साधन की सहायता से, अपना राजकीय महत्व भी अन्य देशों में स्थापित किया जाय, इस प्रकार की भावना उत्पन्न,

होने से और उसके अनुरोध से इनके लिये उनका प्रयत्न बराबर जारी है। प्राचीन संकृति विचारों को त्याग कर अब नए उदार विचारों का उनमें संचार हुआ है। सारे संसार में अपना नाम हो, संसार के बहुत बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व हो, विद्या के प्रभाव से जाना प्रकार के यत्रादिक निर्माण करके, नए नए शास्त्रीय शोध लगा कर, अपना देश सुसंपन्न हो, यह बात हर एक जर्मन के मन में समाई हुई है।

इस विचारक्राति का कारण यदि तलाश किया जाय, तो सौ वर्ष पहले पैदा हुए कॉट, फिस्टे, गेटी, और शिल्डर नाम के चार प्रथकार समुख आकर उपस्थित हो जाते हैं। इन चारों ग्रथकारों ने अपने अपने ढग पर अपनी लेखनी के प्रभाव से, जर्मन लोगों में नवीन चैतन्यता उत्पन्न कर दी है। नेपोलियन के सब्र प्रताप के कारण, जर्मन लोग, निस्तेज होकर विलक्ष्य असमर्थ हो गए थे यह बात सच है, परंतु उनकी निस्तेजता को दूर करके, उनमें नवीन भावों और वीरश्री उत्पन्न करने का श्रेय, यदि किसी को दिया जा सकता है तो, इन्हीं चारों प्रथकारों को दिया जा सकता है। अपने दश के अभ्युदयार्थ हर एक मनुष्य को आत्मयज्ञ करना ही चाहिए, इन प्रथकारों का यह तत्त्व जब जर्मन लोगों के मन पर जमा, तब नेपोलियन द्वारा बैठाया हुआ मत शनै शनै कम होने लगा और लोगों में शौर्य की नवीन लहरें हिलोरें मारने लगीं, और थोड़े दिनों के पश्चात ही उन्हें जो युद्ध करने पड़े उनमें उन्हें यश प्राप्त हुआ। उपरोक्त प्रथकारों ने यह एक ही काम नहीं किया, शौर्य के साथ साथ विद्या की रुचि की ओर भी लोगों

को लगाया । यह विद्या की रुचि धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ती गई कि जर्मनी विद्या की जननी कहलाई जाने लगी । अतएव यदि सौ वर्ष पहले की जर्मनी का, आज कल की जर्मनी से मुकाबला किया जाय तो प्रगट होगा कि वहाँ विलक्षुल नया युग आकर उपस्थित हो गया है । उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध का यदि आप इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि काल्पनिक जगत् में, वे लोग विचरण करते थे और अध्यात्म विचारों में ही छीन रहते थे । परतु उच्चरार्द्ध का इतिहास अब लोकन करने से एक नवीन भाव दृष्टिगोचर होगा । काल्पनिक जगत् का नाश होकर उसका स्थान ईश्वर-निर्मित दृश्य जगत् ने अब अपने अधिकार में कर लिया है । मनुष्य जाति के सुख के लिये परमेश्वर द्वारा निर्माण की हुई, सार वस्तु क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, इसका शोध करने की ओर अब विचारों का स्रोत वह निकला है । इन विचारों को शीघ्र ही परिपक्ता का स्वरूप प्राप्त होकर आधिमौतिक सम्पत्ति में, अग्र पूजा का मान, जर्मनी को प्राप्त हुआ । सौ वर्ष पहले जर्मन लोगों ने भावनाधीन होकर कल्पना जगत् में भी बहुत घड़ा वैभव सम्पादन किया था परतु इससे उन्हें आर्थिक लाभ निलकुल न हुआ । अब तो आर्थिक लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है और जो सृष्टि अपनी आँखों के सामने है, उस सृष्टि पर-काल्पनिक जगत् पर नहीं—प्राप्त किया हुआ ध्येय उन्होंने अपनी आँखों के सामने रक्खा है ।

‘सौ वर्ष पहले जर्मन लोगों की स्थिति कैसी थी, इसका बर्णन एक जर्मन प्रथकार ने इस प्रकार किया है—“पूर्व

समय में जर्मन लोग ग्रीव और दुष्कर्ता थे । संसार के और लोग उनका विरक्ति करते थे और समय पढ़ने पर उन्हें छूट लेते थे । लोग उनके साथ गुडामों के समान वर्ताव करते थे । उनके खेतों में पैठ कर माल को जमर्दस्ती छीन लाते और यदि मौष्ण पढ़ जाय तो उन्हें मार भी डालते थे । आत्मसरक्षणार्थ वे शत्रु से लड़ते झगड़ते भी थे, परतु लोग अपने साथ ऐसा वर्ताव क्यों करते हैं, इसका कारण जानने का वे कभी उद्योग नहीं करते थे । संसार की सपत्ति अन्य राष्ट्र आपस में बाँट लेते हैं और जर्मन लोगों को पूछते भी नहीं हैं, ऐसा क्यों होता है, यह विधार ही उनके मन में कभी नहीं आया । पेट पालनार्थ जितना उद्योग करना आवश्यक है, उतना करने के पश्चात वाक्ती का समय, अपने घर में शातिपूर्वक बैठ कर प्राचीन ग्रथकारों, कवियों और तत्त्वज्ञानीओं के ग्रथ पढ़ने में, वे व्यतीत करते थे । उन्हीं के साथ आनदपूर्वक विचरण करना, अथवा दुखाकुल होकर रोना, वस यही उनकी दिनचर्या थी । तत्त्वज्ञान में मग्न होकर वे अपने शरीर की सुध भी भुला देते थे । मनोराज्य में एक बार जहाँ उन्होंने प्रवेश किया फिर उन्हें अपने सामने संसार में क्या हो रहा है, इसकी चिंता नहीं रहती थी” । इस प्रकार लिख कर फिर वही ग्रथकार लिखता है—“परतु अब यह दशा बिलकुल बदल गई है । निरुपयोगी तत्त्वज्ञान को हमने एक किनारे उठा कर रख दिया है । छोटी उमर में हम अपना समय अवश्य नष्ट होने देते हैं, यह सच है, परंतु वहे होते ही हमें अपना हानि लाभ तुरत् सूझने लगता

है। अब हम नवीन उद्योग में लग गए हैं। चाहे जितनी कठिनाइया थी वह में आकर पड़े, हम उनकी कुछ परवाह न करते हुए अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायगे, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय हो गया है।”

जर्मन लोग स्वभावत बड़े उत्साही, उद्योगप्रिय और बुद्धिमान होते हैं। ससार के अन्य भागों में अधिभौतिक सुधार का कार्य जिस शीघ्रता से हो रहा है, उसके सामने वे पीछे रह जायगे, यह सम्भव नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम से ही, कल्पना जगत् के बाहर निकल कर, बाहा जगत् की ओर अधिक ध्यान देने का अकुर, उनके हृदय में उत्पन्न होने के चिह्न स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे थे। अभी इन अकुरों को फूटे हुए बहुत वर्ष नहीं हुए हैं तौ भी आज कल जो कुछ देख रहे हैं उस पर से कह सकते हैं कि इतना विस्तृत वृक्ष खड़ा हो जायगा, इसकी कल्पना भी उस समय किसी को न थी। सन् १८७०ई० में जर्मनी ने प्राप्त पर चढ़ाई कर के विजय प्राप्त की थी। यही विजय, उनके अभ्युदय का कारणीभूत हुई। नए नए शास्त्रीय शोध करके व्यापार में अपना एक एक पैर आगे बढ़ाने का आरम उसी समय से उन्होंने किया। आज कल, सारे ससार में, उनका व्यापार इतना बड़ा हुआ है कि उसे देख कर कोई भी मनुष्य घकित हुए बिना न रहेगा। ‘जिसके हाथ में व्यापार उसी के घर में सपत्ति,’ इस सिद्धान्त के अनुसार जर्मन राष्ट्र अब बहुत अधिक सपत्तिशाली हो गया है। कई इतिहासकारों का मत है कि यदि सन् १८७० का युद्ध न होता तो जर्मनी

की जो स्थिति आज कल है वह आने में उसे और अनेक वर्षों तक राह देखनी पड़ती ।

इस युद्ध में जर्मनी के अधिकार में बहुत सा देश आ गया । जीते हुए राष्ट्र से लड़ाई के खर्चों की बहुत बड़ी रकम भी मिली । इस युद्ध में जर्मनी को यह साम्पत्तिक लाभ तो हुआ ही परन्तु साथ ही जर्मन लोगों के विचारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और इस विचार-परिवर्तन से चन्हें जो लाभ हुआ वह साम्पत्तिक लाभ की अपेक्षा हजारों गुना अधिक था ।

इस विचारक्रान्ति के कारण, औद्योगिक विषयों में जर्मनी का सुधार कैसे हुआ, परदेश से व्यापार करने में किस प्रकार उसे यश प्राप्त हुआ, इन बातों का विचार करने की यहाँ जरूरत नहीं है, आगे चल कर प्रसगानुसार इन बातों पर विचार किया जायगा । यहाँ पर केवल जर्मन लोगों का वर्ताव, व्यवहार और उनका नवीन स्वरूप किस प्रकार का है, इसी का परिचय करा देना आवश्य जान पड़ता है ।

जर्मन विद्यार्थियों को जो शिक्षा आज कल दी जाती है वह इन चिह्नों में से एक चिह्न है । जिस शिक्षा की सहायता से, विद्यार्थियों के मन में, भौतिक विषयों की आसक्ति उत्पन्न होती है, उस प्रकार की शिक्षा पाठशालाओं और कालेजों में दिए जाने की ओर जर्मनों का लक्ष्य है । हमारे कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसी शिक्षा देने का कार्य जर्मनी ने ही आरम्भ किया, अन्य राष्ट्रों को ऐसी शिक्षा पहले नहीं मिलती थी और न अब मिलती है, शिक्षा की यह प्रवृत्ति

थोड़ी वहूत अब सर्वत्र है। परतु आज कल जर्मनी में वह जिस तरह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है वैसी वह और कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, हमारे कथन का केवल इतना ही मतलब है। नवीन शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के पश्चात् पहला हमला जो वहाँ हुआ वह जिमनेशिया (Gymnasia) नाम में प्रसिद्ध माध्यम शिक्षा देनेवाली पाठशालाओं पर हुआ। इस प्रकार की पाठशालाओं को जो उत्तेजना मिलती थी वह कम की जाकर नवीन पद्धति की पाठशालाएँ स्थापित की गई और उनकी सर्वया दिनों दिन बढ़ने लगी। परतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रशिया की माध्यमिक श्रेणी की पाठशालाओं में आज कल जितनी अप्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाती है उतनी शिक्षा पहले कभी नहीं मिलती थी। परतु अप्रेजी भाषा अच्छी है अथवा उसका साहित्य ऊँचे दर्जे का है, ये भाव उत्पन्न होकर प्रशियन लोगों के मन में अप्रेजी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ हो, यह बात नहीं है। जर्मन गवरमेंट ने फ्रैंच भाषा के बजाय अप्रेजी भाषा सिखाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और उस अप्रेजी भाषा के गौरव बढ़ाने योग्य शब्द मौजूद हैं, यह ठीक है, परतु वास्तव में वह है शब्दप्रपञ्च ही। उसमें प्रेम का लेशमात्र नहीं है, यह बात कभी सुलानी नहीं चाहिए। व्यापारी लोगों को अप्रेजी भाषा की जरूरत है। ससार के किसी देश में जाइए, यदि आप को अप्रेजी भाषा आती है तो व्यापार में आप को कहीं भी कठिनाई न पड़ेगी। व्यावहारिक दृष्टि से यह घड़ी आसानी है और इसी आसानी की ओर ध्यान देकर जर्मनी

ने अमेजी भाषा को स्वीकार किया है। यह स्वीकार करना, ग्रेम दृष्टि से नहीं, स्वार्थ दृष्टि से है। व्यवहारोपयोगी शास्त्रों की शिक्षा के लिये प्राशियन सरकार मुक्तदस्त होकर जितना चाहिए उतना धन प्रदान करती है। परतु तत्त्वज्ञान की शिक्षा देने को दो दाने भी मिलना कठिन होता है। इस विषय में एक ग्रथकार ने लिखा है—“सृष्टि विज्ञान तथा औपयोगिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान होने के कारण मानसशास्त्र और कला कौशल में, जर्मन लोगों का मन अधिक लगता है। आत्म ज्ञान संपादन करके आत्मसुख की इच्छा रखनेवाले लोग अब वहां बिरले ही सृष्टिगोचर होते हैं। उद्योग और व्यापार द्वारा ऐहिक सपत्ति प्राप्त करनेवाले लोग तो आप को अनेक दिखाई पड़ेंगे परंतु यह सृष्टि कब निर्माण हुई, इस सृष्टि में कौन कौन से गूढ़ तत्त्व भेरे हुए हैं, इसका निर्माता कौन है, सृष्टितत्त्व का सच्चा रहस्य क्या है, इन विषयों पर विचार करनेवाले लोग आप को शायद ही अब वहां कोई दिखाई पड़ें। यह कितने दुख की बात है।”

सरकारी नौकरी द्वारा जो सापत्तिक लाभ प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक लाभ व्यापार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यह बात जर्मन लोगों के ध्यान में पूरे तौर पर आ गई है, अतएव इसका परिणाम सरकारी बड़ी बड़ी नौकरियों से लेकर छोटी छोटी नौकरी तक पड़ा है। व्यापार की ओर लक्ष्य जाने के पहले सरकारी नौकरी ही अधिक लाभदायक दिखाई पड़ती थी और इस कारण बड़े बड़े सरकारी ओहदों के अफसर सर्व साधारण लोगों से अहकारपूर्वक वर्ताव करते थे। सर-

कारी अधिकारी होना ही वहा बड़े आदमी होने का चिह्न समझा जाता था । अतएव अधिकारी लोग रियाया को अपना प्रभुत्व बता कर तग करते थे । परतु व्यापार द्वारा सपत्ति प्राप्त करने का मार्ग खुल जाने से अब विना सरकारी नौकरी किए हुए ही लोग सपत्तिशाळी और धनाढ़ी हो रहे हैं अतएव अधिकारियों का गर्व भी कम हो गया है, और वे अब साधारण लोगों के साथ खुले दिल से वरावरी का वर्ताव करने लगे हैं । परतु सरकार में अपने काम के प्रति प्रतिष्ठा और मान पूर्ववत् बना हुआ है, नौकरी की यह मोहनी मूर्ति अब भी उनके सम्मुख बनी हुई है, इस कारण “ हमें सरकारी नौकरी दो ” ऐसी विनय करने का क्रम अब भी वहा बना हुआ है । परतु यह होते हुए भी अब यह भाव नहीं रहा कि जितने अच्छे मनुष्य हैं वे सब सरकारी नौकर ही हैं । सरकारी नौकरी के अलावा अन्य कहीं किसी काम को करनेवाले अच्छे आदमी नहीं हैं, यह स्थिति अब बदल गई है । यदि जर्मन देश की सभी बुद्धिमत्ता का पता चलाना हो तो भिन्न भिन्न कपनियों, कारखानों अथवा वैंकों में जाकर देखना चाहिए । इस चलट-फेर का कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो यह बात सहज ही आप के ध्यान में आ जायगी कि जितना धन नौकरी कर के बेतन द्वारा प्राप्त हो सकता है उससे कहीं अधिक धन व्यापार द्वारा कमाया जा सकता है । वस, इसी कारण सरकारी नौकरी की ओर से लोगों का ध्यान हट कर व्यापार की ओर जा लगा है । सरकार भी नौकरी के लिये अच्छे आदमियों की खोज में अधिक

यन और पदवी का प्रलोभन दिखाने लगी है; परतु इस प्रलोभन द्वारा उतनी अधिक मुट्ठी गरम नहीं हो सकती जितनी व्यापार द्वारा हो सकती है। जिन लोगों ने बड़े बड़े सरकारी ओहदों से इस्तीफा देकर व्यापार द्वारा पुष्कल घन उपार्जन किया, यदि उनका पता लगाया जाय तो बहुत से मनुष्य आप को मिल जावेंगे। जो लोग किसी बड़े सरकारी ओहदे पर पहले कार्य करते थे वे अब या तो किसी बड़े कारखाने के मेनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में दिखाई पड़ेंगे अथवा ट्रावे कपनी में काम करते दृष्टिगोचर होंगे या किसी बड़े लोहे के कारखाने के मेनेजर होंगे। ऐसे उदाहरण कहा तक दिए जावें। पाठक स्वयं इसकी कल्पना कर सकते हैं।

आजकल के अन्य देशों के साथ उपरा चढ़ी करने का जो भाव जर्मन लोगों में उत्पन्न हो गया है इसका मुख्य कारण अगरेज लोग यह समझते हैं कि उद्योग व्यवसाय करने वाले जर्मन व्यापारियों ने सारे ससार का व्यापार अपने हाथ में कर लिया है। परतु यदि इस बात को जरा ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि वे लोग व्यापार की ओर ही ध्यान नहीं रखते वरन् वे चारों ओर अपनी दृष्टि ढाला करते हैं और ऐसा करने में जर्मनी में प्रगट हुए नवीन तेज का प्रभाव अन्य ओर भी अनेक बातों पर पड़ कर उसके स्पष्ट चिह्न दिखाई पड़ने लगे हैं। शरीर में दृढ़ स्नायु होना ही सद्या पुरुषार्थ है, यह बात जर्मन लोग अच्छी तरह जान गए हैं। यह उन चिह्नों में से एक चिह्न है। गत-शताब्दी के उत्तरार्ध के आरम्भ में तीन युद्धों में प्रशिया ने विजय प्राप्त

की । यह उसी दृढ़ स्नायु-शारीरिक घल का प्रभाव है । राजकार्य सपादन करने के लिये शारीरिक सामर्थ्य की ओर विशेष ध्यान रखना स्वाभाविक बात है । गत पीढ़ी में जर्मन लोगों ने देश अथवा विदेश जहाँ कहीं राजकार्य किए, वे सब अपने शारीरिक घल के भरोसे पर ही किए । इन राजकार्यों का प्रवर्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्रिंस विस्मार्क था । “राजकीय प्रदन अर्थात् शक्ति का प्रश्न ” यह विस्मार्क का दृढ़ विश्वास था, और इसे नियम का वह अपने हृदय से प्रतिपादन करता था । युद्ध ही में उसन शक्ति का उपयोग नहीं किया वरन् अन्य बातों में भी वह शक्ति का उपयोग करता था । अमुक शाखा का अमुक सिद्धांत है, यह प्रतिपादन करने वाले मनुष्य की बातों को शातिपूर्वक सुन लेने की विस्मार्क में विलक्षण आदत न थी । किसी विषय का अपने मन से चिंतन न करनेवाला और उसमें मग्न रहनेवाला उसकी दृष्टि के सामने भी नहीं आता था । किसी काम को करने का मन में विचार आते ही उसे दृढ़तापूर्वक फर ढालना ही उसका स्वभाव था । वह यह नहीं देखता था कि इस बात का लोगों के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अपने बहुत दिनों के सोचे हुए विचारों का अपने द्वारा अनादर होगा अथवा क्या, इसकी परवाह उसने कभी नहीं की । इस प्रकार का दृढ़ निश्चय शारीरिक शक्ति की दूसरी प्रतिमा है, यह स्पष्ट है । प्रिंस विस्मार्क के इस कार्य का अनुमोदन करनेवाले और उसके मत का प्रतिपादन करनेवाले लोग जर्मनी में आज कल किसने ही हैं । उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी दूरदर्शिता भले ही

किसी में न हो तौ भी उसके मत का प्रतिपादन करने में लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। “हमारे राजनीतिज्ञों में यदि राजनीतिमत्ता की कमी हुई तो वे अपने शारीरिक बल से उस शक्ति को पूरा कर देंगे ” ऐसे उद्घार एक प्रसिद्ध जर्मन सेनापति ने अभी थोड़े ही दिन हुए, निकाले थे । सचे राजनैतिक कार्य में, जर्मन राजनीतिज्ञ इतनी सैनिक घमड़ की भाषा का व्यवहार नहीं करते हैं यह बात सच है, परन्तु इन दोनों की जाति एक ही है ।

आधिभौतिक शक्ति की इतनी प्रशलता होने का इतना अधिक प्रभाव जर्मनी में पढ़ा कि सरकारी सत्ता इतनी अधिक बढ़ गई जितनी पहले कभी नहीं बढ़ी थी । परन्तु सरकार के हाथ में, जितनी सत्ता अधिक रहती है, प्रजा के अधिकार उतने ही कम हो जाते हैं । अतएव प्रजा को हर बात में सरकार का मुख देखना पड़ता है । आज कल जर्मनी की ऐसी ही स्थिति हो गई है । जर्मन सरकार का अधिकार-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हो गया है । यदि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण किसी को देखना हो तो उसे जर्मनी की प्रचड़ सेना की ओर ध्यान देना चाहिए । यथाशक्ति अपना बल बढ़ाते रहना, यही जर्मन लोगों की इच्छा है, और उस इच्छा का स्वरूप उसकी विशाल सेना है । जर्मन सेना ही जर्मन राष्ट्र है, * यही भाव सर्वत्र जर्मन लोगों में

* जर्मन समाज में सेना का कितना महत्व है यह बात ‘जर्मन’ नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखी है—

फैला हुआ है । जमीन पर लड़नेवाली अजित सेना को समुद्री बेडे के साथ करा देना चाहिए, यही सर्वत्र चर्चा हो रही है । ये सब बातें जर्मन शक्ति को बढ़ाने के लिये ही हैं । फौजी शक्ति बढ़ाने की इतनी प्रचड तैयारी जारी होने पर भी, कुछ लोग कहते हैं कि इस से अन्य राष्ट्रों को कुछ भय का विशेष कारण नहीं है । क्योंकि वे लोग कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के समान कोई दूसरा राष्ट्र शातिप्रिय नहीं है । हमारी तो केवल यही इच्छा है कि जर्मनी का पग व्यापार में आगे बढ़े और इस इच्छापूर्ति के लिये अन्य राष्ट्रों से कलह उत्पन्न करने का हमें कोई कारण नहीं समझ पड़ता । राज्य में प्रचड सेना हो, वस इसीलिये उसकी योजना की गई है । अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध उसका उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं

One of the most striking features of German life is the presence every where of the regular soldiery and the great place the army holds in the thoughts and affections of the nation. Neat and tidy in appearance, you will see in every town officers strutting the streets with a look of conscious dignity, jingling their spurs and clanking their sabres. The daily press in Germany while often ignoring political topics that seem to touch the masses more closely, is for ever devoting much space and time to a discussion of the different phases of army life, and their readers demand this. No where else in the world is the army so much identified with the nation, and no where else is respect and tender regard for the army so deep-seated and general. Pages 216—17

है। इस प्रकार के विचार अनेक प्रथकारों ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिख रखे हैं*। जर्मनी के सेठ साहूकार, मजदूर, कठ, कारखाने और खेती करनेवाले सबों का ध्यान सरकार के इस सिद्धांत की ओर आकर्षित हो रहा है और उन्होंने सरकार का यह चदावरण “जिसकी लाठी उसकी भैंस” सदा अपने सामने रखा है।

जान रस्किन ने एक स्थान पर लिखा है कि जब कभी किसी राष्ट्र के हृदय विचारों को जानना है अथवा यह जानना हो कि किस उद्देश्यपूर्ति के लिये उसके प्रयत्न जारी हैं, तो उस राष्ट्र की वास्तुविद्या—आर्किटेक्चर—का निरीक्षण करना चाहिए। जर्मनी की वर्तमान प्रचलित वास्तुविद्या की कसौटी पर रस्किन का मत यदि लगाया जाय तो उसका विचार अक्षरश सत्य प्रतीत होगा। जर्मनी के उत्तर आर क नगरों को देखो अथवा स्वय बर्लिन राजधानी की ओर ध्यान दो, तो मालूम होगा कि गत तीस वर्षों में जितनी नवीन इमारतें तैयार हुई हैं उन सबों में मालिकों की शक्ति प्रगट करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु अठारहवीं शताब्दी अथवा इससे पहले के बने हुए बर्लिन के मकानों को देखने

* यदि उन ग्रथकारों के कथन को सचा मान कर अन्य राष्ट्र अपनी अपनी शक्ति न बढ़ाते तो इस बाकूछल का परिणाम क्या होता। जर्मनी ने अपनी स्थल सैनिक शक्ति के साथ जल शक्ति भी खूब बढ़ाली है। इस काम के लिये वहाँ जितने घन की आवश्यकता होती है उतना घन सरकार मजूर करती है।

से कारीगरों की कुशलता का पता चलता है। यह दशा सरकारी इमारतों की ही नहीं है, निज के लोगों के बनवाए हुए मकानों की भी यही दशा है। कारीगरी की ओर अब उत्तम ध्यान नहीं है जितना पहले था। अब तो इमारतों की भव्यता अथवा विशालता की ओर अधिक ध्यान है जो सापेक्षिक उन्नति का परिचय करता है।

आज कल जर्मन राष्ट्र का सुधार सब प्रकार से हो गया है और भविष्यत् में इससे भी अधिक होगा, इसमें किसी प्रकार का सदेह नहीं है। पचमहाभूतों को जर्मन लोगों ने एक प्रकार से अपने अधिकार में कर लिया है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जर्मनी का प्रभुत्व स्थापित होना चाहिए, ऐसी आकाश्चालनके हृदय में उत्पन्न हो चुकी है। व्यापार और व्यवसाय में वे अन्य लोगों की अपेक्षा आगे निकल गए हैं। सैनिक शक्ति वे इतनी अधिक बढ़ा रहे हैं कि जिससे अन्य देश-वासी उनकी ओर आँखें उठा कर भी न देख सकें। परोत्कर्प को न सह कर, वे समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से समुद्र की ओर, बड़ी आशा से आँखें लगाए बैठे हैं। ये सब बातें सर्वोपरि सुधार के लक्षण नहीं हैं तो और क्या हैं? परंतु इस सुधार की जड़ में कौनसा तत्व है, यदि इस पर विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट प्रतीत होने लगेगी कि आधुनिक जर्मनी में गौरवोन्माद की तरणे उठ रही हैं और इन तरणों के मद में मस्त, वह अन्य राष्ट्रों का उत्कर्ष सहन नहीं कर सकती है। सारे राष्ट्र मेरे स्वाधीन हो जावें और सर्वथा मेरी विजय हो, ये भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो

अहुत कठिन है। धन धान्य से भरे हुए कोठे अथवा माल से भरे हुए व्यापारी जहाज अथवा नए नए शाक्षीय शोधों द्वारा बढ़ी हुई अपार संपत्ति, यह कुछ योग्य उपहार नहीं है, जिसके लिये कोई जर्मनी को अनेक धन्यवाद दे अथवा उसके यश की चर्चा का प्रसार हो। “जर्मनी का सुधार कहा जाता है वह है कहाँ ?” यह प्रश्न एक जर्मन लेखक ने अभी कुछ समय हुआ तभी किया था, उसका भी भावार्थ अथवा रहस्य यही है।

आज कल के समय में, किस विषय की ओर जर्मनी का लक्ष्य है यह बात यदि विचारपूर्वक देखी जाय तो यह बात स्पष्ट प्रतीत हो जाती है कि जड़-सृष्टि पर वह अपना प्रभुत्व जमाने की चिंता में ही लगा हुआ है। शारीरिक और आधिभौतिक शक्ति पर ही उसका दारोमदार है। पच महाभूतों को लौंच कर अपने अधिकार में लाने की शक्ति का विकास, जितना जर्मन लोगों में देखा जाता है उतना अन्य राष्ट्रों के लोगों में बहुत ही कम देखा जाता है। उनके काम करने की पद्धति अनुकरण करने योग्य है। यह बात नहीं है कि जर्मनी में तैयार की हुई यत्रसामग्री सर्वोत्कृष्ट होती है, परन्तु उन यत्रों की सहायता से जो काम किया जाता है वह काम अवश्य अति उत्तम होता है, यह बात विलकृष्ण निर्विवाद है। तौ भी इन अचेतन यत्रों को छोड़ कर मनुष्यरूपी सचेतन यत्र को हाथ में लेते ही हाथ डगमगाने लगता है। परन्तु इसका कारण क्या है ? इसका कारण भी उपरोक्त घैरलाई हुई मनोवृत्ति के सिवा, और कुछ नहीं है। जर्मनी

के कालेजों और यूनिवर्सिटीयों में बड़े बड़े पढ़ित निर्माण होते हैं। कला कौशल की शिक्षा देनेवाली पाठशालाओं में छोटे बड़े सब प्रकार के यत्रों की पूरी पूरी जानकारी रखनेवाले तथा उन यत्रों को चलानेवाले कारीगर उत्पन्न होते हैं। परतु विद्यार्थियों को शोलवान बनाने अथवा उनके अग में किसी विशेष गुण के उत्पन्न करने में वहाँ की यूनिवर्सिटीयों और कालेजों का बिलकुल उपयोग नहीं होता। देश की प्रचलित राज्यव्यवस्था की जड़ में यह दोष होने से वहाँ के कुछ सुशिक्षित लोग भी इस बात को बुरा कहते हैं। परतु यह राज्यपद्धति बुरी क्यों है, इसका दोष किस पर है और यह दोष दूर किस प्रकार किया जा सकता है, इस विषय में सुशिक्षित लोगों ने अभी तक कोई स्पष्ट राय नहीं दी है। परतु वे इस प्रथा को दूषित अवश्य बताते हैं। राज्यव्यवस्था से सुशिक्षितों को जितना लाभ होना चाहिए उनके अभी नहीं हुआ है, इस कारण जर्मन राज्य नौका ठीक मार्ग पर नहीं जारही है, यह उनका विश्वास है। परतु राज-सत्ता उनके हाथ में न होने से वे जहाँ के तहाँ हाथ मलते बैठे हुए हैं।

जर्मन लोगों में अनेक उत्तम उत्तम गुण भी पाए जाते हैं। उनके गुणानुरूप ससार में उनकी उन्नति हो, ऐसी इच्छा रखनेवाले जर्मनी के बाहर भी बहुत से लोग मौजूद हैं। परतु उनके मतानुमार ही यह भी एक बात पाई जाती है कि जर्मन लोगों के हाथ से जो एक बहुत यड़ी भूल हुई है, वह यह है कि उन्होंने अपने राष्ट्र का पूर्व का ध्येय त्याग कर समान रूप में ऐहिक उन्नति को प्राप्त करने के पीछे अपने आप

को लगा दिया है। ऐहिक संपत्ति का यह निर्दिष्यास आगे चल कर जब कम हो जायगा तब उनकी सात्त्विक वृत्ति का उदय होगा और राजसिक वृत्ति का लय हो जायगा। कुछ वर्षों के पश्चात् यह सुपरिणाम होने से अपने भाष पे बातें स्पष्ट हृषिगोचर होने लगेगी, ऐसी हृद आशा की जाती है। जर्मन, राष्ट्र-सुधार की हृषि से बाल्यावस्था में है। बचपन का लड़कपन अवतक उसमें मौजूद है। यह लड़कपन दूर हो कर, बुद्धि की स्थिरता आने और हृद विचार करने की शक्ति का विकास होने पर जर्मनी दूर तरह से एक अनुकरणीय राष्ट्र बन जायगा ऐसी आशा करना कुछ अनुचित बात न होगी।

दूसरा अध्याय ।

जर्मनी के तीन विभाग ।

जर्मनी अथवा जर्मनी के लोग, इस विषय में सर्व-

साधारण सिद्धातों का निश्चित करना, बड़ा कठिन काम है । “जर्मनी” इस एक शब्द में भिन्न भिन्न छब्बीस प्रातों का वोध होता है और इन प्रातों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं । उन प्रातों में भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा अतर है । उनके राजकीय इतिहास का स्वरूप भी विल-
कुल भिन्न भिन्न है । हर एक जाति की उपजातियों के भी बहुत से भेद हैं और धरों की रहन सहन तथा ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं । इस भिन्नता के कारण, सर्वसाधारण सिद्धातों का स्थिर करना बड़ा कठिन काम है । परतु यदि सावधानी के साथ विचार किया जाय तो इस बात का निश्चित कर लेना विलकुल असभव भी नहीं है । जर्मन राष्ट्र के यदि कई विभाग कर दिए जाय तो इस बात का बताना बहुत आसान हो जायगा । परतु ये विभाग निर्दोष अथवा प्रमाणवद्ध होंगे, यह हमारा सिद्धात नहीं है । परतु यदि जर्मनी और जर्मन लोगों का ठीक पता लगा कर, उनका हाल जानना है, तो ऐसी योजना किए बिना, यह काम होना असभव है और यदि ऐसा किया जायगा तो भिन्न प्रकार से कुछ न कुछ स्थानिक मर्यादा त्याग करनी पड़ेगी ।

हम अपने सिद्धात के अनुसार जर्मनी के तीन विभाग करना चाहते हैं। लोरेन, वेडन, बवेरिया और सेक्सन इन प्रांतों की सरहद पर से पश्चिम से पूर्व की ओर एक रेखा खींचनी चाहिए। इस रेखा से जर्मनी के दो भाग—उत्तर जर्मनी और दक्षिण जर्मनी—हो जाते हैं। फ्रास और वेलजियम के समीप, राइन प्रात से पूर्व की ओर रूसी पोलैंड की सरहद तक, सारा प्रशिया प्रांत तथा इसके सिवा मेहकनवर्ग, ओल्डन-वर्ग और ब्रासियक प्रदेश उत्तर जर्मनी की ओर जाता है। आलसेस-लोरेन, साक्सनी के तीन राज्य, बवेरिया और वर्ट्टवर्ग, उसी प्रकार ग्रांड 'डची आफ वेडन-इतना प्रदेश दक्षिण जर्मनी में शुमार किया जाता है। इन दोनों के बीच का विभाग थुरिंगियन स्टेट्स को इन दोनों भागों में से किसी भाग में न मिला कर स्वतंत्र रहने दिया है और ऐसा करने के लिये हमारे पास कई कारण भी उपस्थित हैं।

पूर्व पश्चिम रेखा पर एक दूसरी लबी रेखा बनाई जाय तो स्वयं प्रशिया के दो भाग हो जाते हैं, अर्थात् पश्चिम और पूर्व। इन दोनों देशों की पूर्व सद्वा कायम रख कर इन्हें “पश्चिमी एल्बा प्रात” और “पूर्वी एल्बा प्रात” कहने में भी कुछ हर्ज नहीं है। पहले भाग में हनोवर, हेसी-नसाऊ, न्हाइनलैंड और वेस्ट फालिया ये प्रांत आ जाते हैं, और दूसरे भाग में खेती करने योग्य प्रशिया का समतल भाग मेहकनवर्ग के दो प्रात आते हैं। एल्ब नदी के पूर्व की ओर का भाग जर्मन राष्ट्र के घान्य की कोठी है यदि ऐसा कहा जाय तो कुछ हर्ज नहीं है। क्योंकि साल भर के खर्च के लिये, जितना गेहूँ और राय (Rye)

जर्मनी को चाहिए उसका दो विहारी भाग इसी प्रात में उत्पन्न होता है ।

जिन तीन भागों में देश को हमने बाँटा है वह बॉट अधूरी अवश्य है, यह हमें ही प्रतीत होता है । परन्तु इस व्यवस्था से जर्मन राष्ट्र में भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग निवास करते हैं, उनके स्वभाव, व्यवसाय और उनके हित अनहित का सागोपाग विचार करना और उससे बहुत से महत्व के सिद्धांतों का निश्चय करना, सहज होगा, इसमें कोई शका नहीं है ।

पहले पहल ही पाठकों को यह दिखाई पड़ेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो एक आँड़ी रेखा खींची है, उस रेखा से जर्मनी के राजकीय दृष्टि से स्थूल प्रमाण पर ही बिलकुल दो निराले भाग हो जाते हैं । उत्तर भाग में (इवर्ग और ब्रेमन दो प्रांतों को अलग कर के) कसर्वेटिव पक्ष के लोगों की अधिक प्रबलता है । जर्मनी का इतिहास मुख्य कर इसी पक्ष के लोगों के मतानुसार निर्माण हुआ है । इतना ही नहीं, चर्तमान समय में भी, जो देश की भीतरी व्यवस्था स्थिर की गई है उसमें भी उन्हीं प्रातवासियों का मत अधिक है ।

प्रशिया ही जर्मनी है, यह जो लोगों का 'विचार है, वह गलत है । प्रशिया की राजकीय, सामाजिक और औद्योगिक स्थिति को देख कर सारी जर्मनी के सबध में किया हुआ अनुमान भूल है और आक्षेप करने योग्य है, इसमें कुठ संदेह नहीं है । प्रशिया में विपुल संपत्ति है, सुधार के कार्यों में भी उसका पैर आगे बढ़ा हुआ है, उस प्रात की राज्यव्यवस्था

भी बहुत अच्छी है, सैनिक शिक्षा और कार्य भी अनुकरणीय हैं, ये बातें सब ठीक हैं, परन्तु राजकीय मामलों में वह अभी सभों से पीछे है। दक्षिण ओर के छोटे छोटे प्रात इस विषय में उस से कहीं आगे हैं।

उत्तर जर्मनी और दक्षिण जर्मनी में, पचास वर्ष पहले लोकमत की कुछ अनुकूल बातें हो जाने के कारण वर्तमान राज्यव्यवस्था की बुनियाद पड़ी। परन्तु इन दोनों भागों में, उस समय जो एक महत्व की बात रह गई वह अब तक वराचर व्यों की त्यों धनी हुई है। आज करीब करीब साठ वर्ष से प्रशिया में पार्लियामेंट कायम है, परन्तु उसमें अनियन्त्रित-सत्ता का प्रभाव अब भी कम नहीं हुआ है। उसका मत है कि पार्लियामेंट के अधिकार राजा ने स्वयं प्रजा को प्रदान किए हैं, प्रजा ने स्वयं अपनी शक्ति से, राजा से प्राप्त किए हों, यह बात नहीं है। राजा प्रसन्नतापूर्वक जो अधिकार प्रजा को प्रदान करें उन्हीं को पा कर प्रजा को सतोष मानना चाहिए। राजा की इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयत्न करना उचित नहीं है, यह प्रशियन राजनीति का मूल मत्र है और इस बात को राजा और प्रजा दोनों अच्छी तरह समझते हैं। राज्यव्यवस्था का मुख्य प्रवर्तक राजा होने से, प्रशिया की राज्यव्यवस्था में एक प्रकार की कठोरता, उद्दृता आ जाने से उसमें नम्रता का खिलकुल लेश नहीं पाया जाता है। गत पचास साठ वर्ष से जितने अधिकार राजा ने आरभ में कृपा कर के, प्रजा को प्रदान किए, उन्हीं ही अधिकार आज तक प्रजा को प्राप्त हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि राजा

और प्रजा दोनों अपने अपने मन में, एक दूसरे से भयभीत और सशक्ति बने रहते हैं। राजा को यह शका रहती है कि प्रजा अपने से अधिक अधिकार माँगती और प्रजा को यह भय और शका सदा बनी रहती है कि जो अधिकार कृपा कर राजा ने प्रदान किए हैं कहाँ उनको वह किर न वापस ले लें। राजनैतिक आदोलन करने की जितनी शक्ति प्रजा में चाहिए उतनी उसमें नहीं है। क्योंकि जिन लोगों का राज दरवार में प्रभाव है, वे सब कसरेटिव मत अर्थात् राजपक्ष के हैं और वे सदा राजा का ही पक्ष ग्रहण करते हैं। परन्तु दक्षिण के ओर की दशा इससे भिन्न है। वहाँ लिंगराज पक्ष का जोर पहले से ही अधिक है। राजसत्ता नियत्रित हो कर प्रजा को अधिक अधिकार मिलना चाहिए, उनका यह ध्येय है और इसी ध्येय को साध्य करने के प्रयत्न में वे वरावर लगे रहते हैं।

इस प्रकार का प्रचलित राजकीय मतभेद ही उत्तर और दक्षिण जर्मनी में है, ऐसा नहीं है, उनके सगठन में भी बड़ा अतर है। उत्तरी व्यभाग के लोगों का मन कठोर और स्वभाव रुक्ष होता है। उनमें मुरब्बत नहीं होती। इसके विपरीत दक्षिणी व्यभाग के लोगों में अधिक सौजन्य पाया जाता है। उनका स्वभाव विनोदी होता है। वे खुले दिल से काम करनेवाले होते हैं। उनकी रहन सहन में अधिक ठाठ बाट और बनावट नहीं है। ईश्वर के दिए हुए जीवन और आयुष्य को सुखपूर्वक आनंद के साथ व्यतीत करने की ओर उनकी बुद्धि की प्रवृत्ति अधिकतर पाई जाती है।

अधिक हानि उठानी पड़ती है। जर्मांदारों और उनकी जमीनके शहरों से दूर होने के कारण शहर के लोगों की सामाजिक, सापत्तिक, औद्योगिक और राजनैतिक उन्नति कैसे होती है, इस ओर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता। जहाँ पर अद्वान का वास है, वहाँ पर उन्नति और सुधार कितना हो सकता है, इसका विचार पाठक स्वयं कर लें। जिस प्रकार एक जुलाहा या कोरी अपना ताना पूरा बाँधे हुए, उतनी ही जगह का, अपने को राजा समझता है; उसी प्रकार वहाँ के बड़े बड़े जागीरदार अपने इलाके का ही अपने को राजा समझते हैं, लोगों पर हुक्म करने का हमें अधिकार है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी प्रजा को कोई भी कार्य करने का, अधिकार नहीं है, इतना ही नहीं, जो आज्ञा हम दें उसके विरुद्ध प्रजा को मुँह से एक शब्द भी निकालना नहीं चाहिए, ऐसी नवाबी की स्थिति में, वहाँ के लोग क्या उन्नति कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में रहनेवाले लोगों की सामाजिक उन्नति कभी नहीं होती और न उनकी बुद्धि का विकास होता है। एवं और विश्चुला नदी के दीच के प्रदेश पर बहुत समय हुआ तब स्थाव जाति के लोगों का अधिकार था। उस समय वहाँ के निवासियों की स्थिति अच्छी थी। परन्तु जब से वह देश जर्मन लोगों के हाथ में गया है तब से वहाँ पर अवनति का जो आरभ हुआ वह आज तक घरावर बना हुआ है। इस प्रात की आवोहवा भी पश्चिमी प्रात की आवोहवा के समान उत्तम नहीं है और न ज़मीन ही अधिक उपजाऊ है। इन कारणों से जितनी

पैदावार ज्ञमीन में होनी चाहिए नहीं होती। पैदावारी के लिहाज से जमीन की मालगुजारी भी सरकार को कम वसूल होती है। पश्चिमी प्रात की मालगुजारी की अपेक्षा, इस प्रात की मालगुजारी एक तिहाई के करीब है। खेती की इस बुरी दशा को सुधारने के लिये प्रशियन गवरमेंट ने बहुत कुछ प्रयत्न किए परतु कोई भी अच्छा परिणाम आज तक नहीं निकला।

राजनीतिक विषयों में, जर्मनी का दक्षिणी विभाग उत्तरी विभाग से कहीं आगे है, यह बात ऊपर कही जा चुकी है। अब यदि उत्तरी विभाग के ऊपर विचार किया जाय तो यह बात मालूम होगी कि पश्चिमी विभाग पूर्वी विभाग की अपेक्षा काम के विचार से बहुत आगे है। पत्त्व नदी के पूर्व की ओर, खेती पर गुजारा करनेवालों प्रात में प्रशिया, के कसरेटिव लोगों का प्रभाव बहुत अधिक है। पार्लियामेंट में सभासदों के चुनाव का काम, इतना मर्यादित कर दिया गया है कि गरीब लोगों की वहा तक पहुँच ही नहीं होने पाती। अतएव पार्लियामेंट में अमीर लोगों की भरमार होने के कारण ही वहा के निवासियों की जितनी उन्नति होनी चाहिए, नहीं होती। इंग्लैंड में भी लिवरल और कसरेटिव दो दल हैं। लिवरल उन्नति के पक्षपाती हैं परतु कसरेटिव उन्नति के विरोधी नहीं है। उनका मत है कि जो कुछ सुधार या उन्नति का कार्य किया जाय वह धीरे धीरे हो। इस पक्ष के लोग लिवरल पक्ष के लोगों का मान करते हैं और यही कारण है कि दोनों के सम्मेलन से इंग्लैंड का राजकाज बढ़ी

उत्तमता से चलता है । परंतु जर्मनी में, इसके विपरीत कार्य होता है । वहां पर क्सरवेटिव लोग सुधार और उन्नति के पूरे द्वेषी हैं और चलती गाड़ी के आगे रोड़ा डालने के कार्य में वे बड़े कुशल और निपुण हैं । इस प्रकार के लोग प्रशिया के पूर्वी भाग में जितने हैं उनने यूरोप ही क्या, स्वयं जर्मनी के अन्य भागों में ढूँढने से भी न मिलेगे ।

पार्लियामेंट की मेंबरी की बहुत सी जगहें इन नवाँदों ने हस्तगत कर रखी हैं और वहां पर बैठ कर वे यह काम करते हैं कि कोई काम प्रजा की भलाई के लिये वहां उपस्थित किया जाता है तो ये स्वार्थ-साधु अपनी स्वार्थ-बुद्धि से उस काम में विनाश उपस्थित कर देते हैं । शिक्षा सुधार के कामों में भी ये लोग कुछ प्रयत्न करते हों, यह भी नहीं है । आज से सौ वर्ष पहले शिक्षा के सबध में, जो उनका मत था वही अब भी ज्यों का ल्यों बना हुआ है । इसी कारण, वर्तमान समय में भी उत्तर जर्मनी और पूर्वी-प्रशिया के देहाती मदरसों में, मामूली लिखना पढ़ना और कुछ हिसाब किताब पढ़ा देना ही बंस समझा जाता है । उनको भय है कि यदि किसानों के बालकों को शिक्षा देने का प्रबंध कर दिया जायगा तो उनमें शिक्षा के प्रभाव से महत्वाकाशा उत्पन्न हो जायगी, जो उनके अत्याचारों के लिये हानिकारक है । अतएव जिस तरह किसानों के बाप दादा 'ओ, ना, मासी' से आगे शिक्षा में नहीं बढ़े उसी प्रकार उनके नाती पोतों को भी शिक्षा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए । ये उनके स्वार्थमूलक विचार हैं । परंतु सरकार ने, उन लोगों के विचारों को एक ओर रख कर,

शिक्षा क्रम मे बहुत कुछ सुधार किया है । प्रशिया म
शिक्षा की व्यवस्था जितनी उत्तम है उतनी उत्तम व्यवस्था
संसार के और किसी देश में नहीं है, यह बात उदाहरण
के तौर पर बताई जाती है । इस उदाहरण को मानने के
लिये हम तैयार हैं । प्रशिया में जैसी उत्तम शिक्षा मिलती
है वैसी अन्य दशों में नहीं मिलती, यह हम मानते हैं । परतु
इतना होने पर भी, देहाती मदरसों की शिक्षा में, अब भी
बहुत न्यूनता पाई जाती है और जो कुछ थोड़ा बहुत
प्रबघ है भी, वह उच्च कोटि का नहीं है । प्रशिया में किसान
बालकों के लिये जो पाठशालाएँ हैं वह हमार “मक्तबों” से
कुछ अधिक अच्छी नहीं हैं । इगलैंड में और खास कर आय-
लैंड में, सन् १८७० ईस्वी तक इस प्रकार की बहुत सी पाठ-
शालाएँ थीं । परतु अब उनका वहाँ नामोनिशान नहीं रहा ।
इसका श्रेय मिठो मेध्य ऑर्नोल्ड नामक एक सज्जन को प्राप्त
है । उन्होंने आयलैंड की पाठशालाओं का जैसा वर्णन किया
था वैसी ही स्थिति इस समय उत्तरी-जर्मनी में दिखाई
पड़ती है । विद्यार्थियों की अपेक्षा शिक्षकों की कमी, पाठ-
शालों के दृट फूटे मकान, योग्य परतु कम बतन पानवाले
शिक्षक, सर्व में कजूसी करनेवाले व्यवस्थापक और द्रव्य के
अभाव के कारण पुस्तकालयों, प्रयोग शालाओं बगैरह का
अभाव । इन सब कारणों से पाठशालाओं में होमियोपैथिक
तत्त्व के अनुसार अर्थात् अल्प शिक्षा विद्यार्थियों को प्राप्त होती
है, यह एक साहजिक बात है । इस सधघ में प्रशियन गंवरमेंट
का कोई रूपर नहीं है । इस दुरी स्थिति को सुधारने के

लिये, 'सरकार अपनी शक्ति के अनुसार उपाय करती है। परंतु लोकप्रतिनिधियों से जितनी सहायता उसे मिलनी चाहिए उतनी न मिलने के कारण, सरकार के उपायों और प्रयत्नों का परिणाम जैसा निकलना चाहिए वैसा नहीं निकलता। ऐस्य नदी के पूर्वी भाग की ओर से जो प्रतिनिधि पार्लियामेट (डायट) में आते हैं, यदि वे अपनी पुराणप्रियता को त्याग छर सरकार के प्रयत्न को सफल बनाने की अपने मन में ठान लें, तो जो शोचनीय स्थिति इस समय दिखाई पड़ती है वह न दिखाई पड़े।

पूर्वी प्रशिया के जर्मीदारों के सघध में अब तक जो कुछ लिखा गया है, उसकी विवेचना से यह बात स्पष्ट प्रगट होती है कि वहा के सारे जर्मीदार सुधार के प्रतिकूल हैं। परंतु यह बात नहीं है। ससार में अपवाद भी हुआ करता है। कुछ जर्मीदार ऐसे भी हैं जिन्हें आज कल के सुधारों से प्रेम है। वे सुधार के नवीन मार्गों को पसंद करते हैं। खेती के साथ ही साथ किसानों का भी सुधार वे लोग चाहते हैं। वे शास्त्रीय पद्धति से खेती करने के भी पक्षपाती हैं। ऐसे लोगों की सख्त्या जब बढ़ जायगी और उनका प्रभाव लोगों पर अधिक पड़ने लगेगा तब पूर्वी-प्रशिया की दशा सुधर जाने में अधिक समय न लगेगा। यह दशा समय पाकर अवश्य सुधरेगी, इसमें सदैह नहीं है। जर्मीदारों को अपने अपने इलाके में जो राजकीय अधिकार प्रदान किए गए हैं वे अधिकार कमशः, कम होने चाहिए। जर्मीदार और उनके बंहजों के अधिकार कम होने से

जर्मनी के पढ़ोसी वयोवृद्ध राष्ट्रों ने आरम्भ में किया ।

युद्ध में बहुत से लोग घायल हुए और नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर हजारों तरुण पुरुष कुसमय कराल काल के गाल में चले गए । इस प्रकार चारों ओर जर्मनी की दुर्दशा दृष्टिगोचर होने लगी । परतु थोड़े समय में ही युद्ध का घाव, सृष्टि के नियमानुसार भर आया । “उद्योग धधों की उन्नति शीघ्रता से होने के कारण युद्ध की प्राणदानि शीघ्र पूरी हो जाती है ” इस सिद्धांत को जर्मनी ने शीघ्र सज्जा करके दिखला दिया । प्राप्ति के साथ युद्धारम होने से पहले, सात अठ वर्ष तक जर्मनी आस्ट्रिया से लड़ता रहा । उस समय जो सैनिक तैयारिया जर्मनी ने की थीं, वे बराबर उसी तरह बनी रहीं और उनका उपयोग प्राप्ति के साथ युद्ध के समय किया गया । इस युद्ध में विजय लक्ष्मी ने जर्मन बीरों के गले में जयमाल ढाली । परतु इस विजय से वे उन्मत्त न होकर युद्ध के बाद भी उद्योग भूमि में अपना पराक्रम दिखा कर वहाँ भी विजय श्री प्राप्त करने के कार्य में मन, वचन, कर्म से छाँ गए । जो धन लोगों ने अपने धरों में गाड़ रक्खा था वह बाहर निकाला गया और अच्छी पूजी लगा कर नए नए कारखाने खोले गए । इन कारखानों से पूजी लगाने-वालों को भी अच्छा लाभ होने लगा । अब क्या था, अधिक साहस और जोखिम का काम करने का भी उनमें उत्साह पैदा हो गया । जो गाव और शहर अब तक पीछे पढ़े हुए थे वे भी आगे आने का उद्योग करने लगे । वहाँ लोगों की आबादी और सम्पत्ति वर्षा-काल की नदियों के समान बढ़े

तीसरा अध्याय ।

उद्योग-युग ।

खून् १८७१ में जर्मनी और फ्रास के बीच जो युद्ध

हुआ, उस युद्ध में, जर्मनी ने विजय प्राप्त की । बस, उसी समय से जर्मनी में उद्योग घर्थों और व्यापार की सज्जति का आरभ हुआ । इसी साल जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई । उसी समय से राजनैतिक मामलों में और व्यापारिक कार्यों में जर्मन लोग विशेष रूप से चमकने लगे । जर्मन एक राष्ट्र है, यह कल्पना उसी समय पहले पहल, बहा के निवासियों के मन में उत्पन्न हुई । सघ शक्ति के बढ़ने से, उसके बल पर, बड़े बड़े कार्यों को हाथ में लेने का साहस उनमें उत्पन्न हो गया । जर्मनी की वृद्धावस्था जाती रही । जिस प्रकार याति राजा ने बुढापे में तरुणता प्राप्त की थी उसी प्रकार उन्नीमवाँ शताब्दी में जर्मन राष्ट्र ने तरुणता प्राप्त की । तरुणावस्था के उत्साह, आवेश और धैर्य का परिणाम उनके व्यवहार पर पड़ने लगा । अपने पड़ोसी राष्ट्रों का आतक जो उनके मन पर था, वह एक दम दूर हो गया । इतना ही नहीं, वे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ स्पर्द्धा का यत्तीव करने लगे । किसी बालक के अल्हडपने की खेड़ा को, वयोवृद्ध लोग कौतुक की दृष्टि से देखते हैं, और वधर विशेष ध्यान नहीं देते, इसी प्रकार का कार्य

- जर्मनी के पढ़ोसी वयोवृद्ध राष्ट्रों ने आरम्भ में किया।

युद्ध में बहुत से लोग घायल हुए और नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर हजारों तरुण पुरुष कुसमय कराल काल के गाल में चले गए। इस प्रकार चारों ओर जर्मनी की दुर्दशा दृष्टिगोचर होने लगी। परतु थोड़े समय में ही युद्ध का घाव, सृष्टि के नियमानुसार भर आया। “उद्योग धंधों की उन्नति शीघ्रता से होने के कारण युद्ध की प्राणहानि शीघ्र पूरी हो जाती है” इस सिद्धात को जर्मनी ने शीघ्र सज्जा करके दिखला दिया। फ्रास के साथ युद्धारम होने से पहले, सात अठ वर्ष तक जर्मनी आस्ट्रिया से लड़ता रहा। उस समय जो सैनिक तैयारिया जर्मनी ने की थीं, वे बराबर उसी तरह बनी रहीं और उनका उपयोग फ्रास के साथ युद्ध के समय किया गया। इस युद्ध में विजय लक्ष्मी ने जर्मन वीरों के गले में जयमाल डाली। परतु इस विजय से वे उन्मत्त न होकर युद्ध के बाद भी उद्योग भूमि में अपना पराक्रम दिखा कर वहाँ भी विजय श्री प्राप्त करने के कार्य में मन, वचन, कर्म से लगी गए। जो धन लोगों ने अपने घरों में गाड रक्खा था वह बाहर निकाला गया और अच्छी पूजी लगा कर नए नए कारखाने खोले गए। इन कारखानों से पूजी लगाने-वालों को भी अच्छा लाभ होने लगा। अब क्या था, अधिक साहस और जोखिम का काम करने का भी उनमें उत्साह पैदा हो गया। जो गाव और शहर अब तक पीछे पढ़े हुए थे वे भी आगे आने का उद्योग करने लगे। वहाँ लोगों की आवादी और सम्पत्ति वर्षा काल की नदियों के समान बढ़े

वेग से बढ़ने लगी । जर्मनी की राजधानी बर्लिन की जनसंख्या सौ वर्ष पहले एक लाख साठ हजार थी । परंतु यह संख्या १९०५ में २० लाख चालीस हजार हो गई । बर्लिन नगर में तो सम्पत्ति का पानी ही बरसने लगा । शहरों की इस उन्नति के कारण वहां जमीन का मूल्य भी खूब अधिक बढ़ गया । अतएव गरीब लोगों को रहने के लिये जगह की बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई । शहरों में और शहर के बाहर, आस पास, मकानों का किराया इतना अधिक बढ़ गया कि मध्यम और गरीब स्थिति के लोगों को उचित किराए पर रहने के लिये, मकान कैसे मिलेंगे, यह विकट प्रश्न लोगों के सामन आकर उपस्थित हो गया ।

शहरों की सप्तति के साथ साथ जनसंख्या की भी वृद्धि हुई है । गत पचास साठ वर्षों में, जितनी जनसंख्या बढ़ी उसका प्रसार उद्योग धरों में, जो प्रात आगे थे, उनमें हुआ । सन् १८५५ और १९०५ इन दो सालों की जनसंख्या के अकों को देखने से पाया जाता है कि कृषि प्रधान प्रातों में जितनी जनसंख्या बढ़ी है उससे कई गुनी अधिक जनसंख्या व्यापार करनेवाले प्रातों की बढ़ी है ।

जर्मनी के उद्योग युग का आरम्भ होने से पत्थर के कोयले, लोहे और अन्य खनिज पदार्थों की पैदावार बहुत अधिक होने लगी । जर्मनी के कारखानों में पत्थर का कोयला जितना काम में आया जाता है उतना करीब करीब जर्मनी की खानों से ही निकाला जाता है । कुछ थोड़ा सा, नब्बे लाख टन, इंग्लैंड से भी आता है । परंतु कोयले के लिये

भी अपने को इंग्लैण्ड का मुँह ताकना न पढ़े, इस बात का जर्मन कोयले के व्यापारी, बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। कोयले के व्यापार की अपेक्षा लोहे का व्यापार बहुत अधिक होता है। अतएव लोहे के बहुत से कारखाने जर्मनी में पाए जाते हैं। अलावा इन दो के ताथा, जस्ता, सीसा, पोटाश, सास्ट भी पहले की अपेक्षा सब खानों से अधिक निकाला जा रहा है। परंतु इन चीजों की रवानगी की अपेक्षा आमद अब भी ज्यादा है।

जिस उद्योग की ओर इंग्लैण्ड का विशेष ध्यान है वह उद्योग जहाज और नौका निर्माण है। परंतु बत्तर्मान समय में जर्मन लोगों का भी इस ओर विशेष ध्यान गया है और वे अधिक परिश्रम के साथ इस कार्य को करने में सफल हो रहे हैं। जहाज बनाने के काम में जो विदेशी सामान काम में लाया जाता है, उसे काम में न लाकर उसकी जगह पर स्वदेशी सामान काम में लाया जाय, इस ओर भी जर्मनों का विचार आकर्षित हुआ है। उन्हें हर साल अपने इस विचार में मफ़ूलता भी मिल रही है। एक सरकारी रिपोर्ट में इस बाबत लिखा गया है—“जहाज बनाने के काम में आने योग्य लोहे के पत्रों के देश से ही प्राप्त हो जाने से उसके लिये विदेश का अर्थात् इंग्लैण्ड का मुख ताकना नहीं पड़ता, यह घड़े आनद की बात है”।

यदि ससार में उच्च कोटि के जहाज कहीं बनते हैं तो वह इंग्लैण्ड ही में। वहां पर समुद्र के किनारे, बद्रगाहों में, खराब जहाज कभी तैयार होकर बाला ही नहीं जाता, आज पचीस

वर्ष हुए, जब लोगों के ये विचार थे। टाइन (Tyne) और क्लाइड (Clyde) में जहाज तैयार करनेवाले लोगों के हाथ का मुकाबला सचार में कभी कोई नहीं कर सकता, यह बात बहुत प्रसिद्ध थी। परंतु जब जर्मनी के कारखानेवालों ने अच्छे जहाज बनाने और इस व्यवसाय में इंग्लैण्ड का मुकाबला करने का निश्चय किया तब पहले पहल उन्हें यही चिंता उत्पन्न हुई कि इतना घड़ा काम कैसे हो सकेगा। और इसके लिये अगाध धन कहा से और कैसे आवेगा। परंतु उनकी यह चिंता धनिक लोगों की सहानुभूति और कारीगर लोगों की कुशलता से जल्दी दूर हो गई। आज, अब उनकी यह दशा हो गई है कि जर्मन लोग अपने देश में काम आने योग्य सारे जहाज स्वयं तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, यदि दूसरे देश वाले चाहते हैं तो वे उन्हें भी तैयार करके द दते हैं। “जहाज बनाने का कारोबार यदि जर्मनी ने भारभ न किया होता तो युद्ध पोतों को बनाए रखने की प्रबल इच्छा का कोई काम न था।” आज ३५ वर्ष पहले एडमिरल स्टाश ने ये उद्घार निकाले थे। इससे उनकी सभी दूर-दर्शिता प्रगट होती है। इस कार्य में जितनी अधिक उन्नति होती गई, जर्मनी की समुद्री शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ती गई। मन् १९०६ में बाल्टिक समुद्र के एक बदरगाह की एक निजी कंपनी ने “नेवी लीग” से यह प्रश्न किया था कि “यदि रणपोत तैयार करने की हम तुम्हें आज्ञा दें तो एक साल में कितने जहाज तैयार करके तुम दे सकते हो ?” इस प्रश्न के उत्तर में लीग ने कहा था—‘हम अपने छ बड़े बड़े कारखानों

में १५ लड़ाई के जहाज प्रति वर्ष तैयार करके दे सकते हैं ? ”
इस पर से पाठक यह अनुमान लगा सकते हैं कि कारखाने-
वालों को कितना लाभ इस काम से होता होगा ! सारे राष्ट्र
का ध्यान अपनी नाविक शक्ति बढ़ाने की ओर लगा हुआ है।
चिर काल से समुद्र पर इंग्लैण्ड का स्वामित्व कायम है, उसे
नष्ट करने का जर्मनी ने पूरा निश्चय कर लिया है, यह बात
अब स्पष्ट दिखाई दे रही है।

जिन उद्योग धधों का ऊपर वर्णन किया जा चुका है,
उनके अलावा विजली के कारखानों की भी राक्षसी बाढ़ हो
रही है। इस व्यवसाय को करनेवालों मुख्य कपनियाँ तो
कम हैं परंतु एक कपनी का ही मूलधन पचास लाख पाँचठ
है। रक्षित धन और लोगों के दिए हुए कर्जे की रकम चालीस
लाख नक्कद इससे अलावा है। इस पर से ही यह बात
मालूम हो सकती है कि यह कपनी कितनी धनवान् है।
विजली की ट्रैक्स, लाइट रेलवे, म्युनिसिपालिटीयों के लिये
विजली का स्टोर करने, विजली के यत्र तैयार करने आदि का
सब काम यह कपनी करती है। जर्मनी के बाहर अपने व्या-
पार की वृद्धि हो, इस उद्देश्य पूर्ति के लिये इस बड़ी कपनी
ने और कई एक छोटी छोटी कपनियाँ तैयार की हैं। इन कप-
नियों से व्यापारिक उन्नति में बहुत सहायता पहुँचती है।

इसी प्रकार रासायनिक द्रव्य, सूती और रशमी कपड़ा,
कागज और शक्ति तैयार करने के भी बहुत से कारखाने
खोले गए हैं और उन कारखानों में तैयार किया हुआ माल
सारे सासार में अब खप रहा है। स्थान की कमी के कारण

सुक्ष्मता है, यह बात उनको बताते हैं और नौसिखबों के बुनने का काम सिखाते हैं। इतना ही करके वे शारीरिक नहीं होते, जुलाहों के पास से जो शहरों के व्यापारी माल खरीदते हैं, उन्हें वे कभी कभी धोखा देकर फुसलाते हैं अतएव वे उन्हें धोखा न दे सके और न फुसला सके, इसका व्यवस्था करके उनके माल का उचित मूल्य दिलाने का भी देख प्रयत्न करते हैं। अलावा इसके वे शिक्षक इस बात पर भी ध्यान रखते हैं कि किस माल की कहाँ अच्छी खपत हो सकती है। इसका पता भी वे कपड़ा बुननेवालों को देते रहते हैं जिससे वे अपने साल को बहाँ भेज कर लाभ उठाएं सकें। किस तरह के माल की बाजार में अच्छी खपत हो सकेगी, इस बात को भी वे बताते रहते हैं, और वे लोग भी शिक्षकों के सूचनानुसार ही माल तैयार करते हैं। इस व्यवस्था से अच्छा माल तैयार होता है और घर में पढ़ा पढ़ा नहीं करता, अच्छे भाव पर बाजार में जाकर बिक जाता है।

चौथा अध्याय ।

विदेशी और समुद्री व्यापार ।

विदेशी व्यापार की जर्मनी में कितनी उन्नति हुई है,

इसका विवरण सरकारी रिपोर्टों को देखने से स्पष्ट मालूम होता है और उसी पर से यह भी कल्पना की जा सकती है कि उद्योग धर्घों और कारखानोंने वहाँ कितनी उन्नति की है। यदि विस्तारपूर्वक व्यापार सबधी सालाना ब्योरा दिया जाय तो सभव है, पाठकों को अरुचिकर होगा। अतएव पचास वर्ष पहले साल की आमद और निकासी क्या थी और अब क्या है, उन्नति की कल्पना करने के लिये इतना देवेन्ता ही काफी होगा। सन् १८६० में प्रति मनुष्य पीछे आमद १ पौंड १२ शिल्लिंग ६ पेस और निकासी २ पौंड १ शिल्लिंग ५ पेस थी। परतु सन् १९०७ से आमद ७ पौंड २ शिल्लिंग १० पेस और निकासी ५ पौंड १५ शिल्लिंग हो गई। *

* यदि विशेष जानाना हो तो देखिए —

जर्मनी का व्यापार (१८६०—१९०७)

	१८६०	१९०७
एक मास की आमद	पौंड ५, ४७, ५०, ०००	पौंड ४४, ३०, ००, ०००
एक साल की निकासी	पौंड ७, ००, ००, ०००	पौंड ३५, ६०, ००, ०००

रहे हैं; परन्तु हमारा देश इसमें सदा की तरह पीछे ही पढ़ा हुआ है। जनसंख्या पर ध्यान देने से यह प्रतीत होगा कि गत सोलह वर्षों में जर्मनी ने जितने व्यापारी जहाज तैयार किए उससे पचगुने इर्लैंड ने बनाए हैं। इर्लैंड का विदेशी व्यापार इन्हीं के उत्कर्ष पर अवलबित है। ” इन विचारों के सामने जर्मनी को अब क्या करना चाहिए, यह किसे मालूम है !

सब से बड़े और अतिशय बेग से चलनेवाले जहाज, जैसे इर्लैंड में हैं वैसे अन्य देशों में अब भी नहीं पाए जाते हैं। जर्मनी के पास अवश्य कुछ जहाज ऐसे हैं, परंतु उनका टनेज (बोझ ले जाने की शक्ति) इर्लैंड के जहाजों के टनेज के बराबर ही है। बड़े और जलदी चलनेवाले जहाज तैयार करके समुद्री व्यापार बढ़ाने के काम में जर्मन राष्ट्र विपुल धन खर्च कर रहा है। इसी प्रकार बदरगाहों का सुधार और नए नए बदरगाह बनाने में भी वहाँ बहुत कुछ धन लगाया जा रहा है। समुद्र के किनारे पर अथवा बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर जो बदर हैं, उनको बढ़ा कर उनमें बड़े जहाजों को लाने की व्यवस्था करने की ओर जर्मनों का ध्यान लगा हुआ है। जहाजों के खड़े होने के लिये लकड़ी और पत्थर के घाट और उन घाटों पर आसानी के साथ खड़ी होनेवाली रेलगाड़िया, माल चढ़ाने और उतारने के यत्र, आदि सामान जर्मनी में इतने अच्छे हैं कि उन्हें देख कर मनुष्य चकित रह जाता है। जो नदिया समुद्र में सीधी जाकर मिली हैं, उनके किनारे पर के बदरों को अधिक उप-

योगी और काम का बनाने के लिये वहा बराघर प्रयत्न किया जा रहा है। राहन नदी के किनारे पर मनहिम नाम का एक नगर है। यह शहर कोल्न के दक्षिण की ओर करीब करीब १६० मील की दूरी पर है। वहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने अौदांगिक दृष्टि से, इस शहर का महत्व बढ़ाने के लिये, इतना धन खर्च किया है कि उसे देखकर यह बात सहसा मन में उत्पन्न हो जाती है कि जर्मन लोग जिस बात को मन में लाते हैं उस के सवंध में वे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। मनहिम के लोगों का किया हुआ प्रचड उद्योग और उस उद्योग से प्राप्त हुए यश को देखकर एलव, वेसर और ऑडर नदी के किनारे वसे हुए हमवर्ग, ब्रेमन और फ्रैकफोर्ट सरीखे शहरों ने भी उसी का अनुकरण किया है। यदि व्यापार बढ़ाना हो तो माल को लाने और ले जाने के साधन जितने अधिक और सरल होंगे उतना ही अधिक लाभ होगा, यह तत्व जर्मन लोग अच्छी तरह समझ गए हैं और इसी के अनुसार जिन दीन नदियों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनके किनारे रहनेवाले लोगों ने, पुराने घाटों को ठीक करने और नए घाटों को बनाने का उद्योग आरभ कर दिया है और बड़े साहसपूर्वक वे इस काम को कर रहे हैं।

पॉचवाँ अध्याय ।

व्यापार-व्यवसाय में विशेषता ।

वर्तमान काल में जर्मनी के व्यापार और वहाँ के उद्योग धर्घों की उन्नति की ओर इंग्लैण्ड के लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है। सगीत शास्त्र, काव्य, नाटक, तत्त्वज्ञान, इन विषयों का ज्ञान सपादन करने के लिये हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए और सारे समाज को यत्र सामग्री, कपड़ा और कपास देने का काम इंग्लैण्ड के स्वाधीन कर देना चाहिए, यदि ये विचार जर्मनवासियों के होते तो इंग्लैण्ड वासी जर्मन वासियों से प्रसन्न रहते। परन्तु “काव्य शास्त्रविनोदेन” अपना समयं व्यतीत न करके जिस उद्देश्यसिद्धि के लिये जर्मन लोग व्यापारी बने हैं उसी उद्देश्य प्राप्ति के अर्थ वर्तमान सापत्तिक स्थिति उन्होंने किन रूपायों से प्राप्त की, और उसकी मूल प्रेरणा कहाँ से हुई, इस विषय पर अग्रेजों को भी विचार करना परमावश्यक है।

पहले यह बात देखनी चाहिए कि वर्तमान समय में जो उद्योगप्रियता जर्मन लोगों में दिखाई देती है वह इंग्लैण्ड का उदाहरण आगे रख कर उनमें उत्पन्न हुई है अथवा क्या? परन्तु योद्धा सा भी विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जर्मन लोगों ने अग्रेजों की देखा देखी ही यह उन्नति का कार्य किया है। परन्तु अब अप्रेज लोग कर ही क्या सकते

हैं। जो शिक्षा उन्होंने दी उसी शिक्षा का अनुकरण किया जा रहा है। कुछ वर्ष द्वारा जब “कलोन गजट” नाम के एक समाचार पत्र ने अपने पाठकों को स्मरण कराया था कि “रेलगाड़ी, गैसवर्क्स, ट्राव, और यत्र सामग्री की दूकानें जर्मनी में खोलने का काम सब से पहले इंग्लैंड ने अपने हाथ में लिया था। उस काम में इंग्लैंड ने वहां करोड़ों रुपया खर्च किया। इस प्रकार जर्मनी की सापत्तिक सुधार का मार्ग अमेरिका ने ही आगे होकर ढूँढ़ निकाला”। इस पत्र ने जो बात लिखी है वह बिलकुल ठीक है और यह बात प्रमाण सहित साधित की जा सकती है। बर्लिन तथा इमर्गर्ग आदि बहुत से नगरों में इंग्लैंड ने पानी को इकठा कर दिया। अगरेजी भाषा से “ट्रावे” शब्द जर्मन भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाने लगा है। इस से यह साधित होता है कि जर्मनी में पहले पहल ट्रावे किसने जारी की। सूती और रेशमी कपड़ा येचनेवाली कई एक बड़ी बड़ी दूकानों के नाम अब भी इंग्लैंड है। दक्षिण जर्मनी में कपास के व्यापार का मुख्य स्थान मुलहासन (Mulhausen) है। उस नगर की एक बड़ी सड़क का नाम अब भी “मेंचेस्टर स्ट्रीट” कहा जाता है।

‘मेंचेस्टर चेम्बर आफ कामर्स’ की एक वैठक में जो १३ दिसंबर सन् १८३८ को हुई थी, मिं० रिचर्ड कावडेन ने जो भाषण किया था, वह अब भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगरेज जर्मनी में जाकर वहां साहसपूर्वक, निर्भयता के साथ, काम अपने हाथ में लेते

हैं और उनको उत्तमतापूर्वक करके बतला देवे हैं। परंतु यह दृश्या देखकर जर्मन लोग बुद्धिमान हो जायगे, और समय पाकर अगरेजों की अगुलियों को अगरेजों की ही आँखों में घुसेडने का प्रयत्न करने में वे कोई बात छठा नहीं रख सकेंगे। काबडेन की भविष्यवाणी के पश्चात् भी, बहुत बर्षों तक, अंगरेज लोग जर्मनी में आते जाते रहे। जब तक जर्मन लोगों को गरज थी, तब तक उन्होंने अंगरेज लोगों के साहस, बुद्धिमत्ता और धन से लाभ छठाया। परंतु जब शिष्य ने गुरु से अपना सारा मतलब निकाल लिया तब उसने अपनी आँखें फेर लीं। जर्मन शिष्यों के समान नरम परंतु उद्यमशील विद्यार्थी अंगरेज शिक्षकों को बहुत ही कम मिले होंगे। विद्यार्थीदृश्या समाप्त होते ही, उन्होंने, स्वतः साहसपूर्वक बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के काम अपने हाथ में ले लिए और अपने गुरु को बता दिया कि अब आपकी इस पाठशाला में आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को हर तरह पर योग्य हो गया देख, “शिष्यादिच्छेत्पराजयम्” इस वाक्य का अनुभव प्राप्त कर के गुरु जन भी धीरे धीरे अपने देश को वापस लौट आए। अपने कारखानों में, अपने देश के निर्वाह योग्य ही, सामान जर्मन लोग तयार करेंगे, आरभ में अंगरेज लोगों का यही अनुमान था। परंतु यह उनकी भूल थी। क्योंकि थोड़े समय में ही, उन्होंने, अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करके, अपना ध्यान, विदेशी व्यापार को हस्तगत करने की ओर आकर्षित किया। उन्होंने जो काम अपने देश में, हाथ में लिए थे, उनको अच्छी तरह कर लेने के कारण उन-

का साहस और भी अधिक बढ़ गया था । अतएव जो बाजार अबतक अगरेजों के हाथ में था, उसे उन्होंने उनके हाथ से निकाल कर अपने हाथ में लेने का प्रयत्न आरम्भ किया । इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली । अगरेज व्यापारियों को हटा कर जर्मन व्यापारियों ने अपना अधिकार जमा लिया । यह कार्य किस उच्चमता से किया गया, इसका विचार करने का ही यस हमारा यहाँ पर इरादा है ।

जर्मन राष्ट्र इस समय पूर्ण ऐश्वर्यशाली है । सभार की सापत्तिक स्पर्धा में वह अम-स्थान प्राप्त करना चाहता है और इस सकल्प की गृहि के लिये वह अपने उद्योग घरों और व्यापार की उन्नति में अपनी सपूर्ण शक्ति लगा देना अपना कर्तव्य समझता है, और जर्मनी की उन्नति का यही मूल मन्त्र है । व्यापार विषयक पहला सा उत्साह, आपह, अथवा-आदर वर्तमान समय में भी अप्रेज जाति में बना हुआ है अथवा नहीं, यह एक विचारणीय प्रभ है । जर्मनी की तो व्यापार की ओर लौ लगी हुई है । जब एक बार मनुष्य व्यापार में अपना पैर फँसा देता है तब वह अपनी सारी लाज, शर्म एक ओर रख कर रात दिन उसी की चिंता में मग्न रहता है । “व्यापार व्यवसाय कुछ बालकों का खेल नहीं है । कुछ दिन किया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया । और न व्यापार व्यवसाय सुख चैन की वस्तु ही है ।” ये विचार जर्मन व्यापारी मण्डल के हैं । अपने कार्य में यश सपादन किए हुए जर्मनी के व्यवसायी लोग, फिर वे चाहे कारखाने-बाले हों, अथवा व्यापारी हों, गर्मा की प्रचण्ड हवा में, समुद्र-

पर्याटन को निकलें चाहे किसी रम्य सरोवर के किनारे जाकर रहें, अथवा पहाड़ की ठढ़ी इवा में जाकर विश्राम लें, परतु अपने काम को वे कभी कहीं भी भुलाते नहीं हैं। कुछ देशों में 'बीकैण्ड' छुट्टी की जो रखाज चली आती है, वह उनकी राय से राष्ट्र की अवनति और कमजोरी का लक्षण है। साल में ग्यारह महीने, अपने कारखाने अथवा वैक या दूकान में घराघर काम करने पर भी वहाँ के लोग क्षण मात्र, अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते। व्यवसाय में यश सपादन करने के लिये उन्हें कैसा ही परिश्रम करना पड़े तो भी वे शातिपूर्वक सहजप्राप्त इस भाव से, बिना किसी प्रकार का आलस्य ग्रकट किए काम करते रहते हैं।

एक बात और है। उद्योग धर्षे की उन्नति में अप्रसर हुई जर्मनी की यह पहली ही पीढ़ी है, यह बात जो कही जाती है, सत्य नहीं है। उस देश में लोहे, फौलाद और शिल्पकला के कुछ कारखाने बहुत पुराने हैं। और कुछ व्यवसाय की दूकानें, फिर वे छोटी ही ख्यों ज हों, पचास, साठ और कोई कोई तो १०० वर्ष तक की पुरानी हैं। परंतु वर्तमान समय में जो उन्नति उन्होंने की है, उसके पैतौन का अभी कोई खिल नहीं दिखाई पड़ता।

हैं। साधारण समझ के अगरेजों का यह विचार है कि व्यापार एक गतानुगतिक न्याय से साध्य करने योग्य व्यवसाय है। परंतु जर्मन लोगों के मत से यह एक शास्त्र है। व्यापार एक कला है और उसे साध्य करने के लिये शास्त्रीय पद्धति से उसका अध्ययन करना चाहिए। ससार का सारा व्यापार पुरानी प्रतिस्पर्द्धा से, पीछे हटा कर अपने हाथ में लेने का उनका पूर्ण विचार है और उसकी प्राप्ति के लिये वे जिन उपायों की योजना करते हैं और जिस मार्ग का अवलम्बन कर रहे हैं, उसके मूल में एक मुख्य तत्त्व है। यह तत्त्व केवल व्यापार में ही नहीं है, अन्य प्रकार के वर्ताव में भी इसका उपयोग किया जाता है। वह तत्त्व यह है कि हर एक काम में चाहे वह नित्य का व्यावसायिक कार्य हो अथवा उससे भिन्न हो, चिकित्सा बुद्धि द्वारा पहले उसकी परीक्षा करनी चाहिए और पश्चात् उसे साध्य करने के लिये उद्योग करने में लगाना चाहिए।

स्थूल हाई से यदि हम विचार करें तो मालूम होगा कि औद्योगिक विषयों में जहा जहा जर्मनों ने अन्य लोगों पर प्रमुख जमाया वहा वहा उसके मूल में तीन कारण दिखाई पड़ते हैं—(१) जर्मन माल का अन्य देशों के माल की अपेक्षा सस्तापन, (२) उनका उत्तम प्रकार का अथवा प्रसगानुरूप उत्तम व्यवहार, (३) ग्राहकों को पैदा करके उन्हें अपने हाथ में रखने का प्रशसनीय ढग। इन बातों में माल का सस्तापन, यह विषय ऐसा है कि इस पर सब से पहले विचार करना चाहिए। इगलेंड के लोगों की अपेक्षा जर्मन लोगों की

रहन सहन देखी जाय तो उसमे कम आडबर दिखाई पड़ेगा। जर्मन मनुष्य चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम स्थिति का हो, अथवा अमीर हो, उसके व्यवहार में अधिक आडबर नहीं दिखाई पड़ेगा। अधिक परिश्रम न करके और न बहुत सा समय नष्ट करके इच्छानुसारे धन सर्च करके आनंद-पूर्वक जीवन व्यतीत करने का कार्य यद्यपि वहाँ आरभ हो गया है परंतु तो भी धनी लोगों की रहन सहन सादी और कम खर्चाली है। केवल आनंदपूर्वक सुखोपभोग के लिये अतर के चिराग जलानेवाले बहुत कम लोग वहाँ पाए जाते हैं। इसी कारण यदि जर्मन व्यापारियों को कम लाभ भी हुआ तो भी वे सहसा ढगमगाते नहीं। परंतु आगरे जव्यापारियों की दशा इससे विपरीत होने के कारण यदि खूब अधिक लाभ हुआ तो ही वे प्रसन्न रह सकते हैं। थोड़ा लाभ होने पर उनका ठाठ बाट का ससार चलता नहीं। इग्लैंड और जर्मनी में एक और बहुत बड़ा अंतर है, वह यह कि जर्मनी के कारीगरों और मजदूरों को इग्लैंड के कारीगरों और मजदूरों की अपेक्षा अब भी कम मजदूरी मिलती है। “हमें अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए, काम करने के घटे कम होने चाहिए” ये बातें अब कुछ दिनों से जर्मन मजदूर करने लगे हैं और कुछ सुधार भी हुआ है, परंतु इग्लैंड के हिसाब से जर्मन कारीगरों और मजदूरों को बेतन अब भी बहुत कम मिलता है और काम भी उनको अधिक और देर तक करना पड़ता है। परंतु इसी के साथ ही इतना अवश्य हुआ है कि बीमारी, अपघात, वृद्धावस्था आदि उपस्थित होने पर

कानून के अनुसार उनके जीवन का वीमा करा दिया जाता है। कारखानों में काम करनेवाले बालकों की शारीरिक दशा ठीक रहे, इसके लिये भी अब नियम बना दिए गए हैं। परंतु उपरोक्त विधयों में जितनी अच्छी व्यवस्था इग्लैंड में है, वैसी जर्मनी में नहीं है। परंतु व्यापार के अनुकूल दशा जैसी अब है वैसी ही बनी रहगी इस का अभी कोई भरोसा नहीं है। पेट भरने का रार्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और मजदूर पेशा लोगों की "सध-शक्ति" बढ़ती हुई "ट्रेडस यूनियन" के समान उनकी मत-सम्पत्ति तैयार होती जा रही है। ऐसी सम्पत्तियों के स्थापित हो जाने पर मजदूरों को यह घमड हो जाता है कि मालिकों को हमारी बात सुननी ही चाहिए। इसका अतिम परिणाम यह होगा कि माल तैयार होने का खर्च इग्लैंड के बराबर जर्मनी में भी पढ़ने लगेगा। परंतु इस विषय का विचार हम विस्तारपूर्वक एक अलग अध्याय में करना चाहते हैं क्योंकि सामोपाग विचार करने से ही इस विषय के समझने में सरलता होगी, यहां पर तो केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया है।

जर्मनी के कारखानों में यत्र सामग्री और व्यवसाय में काम आनवाला मामान, नवीन पद्धति से तैयार किया जाता है, यह यात्र और भी ध्यान में रखने चोर्ग्य है। नवीन पद्धति और शास्त्रीय शोध के आधार से तैयार किए हुए यथा आदि के से अलौकिक पदार्थ हैं, यदि यह किसी को देखना हो तो उसे जर्मनी के किसी छोटे या फौलाद के कारखाने में जा कर देखना चाहिए। वहां पर सब पदार्थों के देखने से जर्मन लोगों की

बुद्धि, उनका अधक उद्योग और कार्यकुशलता पर आश्रय हुए बिना न रहेगा । अगरेज भौद्वियों द्वारा तैयार किया हुआ लोहा (Pig-iron) जर्मन लोहे के सुकावले में कम दर्जे का होता है । जर्मनी का जो लोहा तीसरे नवर का है वह इंग्लैण्ड का पहले नवर का है । “ लदन टाइम्स ” में ७ अप्रैल सन् १९०६ को एक सज्जन ने एक लेख में यह बात प्रकाशित की कि इंग्लैण्ड के लोहे का नवर कम क्यों हो गया । उसने बतलाया था कि इंग्लैण्ड में लोहा तैयार करने की जो पद्धति पूर्वजों से चली आती है, वे उसी लक्षीर के फ़क्कोर बने हुए हैं । धातु-विद्या (Metallurgy) सबधी जो नवीन शाखा तैयार हुआ है उसी के अनुसार जर्मन लोग शाखीय नियम अनुसार अपने कारखानों को चलाते हैं और इसी कारण उनका नवर ऊचा हो गया है । उस लेखक का यह सिद्धात विचार करने पर सच प्रतीत होता है ।

यदि इस विषय पर और भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जायगी कि जर्मन कारखानों में कम लागत से लोहा तैयार होता है । इसका कारण यह है कि लोहा तैयार करने में जिन क्रियाओं को उपयोग में लाना पड़ता है, उन सब को एक इमारत में करने का प्रबंध करके, एक ही आदमी की निगरानी में वह सब काम कराया जाता है । इस बात को हम एक उदाहरण दे कर अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं । एक सुई को ही लीजिए । अशुद्ध लोहे को गला कर फिर उसका फौलाद बनाना, पञ्चात् सुई तैयार करना और बाद

को उस पर जिला करना, ये सब काम पहले अलग अलग कारखानों में होते थे। अर्थात् चार पाच कारखानों में नाच नाचने के बाद तभ कहाँ काम लायक सुई तैयार होती थी। एक कारखाने से दूसरे कारखाने में, लाने ले जाने में, खर्च भी अधिक पड़ता था। लाने और ले जाने का खर्च सब उसी माल की लागत पर चढ़ता था, परंतु जब यह सब काम एक ही इमारत में एक ही आदमी की निगरानी में होने लगा, तो समय और धन का जो अपव्यय होता था वह बद हो गया और इस प्रकार के प्रवध से कम लागत में ज्यादा माल तैयार होने से कम कीमत में वह बेचा जा सका और इससे छाम भी अधिक हुआ। यह एक छोटा सा उदाहरण है। इसी पर से अनुमान लगाया जा सकता है कि लोह की बड़ी चीजें जर्मन लोग किस तरह सस्ती तैयार करके सस्ते भाव पर बेच सकते हैं।

खर्च कम करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न स्थानों पर चलनेवाले कारखानों का एक स्थान पर लाने का क्रम धीरे धीरे प्रचार में आ जाने से “मिश्रित कारखाने” (Mixed Works) दिनों दिन वहां अधिक योग्य जान लग हैं। यदि इस प्रकार के कारखानों का उत्कृष्ट उदाहरण देखना हो तो कुप के कारखाने को जाकर देखना चाहिए। कई लोहे से काम की चीजें बनने तक लोहे के सारे सस्तार इसी एक कारखाने में होते हैं, उसके लिये कहाँ बाहर जाना नहीं पड़ता।

मिश्रित कारखाने खुल जाने से अलग जल्दी काम करनेवाले कारखानों का नाश हो रहा है यह बात सच है, परंतु उनका

नाम निशान मिट गया हो सो नहीं । हा, इतनी बात अवश्य है कि वर्तमान समय में शास्त्रीय शोध का उचित उपयोग किए बिना बड़े बड़े कारखानों का बे मुकाबला नहीं कर सकते, यह बात स्पष्ट है । परंतु हर्ष की बात है कि छोटे छोटे कारखानों के मालिक भी अब इस ओर ध्यान देने लगे हैं और इससे आशा है कि उन्हें लाभ अवश्य होगा ।

ऊपर जो तीन कारण बताए गए हैं, उनमें से एक कारण का विचार तो हो चुका, अब दो कारणों का विचार करना और बाकी है । किसी विडकुल नवीन शोध करने की शक्ति जर्मन लोगों के मस्तिष्क में अधिक नहीं है, यह बात सच है, परंतु यदि किसी दूसरे ने कोई नया शोध किया तो उसका उपयोग अपने काम में कर लेने की उनकी कुशलता प्रशंसनीय है । यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो मालूम होगा कि जिसमें इस प्रकार की कुशलता है, वही पुरुष असल शोध लगानेवाले की अपेक्षा, अधिक यश प्राप्त कर लेता है । क्या किसी नए अविष्कारकर्ता के धनाढ़ी होने का उदाहरण तलाश करने पर मिल सकता है ? दूसरे की कल्पनाओं को जाच कर यह निश्चय कर लेना कि कौन सी कल्पना अधिक उपयोगी साधित होगी, वह इतनी चतुरता होने से ही काम चल जाता है । उस कल्पना को अपने कार्य में उपयोग कर के देखने से उसे साध्य करके बता देने पर कार्यसिद्धि अवश्य प्राप्त होती है ।

बुनाई के काम, यत्रशाख और रसायन शास्त्र की ही आज कल जर्मनी में अधिक उन्नति है । इनमें प्रवीणता प्राप्त करने

का भेय कल्पना करनेवालों की बुद्धिमता और शोध करने-चाले को जितना मिलना चाहिए उतना देकर उसका उनयोग जिस ढग से जर्मनी ने किया है, उसे देना चाहिए । ज्यापारिक दृष्टि से रसायन शास्त्र का कितना महत्व है, यह बात अंगरेजों के ध्यान में न आने के कारण इग्लैंड की कितनी अधिक हानि हुई है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और भविष्यत् में इस हानि की पूर्ति शीघ्र की जा सकेगी, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता । इग्लैंड के रग के कारखानों की ओर देखिए । वहाँ के रगरेज प्राचीन पद्धति के अनुमार ही कार्य किए चले जा रहे हैं । रसायन शास्त्र का ज्ञान उनको बिलकुल नहीं है । एक समय इग्लैंड में विशेष प्रकार के रँगे हुए कपड़ों की जखरत आ पड़ी । उन्हें तैयार कर देने के लिये एक अधिकारी ने प्राचीन पद्धति से कपड़ा रगनेवालों से कहा कि—“क्या तुम ये कपड़े नमूने के मुताबिक रँग कर दे सकते हो ?” उसने उत्तर दिया—“नमूने के मुताबिक बिलकुल नहीं तो करीब करीब नमूने के बराबर तैयार करके दे सकता हूँ ।” तब अधिकारी ने कहा—“नहीं, हमें तो नमूने के मुताबिक ही रँगा हुआ कपड़ा चाहिए ।” रँगनेवाल ने उत्तर दिया—“नमून में जो छटा है उसे मैं नहीं ला सकूँगा, पर काम देखने में अन्तर होगा ।” इस पर वह काम परदेशी रँगनेवालों को दिया गया । यह बात कुछ बहुत दिनों की नहीं है ।

रासायनिक पदार्थ तैयार करने के कारखानों में, जर्मन चोग शास्त्रीय पद्धति का पूरे तौर पर व्यवहार करते हैं, और

आश्रयदाताओं की मर्जी के अनुसार कार्य संपादन करने के लिये जर्मन व्यापारी सदा तैयार रहते हैं। व्यापार के लिये बहुत से परदेशी व्यापारी जर्मनी में पहुँचते हैं। इन लोगों को थोड़ी बहुत जर्मन भाषा अवश्य आती है परतु जर्मन व्यापारी परदेशी व्यापारियों से उन्हीं की भाषा में बात चीत करके उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं, उनके देश में चलनेवाले सिक्के, माप, तौल आदि में अपने माल की कीमत बताते हैं। यदि पत्र-व्यवहार का काम पढ़े तो पत्र व्यवहार न करके स्वयं उन के पास जाते हैं अथवा ग्राहक की भाषा जाननेवाले अपने किसी गुमाश्ते या एजेंट को भेज कर काम करा लेते हैं। तात्पर्य यह है 'कि जो ग्राहक मिला, उसे किसी तरह हाथ से जाने नहीं देते। परतु अगरेज व्यापारियों के इस सिद्धातानुसार कार्य न करने से जर्मनी की अपेक्षा इंग्लैण्ड का माल विदेश में कम खपने लगा, इसमें आश्वर्य ही क्या है !'

अब यह बात पाठकों पर स्पष्ट रूप से विदित होगई होगी कि जर्मन व्यापारियों में कौन से विशेष गुण हैं जो इंग्लैण्ड व्यापारियों में नहीं हैं। ये गुण देखने में तो छोटे मालूम पड़ते हैं परतु इन गुणों के सम्मेलन का उत्तम प्रभाव पढ़े बिना नहीं रहता। अब तक की विवेचना से पाठक यह न समझे कि जर्मन व्यापार की इतनी अधिक सज्जति होने पर भी वे लोग अगरेजों के काम को आदर-बुद्धि से नहीं देखते। व्यापार-व्यवसाय का मार्ग इंग्लैण्ड ने ही आरंभ में उनके लिये हूँढ़ निकाला, यह बात जर्मन लोग सूक्ष्म अच्छी तरह जानते हैं और इस संघर्ष में वे अगरेज

लोगों को पूज्य बुद्धि से भी देखते हैं। इगलैंड के उदाहरण को आगे रख कर काम करनेवाले अब भी कुछ कम लोग वहां नहीं हैं। गुरुस्थानी देश से मुरुद्रोह करनेवाला जर्मन व्यापारी शायद कोई विरला ही दिखाई पड़ेगा ।

ऊपर जिन तीन कारणों का उल्लेख किया गया था, उन पर विचार हो चुका । अब एक और दूसरे महत्त्व के विषय पर विचार करना है। जर्मनी की भिन्न भिन्न रियासतों को स्वयं सार्वभौम सरकार की ओर से उद्योग धधों और व्यापार को उत्तेजना देने योग्य व्यवहारोपयोगी सहायता दी जाती है, यह बात खास तौर पर ध्यान देने योग्य है। विदेशी राज्यों में रहनेवाले जर्मनी के राजकीय दूत अवसर पड़ने पर—परंतु लोगों की आँखें घचा कर—व्यापार को सहायता पहुँचाते हैं। सरकार-राजस्व कर के नियम सरकार ने बनाए हैं। उनको एक भी रख कर यदि देखा जाय तो देश की रेलों को सरकार ने अपने हाथ में रखा है। इससे व्यापार और रेती दोनों को अधिक लाभ पहुँचता है। यदि विशेष प्रकार की कोई कठिनाई आ जाय तो सरकार रेलवे के किराए में तुरत फेरफार करके उस कठिनाई को दूर कर सकती है। विदेश जानेवाले माल पर आसानी के साथ बसू़ल होने योग्य कर लगाया जाता है जिससे देश का माल विदेश भेजा जाकर लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था से व्यापार को अधिक उत्तेजना भिलती है। वहां पर जो गैर सरकारी रेलवे कपनिया हैं, वे सब इस बात की ओर दुर्लक्ष्य नहीं देतीं। आपस के झगड़ों का

निना किसी पक्षपात के केवल देश के लाभ और सचाई की दृष्टि से तुरत प्रबंध कर दिया जाता है ।

व्यापार को उत्तेजना देने के लिये देश में ही जल्ल मार्ग तैयार करने के लिये सरकार का विशेष ध्यान है । इस काम को बहुत फरके सरकार ही करती है । निज के तौर पर लोग इस काम में हाथ नहीं डालते । उच्चरी समुद्र और वाल्टक समुद्र को एक करने के लिये जो कील नहर तैयार हुई है, उसे सरकार ने ही बनवाया है । यह नहर सन् १८९१ ई० से व्यापार के लिये खुल गई है । कील के समान बड़ी नहर बनाने का काम केवल व्यापारोन्नति के लिये सरकार ने अपने हाथ में लिया था, ऐसे उदाहरण अन्य देशों में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होते हैं । राइन व एल्ब नदी से बड़ी बड़ी नहरें निकालने का काम प्रशिया में अब भी जारी है । लाघों नपए लगा कर, छोटी छोटी बहुत सी नहरें देश के सब भागों में प्रशिया से निकाली गई हैं । इंग्लैंड में इस प्रकार की नहरें नहीं हैं, यह बात नहीं है, परन्तु इंग्लैंड की नहरों में बड़े बड़े जहाज आ जा नहीं सकते, जर्मनी की नहरों में वे जहाज आसानी से आ जा सकते हैं । दोनों देशों की नहरों में यही महत्व का अंतर है ।

कारखानेवालों और व्यापारियों को शिक्षा देने के लिये सार्वभौम सरकार और रियासतों की ओर से जगह जगह पर औद्योगिक प्रदर्शनिया होती हैं । किसी किसी रियासत में तो ये प्रदर्शनिया स्थायी कर दी गई हैं और कहीं चलती फिरसी रक्खी गई हैं । “प्राढ़ छची आफ हेसी”

एक सब से छोटी रियासत है। यहा की आवादी भी बहुत कम है, और वहां शहर तो रियासत भर में एक ही है। परन्तु वहां पर सन् १८३६ से “सेंट्रल ऐजेंसी फार इंडस्ट्री” नाम की एक औद्योगिक संस्था है। राष्ट्र को औद्योगिक और व्यापारिक जो कुछ चांत जाननी होती हैं, वे इस सभा द्वारा तुरत जानी जा सकती हैं। भारत में इस संस्था का प्रचार बहुत कम था। परन्तु जितनी उपयोगिता प्रमाणित होती गई उतना ही अधिक इसका प्रचार होता गया और राष्ट्र में इसका प्रभाव भी बढ़ता गया। औद्योगिक शिक्षा किम पद्धति से दी जाय, इस विषय का ज्ञान अन्य भिन्न भिन्न संस्थाएँ इससे प्राप्त करती हैं। संस्था के पास एक बहुत पढ़ा पुस्तकालय भी है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक पदार्थ संग्रहालय और रासायनिक प्रयोगशाला भी हैं। सन् १९०६ में सेंट्रल ऐजेंसी की निगरानी में १३६ औद्योगिक पाठशालाएँ थीं। अर्थात् जनसंख्या की दृष्टि से एक हजार लोगों के पीछे एक पाठशाला थी। इस प्रकार की संस्थाएँ प्राय सब रियासतों में पाई जाती हैं और वे अपना काम बड़ी उत्तमता के साथ चला रही हैं।

इस विषय में जितनी उत्तेजना देना मन्भव है उतनी जर्मन सम्राट् की ओर से दी जाती है। सन् १९०७ में जो भाषण सम्राट् ने मेमेल स्थान पर दिया था उसका सारार्थ नीचे दिया जाता है। पाठकों को उसे पढ़ने से यह ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय अभिमान और महत्वाकांक्षा श्रोताओं के मन में जाप्रत करने का गुण जर्मन सम्राट् में कितना मौजूद है—

“नवीन अस्तित्व में आए हुए जर्मन साम्राज्य ने इतने थोड़े समय में सब प्रकार का सुधार कर लिया, इसकी कल्पना करना भी सहज नहीं है। इस सुधार की दृढ़ता को देखकर विदेशी बड़ा आश्र्य करते हैं। हमारे व्यापार का विस्तार बड़ा विस्मयकारक है। भिन्न भिन्न शास्त्रों और शिल्प कलाओं में जो हम लोगों ने शोध किए हैं वे बखान करने चोग्य हैं। जर्मनी की भिन्न भिन्न जातियों के लोग परस्पर के भेदभाव को भुला कर अपनी जन्मभूमि के अभ्युदयार्थ एक साम्राज्य में सम्मिलित हुए, यह सब उसी का प्रभाव है। ससार में अप्रस्थान मिलने की जितनी शक्ति हम लोगों में बढ़ती जायगी यह सब ईश्वर का कृपा का फल है, यह बात राष्ट्र के सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। यदि ईश्वर की ऐसी इच्छा होती कि हम लोगों के हाथ से कोई महत्कार्य न हो, तो उसने हम लोगों को इतनी शक्ति प्रदान न की होती।”

चदोग-व्यवसाय, व्यापार, जहाज तैयार होना आदि सब चातों की ओर जर्मन सम्राट् का ध्यान लगा रहता है। सारे राष्ट्र में, धूम फिर कर बड़े बड़े कारखानों को अपनी आखों से देखना और वहां के सारे हाल जानना यह उनका सदा का नियम है। समुद्र के किनारों पर जो जहाज बनाने के कारखाने हैं, उनका सारा हाल उन्हें मालूम रहता है और व्यापारी जहाज कारखानों में कितने तैयार होते हैं, इस ओर उनका सदा ध्यान रहता है।

राष्ट्रीय सापत्तिक स्थिति सुधारने के काम में सरकार से बहुत प्रोत्साहन मिलता है तो भी व्यापारी लोग सतुष्ट हो

कर भ्रातुर्सी बने बैठे नहीं रहते । स्वावलम्बन के महत्व से वे पूरे तौर पर परिचित हैं । प्राय सब बड़े बड़े शहरों में और उद्योग-धर्घों में लगे हुए प्रातों में “चेंबर आफ कामर्स” नाम की सभाएँ कायम हैं । इन सभाओं का पत्र-व्यवहार सरकार और रेलवे कपनियों के साथ बराबर होता रहता है । इन सभाओं की अतरव्यवस्था में सरकार विलकुल हस्तक्षेप नहीं करती । परतु सरकार का इनसे विलकुल निकट का सबध होने से व्यापार के महत्व के विषयों में परस्पर विचार और सलाह देने का कार्य इनके द्वारा होता रहता है । इस कारण इन चेंबरों का परराष्ट्रों में अधिक प्रभाव है । उनके द्वारा जो समाचार प्रकाशित होते हैं वे कभी असत्य प्रमाणित नहीं होते, ऐसा व्यापारी संसार को भरोसा है । इंग्लैंड में इस प्रकार की संस्थाएँ सरकार के साथ एकमत होकर काम नहीं करतीं इसी ऊरण विदेश में उनके कथन की सज्जाई पर पूरा पूरा भरोसा नहीं किया जाता । कुछ वर्ष हुए जब सयुक्त-राज्य अमेरिका के सेंक्रेटरी आफ स्टेट ने स्पष्ट तौर पर कहा था —“ जर्मनी की चेंबर आफ कामर्स के कथन पर जितना विश्वास हम रखते हैं उतना विश्वास इंग्लैंड की चेंबर आफ कामर्स के कथन पर करना अनुभव से हम असम्भव समझते हैं । ”

हर एक रियासत की चेंबर आफ कामर्स के नियम अलग अलग हैं तो भी काम करने की पद्धति प्राय समान है । व्यापार सबधी हर तरह का समाचार प्राप्त करना और फिर लोगों में उसका प्रचार करना, व्यापारियों के कष्टों और

अभावों को सरकार और रेलवे कंपनियों के अधिकारियों के पास पहुँचाता और उनके काम का निपटेरा करा देना, कस्टम ड्यूटी अथवा अन्य करों पर, जो व्यापार को हानिकारक होते हैं ऐतिहासिक रखना, वैंकों से सरलतापूर्वक व्याज की दर से व्यापारियों को धन कर्ज दिलाने का प्रबंध कर देना, इत्यादि हजारों तरह के व्यापारोन्नति संबंधी काम, इन संस्थाओं द्वारा होते रहते हैं। उन्हें अपना ही काम इतना अधिक रहता है कि उन सभाओं के सभासदों को राजकीय विषयों पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। व्यापार विषयक मामलों में ही वे राजपक्ष अथवा उसके विपक्ष में जा कर सम्मिलित होते हैं। परतु वह कान हो जाते ही वे राजकीय क्षेत्र से हट जाते हैं और यह समझने लगते हैं कि “हम अच्छे, हमारा काम अच्छा।” इन सभाओं में बर्लिन की सभा बहुत बड़ी है। वह सारे समार भर में व्याप्त हो रही है। चैबर आफ कामर्श की सहायता करने के लिये बड़े बड़े शहरों में “इंडस्ट्रियल एसोसियेशन” कायम किए गए हैं। विदेश में व्यापार करनेवाले लोगों ने अपने लिये “एसोसियेशन आफ एक्सपोर्ट फर्म” नाम की सभाएँ खोली हैं। ये सभाएँ प्रशिया और मध्य जर्मनी में ही बहुतायत से पाई जाती हैं। स्टेटिन में आज कई व्यापारियों से एक बहुत बड़ी संस्था कायम की गई है। यह संस्था विदेश जाने के लिये युवकों को व्यापार विषयक शिक्षा दे कर उन्हें बृटिश उपनिवेशों, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में अपने खर्च से भेजती है। भेजने के पहले हर एक युवक को

संस्था के प्रेसिडेंट के सामने उनका हस्तस्पर्श करते समय यह शपथ खानी पढ़ती है कि “जो विश्वास मुझ पर किया गया है उसका दुष्पर्योग मैं कभी नहीं करूँगा । संस्था के कल्याणार्थ, मैं बराबर काम करूँगा ।” यह शपथ खान के बाद वह विदेश भेजा जाता है । विदेश जा कर वहाँ की स्थिति पर उसे सदा ध्यान रखना पड़ता है । निश्चित समय के अदर स्टेटिन के व्यापार की वृद्धि का क्या कार्य वहाँ किया, इसकी रिपोर्ट उसे भेजनी पड़ती है । इस प्रकार विदेश में गए हुए दलालों के कठिन परिश्रम द्वारा उस नगर का विदेशी व्यापार खूब बढ़ गया है और इस कारण संस्था के सचालकों को इस बात का विश्वास हो गया है कि जो नवीन युक्ति हम लोगों ने निकाली है वह उपर्योगी सावित हुई है ।

यदि कोई रोजगार लाभदायक समझ पड़े तो किर उसका पीछा अवश्य करना चाहिए, व्यापार का यह तत्व सारे जर्मन लोगों ने मान लिया है । गत पचीस तीस वर्षों में जर्मनी का विदेशी व्यापार जितना बढ़ा है यदि उसे कोई जर्मनी के कारखानेवालों के दीर्घ परिश्रम अथवा उपयाग का फल न कह कर ईश्वर इच्छा से बढ़ा कहे तो यही कहना पड़ेगा वह मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं सका है कि जर्मनी ने व्यापार में जो यश सपादन किया है, उसका मर्म क्या है ।

बर्लिन में सरकार ने “कलोनियल स्कूल” नाम का एक विद्यालय खोल रखा है । जो उत्साही युवा पुरुष रेती अथवा व्यापार के लिये जर्मन उपनिवेशों में जाकर रहना चाहते हैं,

उन्हें उस विद्यालय में विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में रहनेवाले विद्यार्थियों का खर्च प्रति वर्ष चालीस पौँड से साठ पौँड तक पड़ता है और बाहर रहनेवाले विद्यार्थियों पर पंद्रह पौँड से तीस पौँड तक खर्च पड़ता है। यह खर्च विद्यार्थियों को होनेवाले लाभ की अपेक्षा बहुत कम है।

व्यवसाय और व्यापार यदि करना है तो सभी को करना चाहिए, अगरेज लोगों के ऐसे विचार हो रहे हैं। परतु यह विचार ठीक नहीं, यह सिद्ध करने के लिये एक प्रतिस्पर्धी वर्तमान काल में उत्पन्न हो गया है। पर प्रतिस्पर्धी कितना उद्योगी है और अगरेजों को पीछे ढकेल देने के लिये कौन कौन से उपायों की उसने योजना की है, यह बात अब तक बतलाई गई है। इस प्रतिस्पर्धी के जो दीर्घ प्रयत्न जारी हैं वे शिथिल पढ़ जायगे अथवा वे अपनी कल्पना का ही त्याग कर देंगे, यदि अगरेज लोगों के ऐसे विचार हैं तो वे अवश्य उसके जाल में फँस गए हैं। जर्मनी का यह प्रभाव देख कर अगरेजों को अब चुप चाप आँखें बद कर के बैठने का समय नहीं है। हाँ, यह सच है कि जब तक इर्लैंड को कुशल, हृषिक्षणी और सपन्तिवान पुरुषों का सहारा है तब तक भय का कोई कारण नहीं है परतु समय गर ही सावधान हो जाना अच्छी बात है।

छठा अध्याय ।

औद्योगिक शिक्षा ।

जर्मनी के प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की पहले यह समझ थी कि सार्वजनिक शिक्षा की ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। परतु यह विचार ठीक न था, इसे अब सारे राष्ट्र समझ गए हैं। पर अपनी भूल समझने में उन राष्ट्रों को बहुत समय लग गया। परतु जर्मन राष्ट्र की समझ में यह बात बहुत समय हुआ तभी आ गई थी और वहाँ सर्व साधारण की शिक्षा का काम नियमानुसार सरकार की देख रेख में होने लगा था। इससे जर्मन लोगों को बहुत लाभ पहुँचा। परतु इस लाभ का महत्व उन्हें उस समय और भी अधिक ज्ञात हुआ जब उद्योग युग का आरम्भ हो कर जर्मनी का माल विदेशों में बहुतायत के साथ जाने लगा और उसमें उन्हें स्पष्ट रूप से अधिक लाभ दृष्टिगोचर हुआ। पचीस तीस वर्ष के पहले अर्थात् उद्योगयुग के आरम्भ में व्यापारोपयोगी शास्त्र—रसायन शास्त्र—की उपयोगिता का लोगों को ज्ञान ही हुआ था और सप्तति उत्पादन में विजली की शक्ति का उपयोग करके जो चाह वह काम उस से लिया जा सकता है, यह बात अनुभव में आने ही लगी थी कि जर्मनी ने इनके द्वारा लाभ उठाने का कार्य आरम्भ कर दिया। परतु शिक्षा में पीछे पड़े हुए अन्य यूरोपियन

राष्ट्रों को इस नवीन ज्ञान का बहुत समय तक पता ही न लगा। इस कारण उनकी दशा बहुत समय तक ज्यों की त्यों बनी रही। जर्मनी ने शिक्षा सबधी तैयारियों पहले से ही कर रखी थीं। अतएव समय अनुकूल आते ही जर्मन लोगों ने सारे ससार का व्यापार हस्तगत करने का उद्योग आरभ कर दिया और अन्य राष्ट्रों के साथ प्रतिद्वंदिता करने के लिये अपनी कमर कस कर वाँध ली। जिस प्रकार किसी सेनापति की आज्ञा पाते ही सेना कमर कस कर निकट आती है उसी प्रकार कला कौशल सबधी कालेजों से शिक्षा पाकर डाइरेक्टर, इजिनियर, रशायन-शास्त्रवेचा आदि औद्योगिक जगत में इधर उधर तैयार दिखाई पड़ने लगे। नवीन शास्त्रीय शोधों के ध्वन शब्दों से ये लोग सुखाजित थे, और किस अस्त्र का कहाँ प्रयोग करना चाहिए यह अमोघ मत्र उनके गुरु न उनके कान में फूँक दिया था। सैनिक भाषा छोड़ कर साधारण भाषा में कला कौशल की शिक्षा देनेवाले कालेजों ने नवीन उद्योग युग का आरभ करके देश का बहुत कुछ हितसाधन किया। इन कालेजों के काम में आरभिक पाठशालाओं से पूरी पूरी मदद मिली। नए उद्योग धर्धों के कारखानों में काम करने योग्य जितने आदमियों की आवश्यकता होती, उन्ने इन पाठशालाओं से आसानी के साथ मिल जाते थे। इन पाठशालाओं में केवल प्रारभिक शिक्षा ही उदार मत के शिक्षकों द्वारा दी जाती थी, इस कारण विद्यार्थियों में बुद्धि का विकास और कुशाप्रता अधिक आ जाती थी। प्रारभिक शिक्षा देनेवाली पाठशा-

शालाओं की आगे की सीढ़ी कटिन्युयेशन (Continuation) पाठशालाएँ थीं। इन पाठशालाओं का दूसरा नाम “प्रोफेशनल” अर्थात् औद्योगिक पाठशाला भी है। इन पाठशालाओं म सब प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर विद्यार्थियों के हाथ से कारखानों के उपयोगी सब काम कराए जाते हैं। इसी कारण इन पाठशालाओं स सीखे हुए विद्यार्थीं किसी कारखाने में जाकर ऊचे से ऊचे दर्जे का काम अपने हाथ में लेकर और उसे सफलतापूर्वक कर के बता सकते हैं।

जर्मनी ने अपने यहाँ शिल्प कला की शिक्षा का प्रबंध कर के बहुत ही अधिक लाभ उठाया और इसकी सहायता स बहुत शीत्रता के साथ जर्मनी की उन्नति हुई और इस उन्नति को अब स्थिरता प्राप्त हो रही है। भविष्यत् में जो औद्योगिक युद्ध संसार में होनेवाला है और जिसकी तैयारियाँ जर्मनी में बराबर हो रही हैं, उसके लिय अन्य राष्ट्र देखते हुए भी हाथ पर हाथ रखने वैठे हैं, यह बात ध्यान रखने योग्य है। जर्मनी की जिन बड़ी खड़ी औद्योगिक पाठशालाओं का नाम अधिक प्रसिद्ध है उनमें से कुछ तो पचास साठ वर्ष पहले की हैं और कुछ की स्थापना हुए सौ वर्ष ब्याप्ति हो गए हैं। वर्तमान काल में इन पाठशालाओं की सख्त्या खूब बढ़ी है। वहें वहें शहरों में उनका होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है परन्तु विलकुल छोटे छोटे गाँवों में भी वे पाई जाती हैं और वहाँ उद्योग-घरों और कला कौशल की

खर्च की अपेक्षा लाभ कुछ कम नहीं होता है। इग्लैंड की लोकोपयोगी संस्थाओं में से कुछ संस्थाओं का खर्च बहुत ही अधिक है। इग्लैंड में यह एक नियम सो हो गया है कि बड़े घड़े कामों का स्वरूप भी बड़ा होना चाहिए, परंतु इसका परिणाम यह होता है कि आरंभ में ही अधिक खर्च हो जाने से उस काम के विगड़ने में कुछ देरी नहीं लगती। यदि उस काम में यश भी प्राप्त हुआ तो समय भी बहुत लगता है। जर्मनी में औद्योगिक शिक्षा के लिये अनेक पाठशालाएँ और कालेज मौजूद हैं। परंतु खर्च अधिक न होने पावे और न उसकी उपयुक्तता नष्ट हो जाय, इस विषय की बड़ी खबरदारी रखती जाती है। इन संस्थाओं में केवल लखाव दिखाव के आदमियों को आश्रय नहीं मिलता। शिक्षक लोग पहले दर्जे के व्यवहार-कुशल होते हैं। उच्च कोटि के प्रोफेसरों को जो वेतन वहाँ मिलता है उसे जान कर इग्लैंड में उसी प्रकार का काम करनेवाले अध्यापक मुँह सिकोड़ते हैं। प्राय सारे जर्मन प्रोफेसर उतने ही वेतन में सतुष्ट रहते हैं और वेतन देनेवाले अधिकारी भी यह नहीं समझते कि इतना वेतन दें कर हम इन विद्वानों को भूखों मार रहे हैं अथवा इनका अपमान कर रहे हैं। इमारत कारखानों में काम करने वाले मुख्याधिकारी को जर्मनी में दो सौ दस पौँड से ले कर तीन सौ दस पौँड तक वेतन मिलता है। इसी प्रकार युनिवर्सिटी से शिक्षा पाए हुए इजिनियरों को १७५ पौँड से २६० पौँड तक सालाना वेतन मिलता है। यह वेतन और इस वेतन के अनुसार काम को देख कर

अगरेज लोग विलक्षुल लाल हो जाते हैं, और यदि कोई यह प्रयत्न करे कि जर्मनी में जिस काम के लिये जिवना बेतन दिया जाता है, उस काम के लिये उतना ही बेतन इंग्लैण्ड में भी दिया जाय तो उस औद्योगिक कार्य से सबध रखनेवाले समाचार पत्र उस पर कुवाच्यों की वर्णा करने लगते हैं और सभय पड़ने पर कुछ सभासद कामस सभा में सरकार से प्रश्न करने से भी कभी नहीं ढरते। जर्मनी के किसी प्रात में भी अध्यापकों का बेतन अधिक नहीं है। परंतु युनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उन्हें जहाँ चाहे वहाँ काम मिल जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि आदमियों की जितनी माँग होती है उसी के अनुसार लोग घरावर मिलते जाते हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण औद्योगिक पाठशालाओं के लिये उच्च कोटि के शिक्षक योग्य बेतन पर जितने चाहिए उतने सभय पर मिल जाया करते हैं। इस पर से अगरेज प्रोफेसरों को मिलनेवाला बेतन, उनकी योग्यता से अधिक होता है, यह बात नहीं है। परंतु बात यह है कि जर्मनी में औद्योगिक शिक्षा की सम्भालों को इससे विशेष और महत्व का लाभ प्राप्त होता है। इस कारण ऐसी सम्भालें स्थापित करना और उनके लिये खर्च करना, उस दण के लिये बहुत सहज काम हो गया है।

‘ औद्योगिक शिक्षा की बड़ी बड़ी सम्भालों द्वारा होनेवाले काम को क्षण भर के लिये एक और रस्ता कर खिलकुल साधारण और कम खर्च से चलनवाली तथा महत्वपूर्ण काम फरने-वाली सम्भालों की जर्मनी में कभी नहीं है। जाहे के दिनों

में, सध्या के समय छोटी सी पाठशाला में, तेल के प्रकाश में, पढ़नेवाले गाँव के लड़कों द्वी शिक्षा देने, चलती फिरती प्रदर्शनिया और प्रात श्राव में लोगों के मन में महत्वाकाशा उद्दीप्त करने योग्य हाथ की बनी हुई वस्तुओं के नमूने दिखाने, पहाड़ी प्रदेश के लोगों के घरों पर ही साल में छ महीने रह कर उन्हे औद्योगिक शिक्षा देने, आदि कार्मों को गाव गाव और घर घर, घूम कर, जो औद्योगिक शिक्षा का मूल तत्व उत्कृष्ट रीति से बताते फिरते हैं, उन शिक्षकों का काम कितने महत्व का है, यह बात विचार करने योग्य है । जर्मनी में औद्योगिक शिक्षा को जो स्वरूप प्राप्त हुआ है उसमें विशेष न्यान रखने योग्य बात शिक्षा की व्यापकता है । इस व्यापकता से किसी प्रकार का व्यवसाय, वह कितना ही छोटा क्यों न हो, बाहर नहीं रह सकता । शिक्षा पाए बिना, व्यवसाय करने की अपेक्षा, शिक्षा प्राप्त करके व्यवसाय करना, अधिक हितकारी है, यह बात जान लेने पर शिक्षाप्राप्ति की कठिनाइया बिलकुल मौत्तूम नहीं पड़ती । क्योंकि सब प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा देने की पाठशालाएँ वहाँ मौजूद हैं । जर्मन शिक्षा की यह व्यापकता प्रशसनीय और अनुकरणीय है ।

औद्योगिक शिक्षा महत्व की है और आवश्यक है, जर्मनी का यह राष्ट्रीय विद्यास कितना दृढ़ है यदि इसका कोई उदाहरण देखना चाहे तो किसी बड़े प्रात की किसी संस्था में जाकर देख सकता है । क्योंकि प्रत्येक प्रात में इस विषय में कुछ न कुछ विशेष गुण दिखाई पड़ेंगे । प्रशिया की औद्योगिक पाठशालाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं ।

चालोंटिनवर्ग का रायल टेक्निकल कालेज, (जहां सैकड़ों शिक्षक काम करते हैं) और क्रेफेल्ड की बुनाई की पाठशाला देखने योग्य हैं। परंतु सेक्सन, वरेरिया, बुटेवर्ग और वेडन की पाठशालाएँ ऊपर घताई हुई पाठशालाओं से भी उच्च कोटि की हैं। सेक्सन की पाठशाला उस प्रात के निवासियों और पाठशाला से काम सीख कर जानेवाले लोगों की सहायता से ही चल रही है। स्यावलवन की दृष्टि से भी यह बात बड़े महत्व की है। अतएव इसका उल्लेख हम यहां पर जरा विस्तारपूर्वक करना चाहते हैं।

सेक्सन में, औद्योगिक शिक्षा ही लोगों की जीवन मूरि बन रही है। इरना ऐक्यभाव जर्मनी में अभी अन्यत्र नहीं दियाई पड़ता। परंतु इसके लिये आश्वर्य करने की कोई वात नहीं है। क्योंकि इस प्रात के फ्रेवर्ग में सब से पुरानी औद्योगिक पाठशाला सन् १७६६ में खोली गई थी। इसके तीन वर्ष बाद ही सेक्सन लोगों ने अनिवार्य शिक्षा के तत्व को स्वीकार कर लिया था। परंतु इस तत्वानुसार शिक्षा का कार्य होने में बहुत समय लग गया और सन् १८०५ से नियमानुसार काम हुआ। इसी प्रकार चेमनिट्स (Chemnitz) शहर में १७९६ में एक औद्योगिक पाठशाला खोली गई। और उन्नीसवीं सदी का भारभ होने पर, जीव ही कुछ वर्षों में और भी तीन पाठशालाएँ खोली गईं। कहने का तात्पर्य यह है कि सेक्सन में औद्योगिक शिक्षा का अच्छा प्रचार प्राचीन समय से ही है।

सेक्सन प्रात में चार प्रकार की पाठशालाएँ हैं। प्राय

भिक (पूर्वभाग) अर्थात् प्राइमरी, प्राथमिक (उच्चर भाग) अर्थात् "कटिन्युएशन", मध्यम अर्थात् "मिडिल" और शेष अर्थात् "हायर"। परतु वहा की पाठशालाओं की शिक्षा कितनी ही उच्च हो, तो भी प्राथमिक शिक्षा की उच्चता से ही उच्च शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से सपादित होता है। अन्य पाठशालाओं को एक और रख कर केवल औद्योगिक पाठशालाएँ ही वहा ३६० के करीब पाई जाती हैं और उन पाठशालाओं में भिन्न भिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। सन् १९०५ में इस प्रात की जनसंख्या ४५ लाख थी। अर्थात् तेरह हजार मनुष्यों के लिये एक औद्योगिक पाठशाला थी। जर्मन साम्राज्य की आवादी का इह हिस्सा सेक्सन की आवादी थी। यह बात सन् १८७१ की है। परतु सन् १८७१ से १९०५ में वहा जनसंख्या ७६ ४ सैकड़ा के हिसाब से बढ़ गई। परतु जहा सेक्सन की आवादी में इतनी अधिक वृद्धि हुई वहा प्रशिया में केवल ५१ १, वेरिया में ३४ २, बुटेवर्ग में २६ ६ और वेडन में ३७ ६ सैकड़ा बढ़ी। इससे यह स्पष्ट दिसाई पड़ता है कि प्रशिया आदि अन्य प्रातों पर सेक्सन ने चढ़ाई करके कैसी अच्छी विजय प्राप्त की है।

सेक्सन में औद्योगिक पाठशालाओं का जो आश्र्यजनक जाल फैला हुआ है वह किसी ने अत्याचारपूर्वक नहीं कैलाया है और न सरफार की सख्तीके कृत्रिम उपायों से ही उसका प्रसार हुआ है, यह बात खास तौर पर ध्यान रखने योग्य है। औद्योगिक शिक्षा के सबध में लोगों का उत्साह और

बसे प्राप्त करने की सहज सूक्ष्मिं, इन दो बातों ने ही उन्हें इस कार्य में सफलता प्रदान की है। लोगों ने अपनी स्वत की प्रेरणा से, अन्य किसी पर भरोसा न करक, और अपने पास का धन लगा कर औद्योगिक शिक्षा की इतनी उन्नति की, यह बात कुछ कम आश्चर्य की नहीं है। अन्य प्रातों की सरकारों का इस ओर विचार जाने के पहले ही इस प्रात में लोगों के उद्योग से अनेक औद्योगिक पाठशालाएँ स्थापित होकर लोग उच्च कोटि का काम करने लगे थे। अब सेक्सन सरकार भी इस ओर ध्यान देने लगी है। परन्तु इन स्थानों की अतर्व्यवस्था में वह हाथ डालना नहीं चाहती। लोगों को अपने आप ही उनकी देस भाल करनी चाहिए, शिक्षा पद्धति में लोगों को जो आवश्यक फेरफार करना हो, उन्हें सर्वसाधारण स्वत करें इस नीति पर वहां की सरकार चल रही है। जो काम आरभ में सर्वसाधारण लोगों के हाथ से नहीं होते, उन कामों का आरभ सरकार अपने हाथों से कर देती है। ऐसे कामों का आरभ करने में सरकार द्रव्य अथवा अन्य और किसी प्रकार की सहायता करने में, कमी नहीं करती। व्यक्ति विशेष व्यापारी अथवा व्यापारी लोगों की सभा के खर्चे से, अन्य छोटे दर्जे की पाठशालाओं के मुकाबले में, उच्च कोटि की औद्योगिक पाठशालाओं का चलाना जरा कठिन काम है। अतएव उन पाठशालाओं को सरकार अपने खर्चे से चलाती है। इसी प्रकार गाँवों में घर घर कलाकौशल की शिक्षा देने का काम सरकार ने बड़ी चुनूराई के साथ आरभ किया है। क्योंकि सरकार के ध्यान

में यह बात आ गई है कि विना सरकार के आगे हुए लोगों के हाथ से धनाभाव के कारण कुछ हो नहीं सकेगा। सर्व साधारण लोगों ने जो पाठशालाएँ खोल रखी हैं उन्हें भी सरकार से हर साल सहायता मिलती रहती है। परन्तु इस सरकारी सहायता को पाकर भी, स्वावलम्बन का मार्ग पाठशालाओं के व्यवस्थापक परियाग नहीं करते। कृषि शालाओं को सरकार से पूरी पूरी सहायता दी जाती है, उसके बाद औद्योगिक शालाओं को सहायता मिलती है। और सब से कम सहायता व्यापारी शालाओं को प्रदान की जाती है। सहायता में ऐसा अतर क्यों है, इसका कारण स्पष्ट है। व्यापारी शालाएँ बहुधा शहरों में होती हैं और उनकी धन से मदद करने के लिये व्यापारी और कारखाने-वाले सदा तैयार रहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं और उन्हें इस बात का पूरा अनुभव होता है कि शिक्षा के लिये जो धन खर्च किया जाता है वह व्याज सहित वापिस आ जाता है। “ट्रेड गिल्ड” नामक जो व्यापारी संस्थाएँ हैं वे भी इसी विचार से औद्योगिक पाठशालाओं को सहायता पहुँचाने के लिये निष्पापूर्वक तैयार रहती हैं। अब तक इस कार्य में लोगों ने जो साहस दिखाया है वह प्रशংসনीय है। परन्तु इस से भी अधिक साहस भविष्यत् में ये लोग दिखावें इसी उद्देश्य से सरकार औद्योगिक शिक्षा से अपना हाथ रखेंगी जाती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार इस ओर से उदासीन रहना चाहती है बरन् वह यह चाहती है कि वाणिज्य व्यवसाय करनेवाले लोग अपनी आवश्यकता

नुसार अपने सहारे, आप खड़े हों, क्योंकि ऐसा होना सार्व-जनिक दृष्टि से हितकर है। इसी कारण सरकार ने अपनी नीति को घटलना आरम्भ कर दिया है। सभव है कि सरकार की इस नवीन नीति को यश प्राप्त न हो, परन्तु सेक्सन प्राप्त में तो कई स्थानों पर उसे बहुत ही उत्तमतापूर्वक यश प्राप्त हुआ है और इसी कारण उसने औद्योगिक शिक्षा में सब प्रातों को नीचा दिखा दिया है।

सेक्सन प्राप्त में पाच प्रकार की औद्योगिक पाठशालाएँ हैं। स्थानाभाव से इन सब का वर्णन यहां पर देना कठिन है। परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे कि इन पाठशालाओं में से किसी पाठशाला में पढ़ने के लिये जाने को विद्यार्थियों पर कुछ कड़ाई नहीं होती। कड़ाई नहीं होती, यह तो एक कहने की बात है। वास्तविक तौर पर देखा जाय तो उसे कड़ाई ही कहेंगे। यहां पर यह एक नियम है कि चाहे बालक हो अथवा बालिका, प्रारम्भिक शिक्षा पाकर मदरसे से निकलते ही उसे तीन वर्ष तक “कटिन्युएशन” पाठशाला में शिक्षा पाने के लिये जाना ही चाहिए। इस प्रकार की अनि वार्य शिक्षा का कानून साफ़ माफ़ तौर पर सन् १८९३ से व्यवहार में लाया जाने लगा है। अन्य प्रकार की शिक्षा क लिये और कोई स्पष्ट कानून नहीं है, बस इतना ही अतर है। इस प्रकार सखती के साथ शिक्षा देने के तत्व को सब से पहले प्रशिया ने स्वीकार किया, पश्चात् सेक्सन में इसका प्रभाव अमा, ऐसा कहने में कुछ हर्ज नहीं है। इस तत्व को स्वीकार करने के पश्चात् ही शिक्षा के काम में नवीन युग का आरम्भ हुआ।

सेक्सन में वर्तमान शिक्षाप्रणाली का स्वरूप प्राप्त होने में बहुत कुछ बुद्धिमत्ता, बहुत समय और धन खर्च करना पड़ा। उन्हें पूर्ण यश प्राप्त हुआ देख कुछ लोगों के मन में उनके लिये पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो गई। परंतु कुछ लोग वैमनस्य मानने लगे हैं। इस काम में इन लोगों ने बहुत सी सरकारी मदद न ले कर स्वावलंबन के तत्व पर ही काम किया। यही उनके यश का मुख्य कारण है। और इसी प्रकार विद्यार्थियों ने भी केवल पुस्तकी ज्ञान न प्राप्त कर के व्यवहार में जिस ज्ञान का उपयोग हो सके, ऐसी शिक्षा प्राप्त करने में अधिक परिश्रम किया। यही कारण है कि वहाँ के लोग शिक्षा को अधिक उपयोगी बता कर अपने काम में ला सके। व्यावहारिक शिक्षा का एक उदाहरण हम यहाँ पर देते हैं। भिज भिज पाठशालाओं के विद्यार्थियों के बनाए हुए सामान की प्रदर्शनी नियमित समय तक करने की व्यवस्था वहाँ की गई है। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थी और उनके शिक्षकों के अलावा और लोगों का प्रवेश नहीं होता। हर एक पाठशाला से विद्यार्थी अपने हाथों से सामान तैयार करके भेजते हैं, वह सामान चाहे अच्छा हो या बुरा। इस व्यवस्था से पाठशालाओं को उत्तेजना मिलती है। इन प्रदर्शनियों में लखाव दिखाव और सजावट नहीं होती। क्योंकि लखाव दिखाव और सजावट से लोगों को प्रसन्न करना ही इन प्रदर्शनियों का उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य तो यह है कि कुछ काम हो।

अब अत में एक और महत्व की बात कह कर हम इस

अध्याय को समाप्त करते हैं। उच्च कोटि की पाठशालाओं में जाने की किसी को रोक नहीं है, परन्तु व्यवहार निपुण होने के कारण विदेशी विद्यार्थियों की बाबत कुछ तिरस्कार नहीं तो अप्रसन्नता वर्तमान समय में दिखाई पड़ने लगी है। इस विषय में एक प्रोफेसर ने लिखा है—“पहले हम लोगों से यह कहते थे कि हर एक आदमी को हमारे यहा आने का अधिकार है, हमारे यहा आने में किसी को कुछ हानि नहीं है, अपार पृथ्वी पड़ी हुई है, और हमारे पास भी काफी स्थान है, परन्तु अब हम ऐसा नहीं कहते।” इसका मतलब यह है कि हर एक विदेशी विद्यार्थी कुछ समय बाद हमारे साथ प्रतिद्वंद्विता करने लगेगा, यह शका शिक्षकों में उत्पन्न हो गई है। इसी कारण “आउट लेंडर” अर्थात् विदेशी लोगों के सबध में इस प्रकार की उदासीनता पैदा हो रही है। ज्ञान की दावत में विदेशी लोग घर के आदमियों के साथ साथ एक चौके में कधा से कधा भिजा कर पहले बैठते थे परन्तु अब उनको दूसरे चौके में बिठाने का प्रयत्न किया जा रहा है, इतना ही नहीं, अब तो भोजन के दाम भी दुगने चौगुने मागे जा रहे हैं। परन्तु इतनी रोक टोक होने पर भी विदेशी व्यापारी वहा बिना जाए नहीं रहते। क्योंकि इस उपाय से भी विदेशी विद्यार्थियों की सख्त्या कम नहीं हुई है।

सातवाँ अध्याय ।

कारखानेवाले और मजदूर लोग ।

जर्मनी के कारखानेवाले मजदूरों की निंदा करते हैं, और मजदूर कारखानेवालों की । परतु इन दोनों से दूर रह कर यदि कोई वस्तुस्थिति का निरीक्षण करे तो उसे ये उतने बुरे नहीं दिखाई पड़ते, जितना वे आपम भे अपने आप को बुरा समझते हैं । हा, यह बात ठीक है कि दोनों में खूब चलवी है और किसी किसी व्यवसाय में तो इसकी हड्डी गई है । जिस प्रकार मजदूरों ने अपने सभ घनाए हैं उसी प्रकार उनके जवाब में कारखानेवालों ने अपने सभ कायम किए हैं । परतु कारखानेवालों के सभ अधिक जोरदार हैं । किसी किसी कारखाने में तो इन सभ शक्तियों के कारण मजदूरों का कुछ बस नहीं चलता ।

कारखानों के मालिकों से अपने लिये अधिक अधिकार अथवा मजदूरी पाने में आसानियां पैदा हों, इस उद्देश से वहा जो सभाएँ घनाई गई हैं, उनको “ट्रेइस यूनियन” कहते हैं । जर्मनी में इस प्रकार की एक नहीं अनेक सभाएँ हैं । इन सभाओं को सभशक्ति पर मजदूरों के हित अथवा अद्वित का बहुत कुछ दारोमदार है । मजदूरों और उनकी सभाओं से सबस रखनेवाला एक कानून है । इस कानून का नाम “इंडस्ट्रियल कोड” है । इस कानून में १५२ घाराएँ

हैं इन घाराओं में मजदूरों की सापत्तिक स्थिति सुधारने और अपनी उन्नति के लिये समुदाय बनाने अथवा भाषण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। परतु जिस प्रकार मजदूरों के लिये स्वाधीनता प्रदान की गई है, उसी प्रकार कारखानेवालों को भी कानून बना कर उनके कार्य के लिये स्वाधीनता दी गई है। अर्थात् मजदूरों के उपद्रव रोकने के लिये कारखानेवालों को अपने कारखाने का दरवाजा खद कर देने का अधिकार है। इसी को अगरेजी में "लॉक-आउट" कहते हैं। इसी प्रकार मजदूरों को अपनी सापत्तिक स्थिति के सघन में हड़ताल करने और कारखानेवालों को उनका मन मुटाब दूर करने का अविकार कानून के द्वारा प्रदान किया गया है। परतु कानून में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस अधिकार को राजनीतिक अथवा सार्वजनिक कामों में लाने का उभय पक्ष को हक प्राप्त नहीं है।

हड़ताल कर के अपना कल्याण साधन करने का अधिकार मजदूरों को कानून के अनुसार दिया गया है परतु वास्तव में जैसा लाभ मजदूरों को मिलना चाहिए, नहीं मिलता। यहुधा देखा गया है कि जब मजदूर यह कह कर कि "तुम हमारा कहना नहीं मानते अतएव हम हड़ताल करते हैं अथवा अपने बेतन की वृद्धि के लिये मालिकों से कहते हैं" तो पुलिसवाले उनपर मुकद्दमे चलाते हैं और न्यायाधीश इन मुकद्दमों को सुन कर उन्हें अपराधी समझ दड़ देते हैं। कोई कोई न्यायाधीश उन्हें निरपराधी समझ कर, छोड़ भी दते हैं परतु इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम देखने में आते हैं।

इतना होने पर भी येदि साधारण तौर पर देखा जाय तो यह विश्वास होता है कि कानून के शब्द, कानून बनानेवालों ने मजदूरों के कल्याणार्थ उदारतापूर्वक ही रखे हैं परन्तु न्यायाधीश उनका अर्थ केवल अनुदारता के साथ लगा कर दड़ देते हैं। इसीलिये कारखानेवालों और मजदूरों के बीच उपस्थित होनेवाले वादविवाद में न्याय का पासा कारखानेवालों की ओर ही अधिक झुकता है और सदा नहीं तो, अधिकाश तौर पर यश का पलड़ा उन्हीं की ओर झुका हुआ रहता है।

मजदूरों की मुख्य तीन प्रकार की सभाएँ हैं। (१) “फ्री” अर्थात् “सोशियल डेमोक्रेट,” (२) हर्श-डैकर अर्थात् “रेडिकल” और (३) “क्रांतियन अथवा रोमन केथोलिक।” इन सबों में पहले प्रकार की “यूनियन” सब से अधिक प्रभावशाली है और अगुओं का मान भी उनको प्राप्त है। १८९० में इन यूनियनों के सभासदों की सख्त्या पौने तीन लाख थी। परतु सन् १९०६ से यह सख्त्या बढ़ कर प्राय सत्रह लाख हो गई है। अब कुछ समय से पुरुषों की देखादेखी स्त्रियों ने भी इसी प्रकार की अपनी सभाएँ बनाई हैं। सन् १९०६ में स्त्रियों द्वारा स्थापित संस्थाओं की सख्त्या ३७ थी, और उनमें सबा लाख स्त्रियों सभासद थीं। फ्री यूनियनों की आमदनी भी बहुत अधिक है। परतु खर्च भी उनका कुछ कम नहीं है। ‘सोशियालिज्म’ नाम की जो राजनैतिक संस्थाएँ जर्मनी अथवा यूरोप के अन्य देशों में स्थापित हुई हैं, उनकी इन लोगों से पूर्ण सहानुभूति

है, और इसी कारण बहुत से मजदूर पक्ष के लोग सोशि-योलिस्ट बन गए हैं। यूनियन के सभासद वडे परिश्रमी कर्त्तव्यरत, युक्तिपूर्वक कार्य करनेवाले और अपने हिताहित पर पूर्ण दृष्टि रखनेवाले होते हैं। अन्य सभा समाजों की अपेक्षा इनको धन अथवा अन्य प्रकार के साधन अच्छे होने से जितना उद्योग ये कर सकती हैं, उतना और सभाएँ नहीं कर सकतीं। मुख्य संस्था के आश्रय में मजदूरों ने “सेक्रेटरियट” अर्थात् “सलाह देनेवाली मण्डलियाँ” स्थापित की हैं जिनसे मजदूरों को बहुत लाभ पहुँचता है।

दूसरे प्रकार की संस्था “हर्श-डेंकर अथवा रोडिकल” है। इस संस्था के उत्पादक का नाम डाक्टर मेक्स हर्श था। पालिंयामेंट में रोडिकल नाम का, जो एक राजनीतिक दल है, उसी दल के अनुयायी डाक्टर साहब थ। आरभ में इस संस्था का उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार का था और मजदूरों में रोडिकल दल के जो लोग थे वे इस संस्था के सभासद होते थे। परंतु वर्तमान समय में इस संस्था का राजनीतिक स्वरूप प्राय नष्ट हो गया है और केवल सापत्तिक विषय के अलावा और किसी राजनीतिक विषय पर विचार करना इसने त्याग दिया है। मजदूरों में से चुने हुए लोग इस संस्था के सभासद होते हैं। परंतु उनकी सख्ता बहुत अधिक नहीं है और न उनके पास अधिक धन ही है। कारखानेवालों के साथ लड़ने शगड़ने का प्रसंग आने पर जहाँ तक बनता है तहाँ तक ये उसे टाल ही देना चाहते हैं। परंतु जो बात कारखानेवाले कहते हैं उसे चुपचाप मान

गत पच्चीस वर्षों में मजदूरों को अधिक वेतन मिलने लगा है और उनके स्वास्थ्य की भी उन्नति हुई है। इन सब सुधारों का श्रेय ट्रेड यूनियनों को ही मिलना चाहिए। मजदूरों को कम घटे काम करके अधिक वेतन मिलने से उनका बहुत कुछ हित साधन हुआ है। परन्तु कारखानेवालों पर खर्च आ अधिक बोझ पड़ गया है और इस बोझ से दबे जाने के कारण उनकी क्या दशा होगी, इस पर विचार होने लगा है। किंतु जर्मन माल की विदेश में अधिक सप्त होने के कारण कारखानेवालों के दिवाले निकलने की अधिक चिंता नहीं है, यह शुभ लक्षण है। मजदूर लोगों की माग पूरी करने को मालिक कभी तैयार न थे परन्तु वहाँ के मजदूर मालिकों से दब कर चुप रहनेवाले नहीं हैं। वे दृढ़तापूर्वक अपना कार्य सपादन करते रहते हैं और अत में सफलता प्राप्त करते हैं। यह बात उनके लिये एक प्रकार से भूषणावह है।

लोगों का विचार है कि जर्मनी की ट्रेड यूनियनों की यह वृद्धि बाजवी की अपेक्षा बहुत अधिक है। और इसी कारण कभी कभी तो लोग यह भविष्य कहने लगते हैं कि मालिक और मजदूरों के बीच का बाद विवाद मिटते ही इन यूनियनों का महत्व मजदूरों को ही कम मालूम होने लगेगा। परन्तु हमारे मत से यह बात केवल भ्रम मात्र है। उभय पक्ष के बाद विवाद कभी मिटेंगे यह आशा करना भूल है। हम में कितनी शक्ति है, यह बात यूनियन अच्छी तरह जान गई है अतएव कुछ लोगों का यह मत है कि बाद विवाद का अत होने के बजाय अभी तो यही कहना चाहिए कि उसका तो

भारभ ही हुआ है । और यह बात अनुभव से भी ठीक जान पड़ती है । जब कभी कोई बहुत बड़ा बाद विवाद उपस्थित हो जाता है तब और भी बहुत से लोग यूनियनों में आकर शामिल हो जाते हैं परतु उस बाद विवाद का समाधानकारक निर्णय हो जाने के पश्चात् खोगीर की भर्ती के लोग अपना अग निकाल लते हैं । इस प्रकार के कई उदाहरण अभी हाल में ही देखे गए हैं और इसी कारण कुछ यूनियनों के सभासदों की सख्त्या भी कम हो गई है । परतु इस प्रकार के उदाहरणों में यह परिणाम निकलना कि मजदूरों और मालिकों के बीच का विवाद नष्ट हो कर यूनियनें ही नष्ट हो जायगी, भूल है । वर्तमान समय में जो दशा हम अपनी आँखों से देखते हैं, वह ऐसी है कि द्रेड यूनियनों की सख्त्या धीरे धीरे परतु दृढ़ता के साथ बढ़ रही है और यह बाढ़ और भी कुछ दिनों तक ऐसी ही रहेगी, यही अनुमान है । हर विषय में मजदूरों की स्थिति कैसे सुधरी, इस बात को ध्यान में रख कर, यह अनुमान ठीक नहीं है, ऐसा प्रमाणित नहीं होता । अपना हित साधन करने के लिये कारखानेवालों द्वारा स्थापित “सिडिकेट” अथवा यूनियन और दोनों की सयुक्त समाँए और इन समाजों का विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र और द्रव्य की अनुकूलता, अधिक कर लग जाने से सर्व में किफायतशारी और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा, इन सब बातों के कारण अपने गोट में अधिक धन होन की ओर मजदूरों की प्रवृत्ति होना एक सहज बात है । परतु वे लोग यह बात कभी नहीं सोचते कि यदि हम लोग अधिक

मजदूरी माँगने लगेगे तो उसका धार प्राहकों पर ही पड़ेगा, उनका ध्यान तो अपने लाभ की ओर है। द्रेड यूनियनों को और साम कर सोशियालिस्ट दल की द्रेड यूनियनों को अपना आदोलन नियमानुसार चलाने के लिये प्रभावशाली समाचार पत्रों की बहुत बड़ी सहायता है। सोशियालिस्ट दल के ६८ जगरों से दैनिक पत्र निकलते हैं। इनमें से तीन शहरों में तो दो दो तीन तीन दैनिक पत्र प्रकाशित होते हैं। चार पत्र साप्ताहिक हैं और १८ पत्र समय समय पर निकलते रहते हैं। इनके अलावा भिन्न भिन्न व्यापार व्यवसाय का हाल प्रकाशित करनेवाले द्रेड यूनियनों के और अनेक पत्र हैं। इन पत्रों में से बहुत से पत्र साप्ताहिक हैं। १२ मासिक पत्र भी इनकी ओर सं प्रकाशित होते हैं। इन पत्रों का सपादन सोशियालिस्ट अथवा द्रेड यूनियनों का कोई सभासद करता है। पोलेंड और इटली के जो मजदूर हैं उनके लिये उपयोगी समाचार पत्र उन्हीं की भाषा में प्रकाशित होते हैं। दैनिक पत्रों की खपत भी बहुत है। धातु के कर खानों संबंधी यूनियनों द्वारा सचालित पत्र के दो लाख प्राहक हैं। बहुत से दैनिक पत्र बड़ी कुशलता के साथ जोर-दार भाषा में निकलते हैं। ये पत्र बाद विवाद के विषयों में गुप्त स्वरूप न रख कर स्पष्ट रूप से धर्म सम्बन्धी के विरुद्ध और कभी कभी तो नास्तिक मत का समर्थन करने तक पहुँच जाते हैं। सोशियालिस्ट लोगों का कथन है कि "हम धर्म के विरुद्ध नहीं हैं। धर्म लोगों की निज की संपत्ति है। वस, हमारा यही कहना है। परन्तु इस कथन और उनके

पक्ष के समाचारपत्रों के धर्म-विरुद्ध लेखों की सगति कैसे लगाई जा सकती है। हाँ, इतनी बात अवश्य ठीक है कि इस प्रकार के लेखों से लोगों में खूब उत्साह उत्पन्न होता है। मजदूरों का पक्ष समर्थन करने को ये पत्र सदा तैयार रहते हैं और कारखानेवालों के साथ जब कभी मजदूरों का बाद विवाद आरभ होता है तब मजदूरों का पक्ष ले कर उनके पक्ष का समर्थन करने में ये पत्र कभी कमी नहीं करते।

इन पत्रों के सपादक सुशिक्षित और विद्वान लोग होते हैं। कई एक सपादकों को तो “डाक्टर” की पदवी भी मिली हुई है। अर्थशास्त्र का अध्ययन अधिक करने के कारण ये लोग सापत्तिक विषयों पर गवेषणापूर्ण और विचारपूर्वक लेख लिख कर प्रकाशित करते हैं। फिर चाहे व लेख एक-तरफा या पक्षपात्र सहित ही क्यों न हों, परतु उन लेखों में उनकी बहुज्ञता और बुद्धिमत्ता का पता अवश्य लगता है। पत्रों में कभी कभी जो बातें कही जाती हैं उनमें भूलें भी होती हैं परतु ये भूलें जान वूझ कर की गई हैं, यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जिस सिद्धात का प्रतिपादन किया उसमें भूलें हो सकती है परतु ये भूलें जान वूझ कर नहीं, उनके अध्येत्रम के कारण होती हैं। अतएव वे क्षम्य हैं।

उच्च कोटि का साहित्य थोड़े दामों में पाठकों को देने के काम में, जर्मनी इग्लैंड के बहुत पीछे है। परतु कारोगर लोगों के पक्ष के समाचारपत्रों और मासिक पुस्तकों में प्रकाशित होने-वाले लेख इग्लैंड के उसी पक्ष के लोगों द्वारा प्रकाशित पत्रों और पुस्तकों की अपेक्षा अधिक सरस और व्यापक होते हैं,

इसमें संदेह नहीं है। किसी खास विषय के कुछ समाचार-पत्रों में तो कला कौशल, साहित्य, पर्यार्थ विज्ञान, स्ट्रीषशास्त्र, प्राचीन शोध और अध्यात्मविद्या आदि के लेख इतने अच्छे और विद्वत्ता पूर्ण निकलते हैं कि वडे वडे विद्वान् भी उन्हें पढ़ कर लाभ उठाए विना नहीं रहते। इन लोगों द्वारा प्रकाशित समाचारपत्रों की अच्छी आमदनी होती है। जहाँ तक बनता है एक दल जो मनुष्य दूसरे दलवाले के समाचारपत्र को नहीं- रखरीदता।

“हर्ष-उक्तर” और “किञ्चियन” दल की यूनियनों के भी समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं परतु सोशियालिस्ट दलवालों की अपेक्षा बहुत कम, और इस पक्ष के उमाचारपत्रों का महत्व भी उतना नहीं है। किञ्चियन यूनियन तो इस काम में सब में पीछे है। इन तीनों दलों के समाचारपत्रों में सदा कुछ न कुछ धुस फुस बातें चलती ही रहती हैं। इस से यह अनुमान कर लना कुछ अनुचित न होगा कि इनमें भी परस्पर मदभेद और विरोध कुछ न कुछ बना ही रहता है, अर्थात् इनमें, आपस में, भी एकमत नहीं है।

साधारण तौर पर हर एक दलवाले अपने नेताओं की व्यवस्था का उल्लंघन करने को तैयार नहीं होते। जो एक व्यवस्था एक बार व्यवहार में लाई गई कि उसे सब लोग मान्य कर के, उसी के अनुमार व्यवहार करने लग जाते हैं। परतु आरभ में यह दशा न थी। पहले उनके यह विचार न थे कि एक बार जो व्यवस्था काम में लाई गई उसे सब लोगों को मानना ही चाहिए। उसके द्वारा मिलनेवाले यश अथवा अपयश का हमें भी हिस्सेदार होना चाहिए। अपने नेता जिस

वात का निर्णय एक बार कर दें, उसी के अनुसार सब को चलना चाहिए। और उस सबध में उनकी निराशा अथवा उनका अपमान हुआ तो भी उसे स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार के विचारों के न होने से आरभ में यूनियनों का काम जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलता था। परतु धीरे धीरे जब यूनियनों के तत्व लोगों के ध्यान में आ गए, संघशक्ति का महत्व उन्हे मालूम हो गया कि परस्पर की सहायता के बिना कार्य करने में कैसे कैसे अनर्थ उठ सके होते हैं, तब उन्होंने अपने मतभेद को भुला कर व्यवस्थित मन से अपना कार्य करना आरभ कर दिया। राजनीतिक आचार विचार की शिक्षा मिलने में इन लोगों में अधिक प्रगल्भता आ गई है। परतु राजनीतिक ओर औद्योगिक विषयों का एकीकरण कर देने से जर्मन मजदूरों को कुछ सापत्तिक टाभ हुआ अथवा नहीं, यह पृथन विचारणीय है। ऊपर जिस सुधार की चर्चा की है, वह सुधार हो जाने पर भी नेताओं के हाथ से लोगों को निकल जाते हुए कई बार दखा गया है। इस से यह पाया जाता है कि हड्डताल रूपी जब जब एक घार चढ़ता है तब सारासार विचार एक ओर रख रख नेताओं के अधिकार को लोग इवा में उड़ा देते हैं। सन् १९०७ में जब गजा लोगों ने हड्डताल की तब मजदूरों के नेताओं ने कारखाने के मालिकों के साथ जो व्यवस्था की उमे मजदूर लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अतएव नेताओं ने भी अपना मुँह इनकी ओर से केर लिया। इस प्रकार मजदूरों को दोहरी हानि उठानी पड़ी। कारखानेवाले कहने लगे कि मजदूर

लोग जब अपने नेताओं के किए हुए निश्चय के अनुसार काम नहीं करते तब फिर उनके किसी प्रस्ताव पर विचार करना ही फजूल है ! उनके अनुकूल प्रस्ताव करने पर भी जब मजदूर लोग कहना नहीं मानते तब हमारे पास आ कर उन्हें किसी प्रस्ताव को उपस्थित करना उचित नहीं है। इस प्रकार कारखानेवालों ने मजदूरों और उनके नेताओं के मुँह बद कर दिए ।

ट्रेड यूनियनों का खर्च चलाने के लिये सभासदों को अपनी आमदनी में से ६ सैकड़ा देना पड़ता है। काम चलाने के लिये जो आदमी नियत किए जाते हैं वे बड़े बुद्धिमान और दिल उगा कर काम करनेवाले होते हैं और उन्हें जो वेतन मिलता है वह उनके परिश्रम के मुकाबले में बहुत कम है अर्थात् एक कुशल कारीगर को जो मजदूरी मिलती है उससे उनका वेतन कुछ अधिक नहीं होता। इतने कम वेतन पर उन्हें सप्ताह में ४ दिन और कभी कभी तो इतवार तक सवेरे, दोपहर और शाम को अपनी जगह पर हाजिर रहना पड़ता है। अपना हित साधन करने के लिये दूसरों के साथ झगड़ने में उनका बहुत सा समय नष्ट हो जाता है और उन्हें शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। इतना होने पर भी अदालत का द्वारा न देखना पड़े, इसका वे बराबर ध्यान रखते हैं। हम सत्यक्ष के लिये झगड़ते हैं, यदि उनको इस बात का दृढ़ विश्वास न हो और अपने काम पर प्रेम न हो तो इतना घोड़ा धन पा कर कोई इतना अधिक और सकट का काम करने को तैयार न होगा। अपने साथियों के पसीने से

पैदा किए हुए धन पर मनमानी मौज उड़ानी चाहिए, यह वासना उनके मन में कभी उत्पन्न ही नहीं होती। उनका यह उदाहरण, क्या हमारे यहाँ (भारतवर्ष) की सभा सोसाइटियों के सचालक लोग ध्यान में लाने की कभी कृपा करेंगे?

ऊपर जिन तीन प्रकार के लोगों का वर्णन किया जा चुका है उनकी अनेक ट्रैड यूनियनों ने मिल कर एक संयुक्त संस्था भी स्थापित की है। इस संस्था का नाम उन्होंने "वर्कमेंस सेक्रेटरियट" (Work men's Secretariate) रखा है। लोगों को जो बात जाननी हो अथवा जो सलाह लेनी हो उसमें उन्हें इस संस्था से बराबर सहायता पहुँचती रहती है। सकट में पढ़े हुए की पुरुषों को मित्र भाव से इस संस्था के अधिकारी सहायता पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो जर्मन लोग टापुओं में रहते हैं उनके सुख दुख की खबर भी ये लोग लेते रहते हैं। इन कामों को सुचारू रूप से करने के कारण यह संस्था बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो गई है। देश में उसका पद इतना ऊँचा हो गया है कि और कई लोगों ने सर्व साधारण के हितार्थ, इसी ढग की संस्थापें कायम की हैं। इन संस्थाओं की ओर से दीवानी, फौजदारी और आद्योगिक कायदे कानून की बाबत जो सहायता लोगों को चाहिए वह मुफ्त दी जाती है। सन १९०७ में सोशियालिस्ट वर्क-मेंस सेक्रेटरियट की संख्या १६ थी और उनके आश्रय में काम करनेवाली शास्त्रा सभाएँ १३२ थीं। इन शास्त्रा सभाओं की संख्या देख कर किसी को भी आश्वर्य हुए विना न रहेगा।

अब तक जो कुछ कहा गया है, उससे कोई यह

अर्थ न निकाले कि मजदूर लोग अपनी सेना का मार्ग तैयार कर के औद्योगिक सपत्ति के किले पर चढ़ाई करने का मसूदा कर रहे हैं और पूजीवाले व्यापारी और कारखानों के मालिक पड़े सोते होंगे । बात यह नहीं है । वर्तमान समय में ट्रेड यूनियनों के तत्व का, इन लोगों की ओर से जर्मनी में जितना विरोध किया जा रहा है उतना इससे पहले कभी नहीं देखा गया था । और इसमें भी देश के किसी विशेष भाग अथवा विशेष व्यवसाय में इसकी अधिक प्रबलता दिखाई नहीं पड़ती । पश्चिमीय प्रशिया में पत्थर के कोयले, लोहे और फौलाद के कारखानों में मालिकों ने मिल कर सिंडिकेट—सहकारी मण्डल—स्थापित किए हैं । इन मण्डलों में, यह विरोध जितना प्रबल है उतना अन्य कारखानेवालों में नहीं देखा जाता । ट्रेड यूनियनों के लोगों का भी प्रभाव जितना पश्चिमी प्रशिया में है उतना अन्यत्र कहीं नहीं है । इन दोनों पक्षों की वास्तविक रणभूमि हालांकि लैंड और वेस्टफालिया प्रांत हैं । सापत्ति युद्ध के अनुकूल सब तरह पर वहाँ की स्थिति पाई जाती है ।

जर्मनी का सब से बड़ा वर्कशाप—कलाप्रद—इस प्रात में ही है । यह वर्कशाप कभी बद नहीं होता । सपत्ति उत्पादन का काम बड़ा अहर्निश चलता रहता है । इस वर्कशाप में काम चलाने का अधिकार जिन लोगों को है उनकी सख्ती छ सात से अधिक नहीं है । व्यवसाय वाणिज्य कैसे करना चाहिए और उसमें किस प्रकार यश प्राप्त करना चाहिए इस विषय में उन लोगों की बुद्धि बड़ी विलक्षण और तीव्र है ।

धनाढ़ी होने योग्य उनमें दृढ़ निश्चय है। लोगों पर कठोरता का नियम चलाने की कला उन्होंने जन्म से ही सीखी है। सबेदना क्या वस्तु है यह वे जानते ही नहीं हैं। परतु उनमें न्यायशीलता नहीं है यह हम नहीं कह सकते। हाँ न्याय का कॉटा जरा छुकता हुआ रखता जाय, यदि यह उनसे कहा जाय तो यह काम उनसे न होगा। जिस बात का उन्हें एक बार निश्चय हो गया फिर उसमें रची भर भी वे फेरफार नहीं करते। उनकी इच्छाशक्ति अति प्रबल है और राजनैतिक विषयों में उनकी उदारता की कल्पना करने का पता भी नहीं मिलता। प्रशिया में नवीन युग को लाने के काम में इन लोगों ने जो कार्य किए हैं वे ससार में पूर्ण रीति से लोगों पर विदित हैं। राजा के सभीपस्थ राज्याधिकारियों-मन्त्री अथवा कायदा कानून बनानेवाले लोगों को अपने पक्ष में मिला कर राज्यशक्ति में अधिक शक्ति इन लोगों ने प्राप्त कर ली है। प्रशिया के पूर्वी विभाग के पश्चृष्ट लार्ड लोगों की शक्ति कम होने का रग तो दिखाई पड़ता है परतु आजकल उद्योग भूमि में इन पश्चृष्ट लार्डों की शक्ति दिनों दिन बढ़ रही है। हजारों देह यूनियन स्थापित हो जाने पर भी उनकी इन्हें विल कुल परवाह नहीं है। इस सधघ में यदि कहीं कुछ बात चीत हुई तो वे लोग स्पष्ट कह देते हैं कि—“ हमारे घर में हमारी मत्ता हमारे इच्छानुसार ही चलेगी। ” ये शब्द अब भी उनके मुख से सुनाई पड़ते हैं। और इसी वाक्य के अनुसार कार्य कर ढालने की शक्ति भी उनमें पाई जाती है। सितंबर में १९०५ में मनहिम की एक सभा में वेस्टफालिया के

‘असिद्ध कारखाने के मालिक और एक दो सहकारी सभाओं
के सभापति हर किरडाफ ने कारखानेवालों की ओर
से जो व्याख्यान दिया था वह पढ़ने योग्य है।
उस व्याख्यान में उन्होंने कहा था—“हमारे मजदूर जब
चाहते हैं तब अपने हाथ का काम छोड़कर चले जाते हैं, यह
दशा बहुत शोचनीय है। जिस काम को मजदूर स्थायी रूप
से करेंगे वही काम या व्यवसाय उन्नति को प्राप्त हो सकता
है। परन्तु इस काम में कायदे फानून की मदद लेने की
हमें जरूरत नहीं है। जो मजदूर आज इस कारखाने में और
कल दूसरे कारखाने में नाच नाचते फिरते हैं उन्हे अपने
बधन में लाने का जो उपाय हम करना चाहते हैं उसमें
किसी को पड़ना नहीं चाहिए। एक मनुष्य ने यह सलाह
दी है कि सब मजदूरों की सहकारी सभाओं का सम्मिलित
होकर एक ऐसी सभावनाना चाहिए जो कारखाने के मालिकों से
बात चीत करें, परन्तु इस सलाह पर हम अमल करने को बिल-
कुल तैयार नहीं हैं। “सोशल डेमोक्रेटिक” अथवा “क्रिश्चियन”
इस नाम को धारण करनेवाली सभाओं से मध्यस्थ का
काम लेने की हमारी बिलकुल इच्छा नहीं है। क्योंकि सोशल
डेमोक्रेटिक यूनियनों की अपेक्षा क्रिश्चियन यूनियने अधिक
हानिकारक हैं। वर्तमान समाज रचना का हम उलट पलट
हालना चाहते हैं, यह बात पूर्वोक्त मढ़ली कहती तो है परन्तु
उपर्युक्त मंडली तो सुकावला करने को तैयार होते ही अपने
सामने शूठा निशाना रख कर क्रिश्चियनिटी ही की ओट में उछू
करती है। सोशल डेमोक्रेट लोगों का उद्देश्य कभी सिद्ध नहीं

ही सकता, 'यह बात हम लोगों को मालूम है तो भी धनवान मुरुपों को धर्मोपदेशकों के अधीन करने का इनका प्रयत्न जारी है। मजदूरों के साथ होनेवाले वाद विवाद में कभी कभी सरकार बीच में पढ़ जाती है इस बात से भी मुझे बड़ा दुख होता है । "

अपर जो अवतरण दिया गया है, उसके देने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि इस वाद विवाद में फारसाने के मालिकों का क्या कथन है, वक्ता न सरलतापूर्वक उसे बता दिया दे। वक्ता के कथन में विषय को छिपाने अधबा अपने भाव और गुप्त रखने का आभास भी नहीं पाया जाता। हर किराएक आदि कारसाने के मालिकों को यह बात विलकुल जँच आई है कि मजदूरों की महकारी संस्थाएँ हानिकारक हैं और उनकी रोक का उपाय अवश्य होना चाहिए। इस काम के लिये उन्हें कानून कानून की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और न सरकारी सहायता की ही उन्हें जरूरत मालूम होती है। क्योंकि इन लोगों के नामों का उल्लेख होत ही यह मालूम होता है कि ये ही लाग जर्मनी की सरकार हैं। इन संस्थाओं की ओर दुर्लक्ष्य करने से ये अपने आप ही नष्ट हो जायगी और दुर्लक्ष्य करना ही मजदूरों के रोग पर रामबाण औपचिह है, यह उनका दृढ़ विश्वास है। यदि मजदूरों ने अधिक मजदूरी मांगने का प्रस्ताव किया और वह उन्हें अनुचित जान पड़ा तो फिर याड़े धन के लिये वे अधिक रगड़ नहीं करते। परंतु यदि उनके प्रस्ताव को अनुचित समझ कर उन्होंने एक बार इनकार कर दिया तो फिर चाहे बड़ा उत्तर

इतना होने पर भी वर्तमान समय का बादविवाद मिटाने के अनेक मार्ग ढूँढे जा रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त राज्य में खास, खास व्यवस्थाओं में होनेवाले बादविवाद का निर्णय करने के लिये पचायते स्थापित की गई हैं और उनका काम वही उत्तमता से चलता है। ऐसी पचायते जर्मनी में अब तक कायम नहीं हुई है। कोयले की खानों और कुछ विशेष प्रकार के व्यवस्थाओं में “वक्समेन कमेटी” स्थापित की जावें। इस बात का उल्लेख “इडस्ट्रियल कोड” में किया गया है। कमेटी के मेंवरों का चुनाव मजदूरों के मतानुसार होता है। चुनाव हो जाने और कमेटियाँ स्थापित हो जाने के पश्चात् मजदूरों के हिताहित के प्रभ्रों पर विचार उनके द्वारा उनकी सलाह ले कर किया जाता है। मजदूरों के अभावों के दूर करने का यह मार्ग कारखाने के मालिकों को पसद नहीं है। इनकी सहायता से अपने अधिकारों में विना कारण रुकावट होकर उनका स्वरूप संकुचित होता जाता है। अपनी तकलीफों को कारखाने के मेनेजर द्वारा मालिकों तक पहुँचाना चाहिए इस पुरानी पद्धति को त्याग कर मजदूर अपने सघ स्थापित करें और उनके द्वारा वे बातें मालिकों के कान तक पहुँचे। फिर एक के लिये नहीं सबों के लिये, बताइए इतनी कवायद करना कौन पसद करे? परतु कहीं कहीं उभय पक्ष की सम्मति से ही इस प्रकार की कमेटियाँ कायम हुई हैं और उनका काम सरलतापूर्वक चलता है जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है।

‘उभय पक्ष के बखेडों को कोई तीसरा आकर तै करे, जब

यह बात दोनों मान लें तब उसका निर्णय सरकार द्वारा स्थापित “इडस्ट्रीयल कोर्ट” करने के लिये तैयार हैं। जिन शहरों की आवादी वीस हजार से ऊपर है उन शहरों में ऐसे कोर्ट पहले से ही स्थापित किए गए हैं। परतु कम आवादी के शहरों में जब उनका कायम किया जाना उपयोगी होगा और जब यह बात सरकार के ध्यान में आ जायगी तब ऐसी जगह भी अदालतों कायम करने की कानून में व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा कानून में यह भी नियम रखा गया है कि दोनों पक्षों की ओर से नियमित सख्त्य के लोगों की दस्तखती अर्जी या निवेदन-पत्र आने पर अदालत खोलने और उसमें आधे पच कारखाने के मालिकों की ओर के और आधे मजदूर पक्ष के लिये जावें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। परतु जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उससे जाना जाता है कि जितना लाभ मजदूरों को इन अदालतों से ढाना चाहिए उतना लाभ वे नहीं ढाते।

कारखाने के मालिकों और उनके यहाँ काम करनेवाले कारीगरों की सलाह से ‘बर्कमेन कमेटी’ जो कायम भी हो गई हैं तो भी इस व्यवस्था का स्वरूप यानगी है। अतएव “चेवर आफ कार्मस एंड एमीक्लचर” के नमूने पर “चेवर्स आफ लेवर” की स्थापना सरकार की ओर से होनी चाहिए, इसका प्रयत्न आज कई वर्षों से जर्मन पार्लियामेंट में ट्रैड यूनियनों और लेवर पार्टी की ओर से हो रहा है। सार्वभौम सरकार ऐसी चेवर घनाने को तैयार है परतु उसका कथन है कि उसमें आधे मेंवर तो मजदूर लोग और आधे कारखानों

के मालिक चुन दें।' परतु स्थिति को देखते हुए यह कह सकते हैं कि क्या इस चेवर से कोई विशेष लाभ होगा ? मजदूर दल के लोग कहते हैं कि इन चेवरों में सारे मेवर हमारे पक्ष के दी चुने हुए होने चाहिए । कारखानेवालों का यह कथन है कि यदि हम मजदूर दल के लोगों का कहना मान लें तो कल फिर ये हमारी क्या दशा बनावेंगे, और ये जा कर कहाँ ठहरेंगे, यह कौन कह सकता है ? इसके आगे भी ये एक पैर और बढ़ावेंगे और कहने लगेंगे कि हमारे पक्ष का एक सार्वभौम मण्डल (Imperial Ministry) अथवा बोर्ड होना चाहिए । मजदूरों के उपस्थित किए हुए प्रश्नों अथवा उनके अन्य विषयों का निर्णय वर्तमान व्यवस्था के अनुसार "मिनिस्ट्री ऑफ दी इंपी-रियर" नामक मन्त्रिमण्डल द्वारा होता है । उनका यह अधिकार कम करके एक स्वतंत्र "लेवर मिनिस्ट्री" बनाने के लिये सरकार तैयार नहीं है । इस विषय में सरकार का यह कहना है कि मजदूरों का विषय अन्य विषयों के साथ शामिल होने से इस गाँठ को छुड़ा कर केवल मजदूरों के विषय का निश्चय करना जरा कठिन काम है और ऐसा निश्चय न होने से मजदूर जो चाहते हैं वैसी व्यवस्था से अन्य विभागों में गङ्गवड़ी पड़ जाने का बहुत भय है । सरकार का यह कथन बहुत कुछ युक्तिसंगत है । घर बनाने के काम में सुधार करना, कारखानों और पाठशालाओं की आरोग्य व्यवस्था, कारखानों की देखरेख, धीमा के कायदे आदि इसी प्रकार के और बहुत से प्रश्न हैं जिनमें मजदूरों

के हिताहित की बातों की मर्यादा वॉघना प्राय अस भव ही है ।

फुटकर व्यवसायों में और विशेष करके इमारत के कारखानों में मजदूरी निश्चित कर देने की पद्धति आज कल शुरू हो गई है और इसी कारण नियमित समय की मजदूरी के घरेहे बहुत से उत्पन्न नहीं होते । इस व्यवस्था से, कुछ व्यवसायों में कुछ समय तक के लिये मजदूरी का प्रश्न ही उठ गया है । परतु इससे क्या मुख्य बाद विवाद का निर्णय सदा के लिये हो गया ? निश्चित समय के लिये काम करने का बादा करने से विशेष करके लाभ मजदूरों को ही मिलता है । वेतन की दर निश्चित करते समय कम से कम वेतन ही किया जाता है । परतु उतना काम पूरा हो जाने पर फिर नया इकरारनामा लिखते समय मजदूर अधिक वेतन माँगने लगते हैं । और वेतन के शिखर पर पहुँचने की सोपान-परपरा के अनुसार वे अपने विचारों और इच्छाओं को बढ़ाते ही चले जाते हैं और मूल विवाद “अधिक वेतन और काम के घटे कम करने का” प्रश्न पुन आकर उपस्थित हो जाता है । परतु इस इकरारनामे की व्यवस्था से सब मजदूरों को समान लाभ नहीं मिलता । जिन मजदूरों को अधिक परिश्रम करने की शक्ति नहीं, केवल उन्हीं को इससे लाभ है । परतु जिन्हें अधिक वेतन पाने की ठसक है उन्हें लाभ के बदले उल्टी हानि है । इसके अतिरिक्त इकरारनामे के लिखे जाने पर, उसमें एक यह नियम रहता है कि यदि इकरार पूरा न किया जायगा तो जो हानि होगी

वह पूरी की जायगी परंतु यदि इकरार के अनुसार काम न हुआ और मामला अदालत तक गया तो उसमें कानूनी पेंच निकल आने पर न्यायाधीश द्वारा क्या निर्णय होगा, यह समझ नहीं पड़ता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इकरारनामा लिख कर मजदूरों का बेतन निश्चित कर देने पर मजदूर लोगों काम से दिल चुराने लगते हैं। परंतु यह भाष्ट्रप उचित नहीं। ववेरिया की सरकार ने इकरारनामा लिख कर काम करने की पद्धति को उत्तेजना दी है और जहां जहां सभव हो वहां वहां इसका प्रचार करने का प्रयत्न करने के लिये फेक्टरी इसपेक्टरों को जाझा दी है।

कारखानेवालों को होनेवाले नफे में से मजदूरों को हिस्सा देने की पद्धति जर्मनी में पसद नहीं की जाती। इमारत के कारखानों में बोनस (इनाम) देने की प्रथा देश के कई प्रातों में पाई जाती है। कितने ही कारखानेवाले वर्षारम्भ अथवा अन्य किसी त्योहार पर ब्रेचुइटी भी देते हैं। परंतु लाभ में से हिस्सा देने को कोई तैयार नहीं। हाँ, वे लोग इतना तो करते हैं कि मजदूरों और उनके बाल बच्चों के कल्याणार्थ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ अपने पास से घन लगा कर करते हैं। इनमें से कुछ व्यवस्थाएँ तो कानून के कारण उन्हें करनी पड़ती हैं परंतु स्वत अच्छेपन के कारण उनका पैर कानून के आगे बहुत कुछ जाता है। कोयले, लोहे, फौलाद, रसायनिक पदार्थ, युनाई आदि के बड़े बड़े कारखानों में बहुत सी आसानिया कर दी गई हैं। बीमा-फड़ कानून के अनुसार ही उन्हें कायम करना पड़ता

है। इसके अंतिरिक्ष पेशन और “बेनिफिट फट” खोले गए हैं और इस फट से मजदूरों के बाल बच्चों को उनके पीछे सहायता दी जाती है। लोहारों और गर्भी की उद्दियों में मजदूरों के बाल बच्चों को दावतें दी जाती हैं। कितने ही बड़े बड़े कारखानों में शराब, अनाज, दूध वगैरह की दूकानों और भोजनालय आदि का भी प्रबंध किया गया है, जहाँ कम मूल्य पर खाने की अच्छी चीजें मजदूरों को मोल मिलती हैं। मजदूरों के आराम के लायक मकान कारखानों के पास ही बनाने का प्रबंध भी अभी थोड़े दिनों से ही हुआ है। इस काम के लिये कारखाने के मालिकों को धन की आवश्यकता हो तो सरकार से कम ब्याज पर रुपया उधार देने की भी व्यवस्था की गई है। कारखानों के पास ही मजदूरों के लिये रहने को मकान बनाने से दो लाभ हैं। यह लाभ बड़े बड़े शहरों से दूर फासले पर जो कारखाने हैं, उन्हें स्पष्ट भालूम हो जाता है। मजदूरों को हवादार मकान मिलने से कारखाने के मालिकों को मजदूरों का टोटा नहीं पड़ता। जिन प्रातों में कोयले की खानें हैं उन प्रातों में इग्लैंड के समान ही खाना में काम करनेवाले लोग, खानों के मालिकों के बनाए हुए मकानों में ही रहते हैं। बड़े बड़े शहरों के बाहर बनाए हुए मकान हर प्रकार से सुखदायक होते हैं। वे मजदूर और लब चौड़े होते हैं। उनके आस पास की जमीन रमणीक होती है और वहाँ की आवहना भी स्वास्थ्यकर होती है। शहरों के मैले कुचैले मकानों का जो किराया उनको देना पड़ता है उससे कम किराया उन्हें इन मकानों का देना पड़ता

यह वात नहीं है । परतु हमें अधिक स्वतंत्रता चाहिए, और लोगों की सहायता बिना हमें अपनी गृहस्थी चलाने की क्षमता आनी चाहिए और इसके लिये ही हमारे सब प्रयत्न हो रहे हैं । वर्तमान धौद्योगिक युग में काम देनेवाले मालिक के भरोसे पर ही हमारे कुटुंब को रहना चाहिए इस भावना के अनुसार वर्ताव करना समय का दुरुपयोग करना है । हमारे ऊपर यदि मालिकों को उपकार करना ही हो तो हमारा बेतन उन्हें बढ़ाना चाहिए । और उसे किस तरह खर्च करना चाहिए इसका निर्णय करना हमारा काम है । हमारे बेतन में बुद्धि करने में, मालिकों की उदार बुद्धि का ससार को पता चलेगा और हमारी अकृतज्ञता का ढिंढोरा पीटने का भी उन्हें फिर अवसर न मिलेगा ।”

नवां अध्याय ।

मजदूर ।

फ्रेक्चरी सन् १९०६ की ६ तारीख को जर्मनी की सर्व-

भौम पालियामेट में एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने अपने देश के मजदूरों के संघ में यह कहा था—“जर्मनी में व्यवसाय वाणिज्य का जितना विस्तार वर्तमान समय में हुआ है उतना विस्तार खसार के और किसी देश में, इतने समय में, नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण हमारे मजदूरों का ही कर्तृत्व है।” उसकी इस प्रशंसा से जर्मन मजदूर जितन योग्य प्रमाणित हुए हैं उससे कहीं अधिक उदारता उस राजनीतिज्ञ की प्रगट होती है जिसने ये उद्घार निकाले हैं। व्यवसाय वाणिज्य की उन्नति के लिये जो गुण चाहिए वे जर्मन मजदूरों में पाए जाते हैं और उन गुणों का अपने हाथों द्वारा व्यवहार करना, यह उनकी कर्तृत्य शक्ति के विकास का यथार्थ दोतक है। सन् १८७६ में एक जर्मन प्रोफेसर ने कहा था कि हमारे देश का माल “सस्ता परतु घटिया है” पर अब वह स्थिति बदल गई है। अन्य देशों की अपेक्षा अब भी जर्मन माल सस्ता है और घटिया माल भी जितना चाहो बाजार में तैयार भिलता है परतु उसीके साथ घटिया माल भी बहुत तैयार होने लगा है, इसका बहुत कुछ ऐस्य उपरोक्त राजनीतिज्ञ के कथनानुसार मजदूरों को ही है। जर्मन मजदूरों क साथ अगरेज मजदूरों की तुलना करके

देखने का भाव उत्पन्न होना एक सहज बात है। इस तुलना करने में यह अंतर साफ़ हृषिगोचर होने लगता है कि जर्मन मजदूरों में स्वत्रतापूर्वक काम करने की शक्ति नहीं है। पद पद पर उन्हें दूसेरे की सहायता की आवश्यकता बनी रहती है। उनके स्वभाव में प्रायः यह भाव इस कारण उत्पन्न होता है कि उन्हें-उत्तर प्रदेश के जर्मनों फो-अपना सारा जीवन दूसरों की देख रेख में ही व्यतीत करना पड़ता है। और इसीलिये किसी काम को स्वत आरभ करने का साहस उनमें नहीं पाया जाता। उन्हें इस बात का दृढ़ निश्चय अथवा पूरा विश्वास हो गया है कि दूसरे की सहायता बिना अपना जीवन नियमित रूप से नहीं व्यतीत हो सकता। जिन कारखानों में अगरेज और जर्मन साथ साथ काम करते हैं, उन कारखानों के मालिकों को सदा यह कहते सुना जाता है कि जर्मन कारीगरों में स्वावलम्बन और आत्मविश्वास विलकुल नहीं है। स्वाभाविक प्रहणशक्ति और अभ्यास अथवा अनुभव से उत्पन्न हुई प्रहणशक्ति में जो अतर है वही अतर अगरेज और जर्मन मजदूरों में है। दोनों ही अनुभव की पाठशाला में अपना अपना पाठ पढ़ते हैं परतु उनकी कर्तृत्व शक्ति और योग्यता में अन्य साधनों का जो प्रभाव पड़ता है वही जर्मन मजदूरों में व्यावसायिक शिक्षा से पड़ता है। परंतु अंगरेज मजदूरों में उसका प्रभाव स्वाभाविक व्यवहारकुशलता और सारासार-विचार द्वारा पड़ता है। पुस्तकी ज्ञान अर्थात् मन्त्र और व्यावहारिक ज्ञान अथवा तत्र में जो भेद है वही भेद इन दोनों में है। मन्त्र जपने से जितना

ज्ञान मिलना सभव है उतना जर्मन लोगों के पास है । परन्तु मन्त्र शास्त्र में ऊपर जाने में उन्हें बड़ी कठिनाई मालूम होती है । और तत्र की साधना करने के लिये यदि कोई अवसर आ जाय तो मन्त्र को एक ओर रख देना चाहिए, यह बात भी उनके ध्यान में नहीं आती । अगरेज मजदूर यदि पुस्तकी विद्या के ज्ञान का महत्व अधिक समझने लगे तो बहुत अच्छा हो । परन्तु इस प्रकार का ज्ञान तिरस्करणीय है, यह बात और कोई नहीं, स्वतं उनके मालिक उन्हें सिखाते हैं । उनके द्वारा, वर्तमान में जितना काम होता है उतना काम दूसरे नहीं कर पाते अथवा अपने काम के सामने दूसरों के काम को वे लड़ने नहीं देते, यह कितने आश्र्य की बात है । अगरेज कारीगरों में व्यावहारिक ज्ञान पहले से ही भरपूर है । परन्तु यदि उन्हें पुस्तकी ज्ञान की भी सहायता मिल जाय तो फिर सारे समाज में अपना कोई हाथ पकड़ मनेगा इसका भय करने का कोई कारण ही नहीं है ।

जमन मजदूर परावलधी होने पर भी मेहनती और कष्ट सहन करने में दृढ़ होते हैं । उनमें चालाकी नहीं है । परन्तु अच्छे औजार, समान और समय का प्रबंध कर देने से उनके द्वारा अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छा काम होता है । मोशियाल्डिजम के तत्त्वों का विकास और जनता के मन पर बैठी हुई उनकी छाप, यह देखकर जिनकी क्षमता शक्ति बहक गई है और चारों ओर पीछे हटने का सिद्धात स्थीकार करना चाहिए, जिन को यह भासित होने लगा है, उन्हीं को जर्मन मजदूरों के खिल पहुंच बुरे

दिखाई पड़ते हैं। इस चित्र को देखकर यिना सकोच ऐसा भासित होने लगता है कि जर्मन मजदूरों में नैतिक समता का गुण बिलकुल नहीं है। व्यावहारिक तत्वों का उन्हें बिलकुल ज्ञान नहीं है और जिन पर सनका जीवन निर्धारित होता है वे कारखाने अथवा व्यवसाय वाणिज्य बिलकुल नष्ट कर देने चाहिए, यह सनका दृढ़ संकल्प है। परतु यदि यह चित्र यथार्थ है तो जिस समय में सोशियालिज्म का विकास हुआ उसी समय में वहा सापत्तिक विकास हुआ। अतएव इन दोनों बातों का एकीकरण कैसे किया जा सकता है? हर एक बड़े शहर में दिखाई देनेवाली उत्तम इमारतों के नमूने, औद्योगिक कलाकृशलता की प्रदर्शनियों के नमूने, प्रत्येक बड़ी दूकान में विविध प्रकार का भरा हुआ सामान, इतना सबूत मिलने पर भी वहा के मजदूरों में अधिक कुशलता आगई है और छोटी से छोटी बात के लिये भी वे ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, यह बात अनुभव में आए यिना न रहेगी। पूजीवालों और मजदूरों के बीच का सबध प्रापदायक नहीं, यह बात नहीं है, परतु यह बात बिलकुल निश्चित है कि गत पचीस वर्षों में, औद्योगिक उभति की नींव दोनों ने मिल कर डाली, जो बहुत दृढ़ और मजबूत है और उसपर जो इमारत अब बनाई जा रही है वह बहुत सुदर है।

जर्मनी में व्यापार व्यवसाय के नगरों को देखने के लिये इर्लैंड के जो लोग जाते हैं वे किसी एक राहगीर अथवा किसी कारखाने के एक मजदूर को देखकर उसके साफ सुधरे रहने के लग और बोल चाह की कुशलता को देखकर खित

हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे सुलक्षण के मजदूरों में भी इस प्रकार की आठ क्यों न दिखाई पड़े ? परतु यह सोचते ही चन्हें यह भास होने लगता है कि जर्मन मजदूरों को उनके रहने सहन की अपेक्षा अधिक बेतन मिलता है और उनके रहने के मकान भी अच्छे हैं । परतु इन दो कारणों से ही जर्मन मजदूरों में ऊपर कहे हुए गुण आ जाते हैं, यह कार्यकारण भाव उनको अथवा और किसी को ठीक ठीक नहीं ज़ंचता । परतु फिर यह परिणाम है कि स वात का ? पाठशालाओं में मिलनेवाली अनिवार्य शिक्षा का क्या यह परिणाम है ? स्योग धर्घों में पैठनेवाले जर्मन लोगों को विलकुल बचपन में ही क्या ऐसा नहीं सिखाया जाता कि प्रत्येक मनुष्य लो अपना शरीर और कपड़े स्वच्छ रखने चाहिए तथा सबों से कुशलता और मर्यादापूर्वक व्यवहार करना चाहिए । ये गुण विद्यार्थियों में उत्पन्न हों, इस विषय में उनकी पाठशालाओं में शिक्षक विशेष ध्यान देते हैं और यह सच है तो भी बहुत सी पाठशालाओं में जाने वाले बालक नगे पैर, - मिट्टी और धूल में खेलते हुए जिस प्रकार अन्य शहरों में जाते हुए पाए जाते हैं उसी प्रकार जर्मनी के शहरों में भी पाए जाते हैं ।

हा, यह सच है कि जर्मन मजदूरइल के बालक साधारण तौर पर मर्यादाशील होते हैं और उनमें उच्चतुर्ख़लता कम पाई जाती है । जर्मन बालिकाएँ भी बिनयशील होती हैं और उनके व्यवहार में अमरक दमक कम होती है । इसी अणी के अगरेज - बालक बालिकाओं में ये गुण प्राय कम

पाए जाते हैं।" जर्मनी में एक पुरानी मसल है कि "बालकों पर नज़र रक्खो परतु उनकी बातें मत सुनो।" इस कहावत का पाठशालाओं में सदा प्रयोग किया जाता है, और सभव है कि उसी का यह परिणाम हो। कौमार और तारण्य इन दोनों अवस्थाओं के बीच का जो समय जाता है, उसमें पाठशालाओं में प्राप्ति की हुई हितकारी शिक्षा में से बहुत सी शिक्षा की बात भूल जाना सभव है, परतु इस बीच में बालकों को मर्द बनाने की जर्मन कृति और हिन्दू शिक्षा कृति में बड़ा अंतर है। प्राथमिक शिक्षा की पाठशालाओं में बालकों के मन पर जो सहकार होते हैं वे घलबान हो कर भविष्यत् में बने रहें इसके लिये कौमार और यौवन के नाजुक समय में जर्मनी में दो प्रकार की शिक्षा दी जाती है, परतु इगलैंड में इस प्रकार की चिंता कोई नहीं करता। पहली बात वह पर यह है कि प्रारंभिक शिक्षा की पाठशालाओं से शिक्षा समाप्त होते ही विद्यार्थियों को कटिन्युएशन पाठशालाओं में पढ़ने के लिये जाना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि उन्हें सैनिक सेवा के लिये जाना पड़ता है। प्राथमिक शिक्षा की पाठशाला से विद्यार्थी ऊँची पाठशाला में पढ़ने गया कि सहज में ही उसका मन बढ़ जाता है। उसके व्यवहार पर दूसरे की नजर रहती है और उसके बुरे मार्ग पर लगने का भय नहीं रहता। सैनिक शिक्षा मिठने से शरीर में व्यवस्थित रहने का गुण आता है। जर्मनी में हर एक हृष्ट पुष्ट और सुदृढ़ तरुण बालक को दो वर्ष तक खेना में रह कर सैनिक काम सीखना पड़ता है। परचक्र से

राष्ट्र का उद्धार करने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सैनिक शिक्षा देना आवश्यक और छाभदायक है या नहीं इस प्रश्न का विचार करना निर्यक है। यहां पर तो केवल इतना ही देखना है कि सेना में रहकर मजदूरों में कुछ अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं या नहीं और इस विषय में कोई मत भेद होता सभव नहीं मालूम होता। सैनिक शिक्षा से मनुष्य के व्यवहार में कुछ उद्देश्य उत्पन्न हो जाता है और एक मनुष्य की मात्रहती में रह कर अन्य लोगों के साथ काम करने की आदत पढ़ जाती है। सैनिक शिक्षा समाप्त करने के बाहर कोई मनुष्य कारखाने में नौकरी करने जाता है तब वहां उसे नई तरह की यत्र सामाजी और काम करने की पढ़ति देखने को मिलती है, परन्तु उसे देख कर वह न ढग-मगाता है और न घबड़ाता है। उसकी चुदि सुस्थित होने से नवीन परस्थिति में भी जाकर वह मिल जाता है।

सैनिक शिक्षा से मजदूरों की नैतिक और शारीरिक उन्नति सैनिक विभाग द्वारा होती है और इसी कारण कारखानों में शारीरिक स्वच्छता रखने की व्यवस्था की गई है। हर एक कारखाने में मजदूरों के लिये स्नान गृह और हाथ, पैर, सुह धोने के लिये उचित व्यवस्था मालिकों को कर देनी चाहिए, ऐसा कानून है। इन स्नान-गृहों में गरम और ठंडा, जैसा पानी, जिसे चाहिए मिलता है। कई स्थानों पर तो "तुपार स्नान" की भी व्यवस्था की गई है। इसी कारण जर्मन कारखानों से बाहर आए हुए मजदूर कभी मैले कुचैले नहीं दिखाई पड़ते। कपड़ों के संधार में भी उनकी यही

व्यवस्था है। कारखाने में काम करने के लिये जाने पर, पहने हुए कपड़ों को उतार कर, वहाँ के कपड़ों को मजदूर पहन लेते हैं तब काम करते हैं और जाते समय कोई मजदूर कारखाने का काम के समय का पहना कपड़ा पहन कर बाहर नहीं जाने पाता। कारखाने से बाहर जाने के लिए अपने स्वच्छ कपड़े बदल कर ही बाहर जाने का नियम है। यदि कोई इस नियम का पालन न करे तो कारखाने के दरवाजे पर बैठा हुआ पहरेवाला कभी किसी मजदूर को बाहर नहीं जाने देगा। अब तक जो कुछ कहा गया है उस सबका कारण पाठशाला में प्राप्त हुई शिक्षा, बारकों और परेष पर की व्यवस्था, स्वच्छता और दृढ़ता के व्यवहार से मिली हुई उच्चेजना है। इन्हीं के सम्मेलन से जर्मन मजदूर अच्छा चलता है, अच्छा काम करता है और दिखाई भी अच्छा पड़ता है, इसमें आश्र्य की बात ही कौनसी है? और यह अच्छापन समाज स्थिति के कारण ही नहीं बरन् शिक्षा द्वारा प्राप्त होता है यह बात ध्यान में रखने योग्य है।

व्यवस्थित रूप से रहने और भितव्ययिता के साथ काम करने में मजदूरों को उनकी जियों से बड़ी सहायता प्राप्त होती है। साधारण तौर पर इनकी जिया गृहिणी पद के सर्वथा योग्य हैं। पति के बेटन की सारी व्यवस्था वे ही करती हैं। योदे खर्च में उनके लिये खाने पीने के अच्छे पदार्थ तैयार कर देना उन्हीं का काम है। आमदनी का हिसाब 'किताब रखना, घर का किराया अधिकार 'अन्य' करों का देना, उनका काम है।

प्रति के खजाने की वे ही मालिकिन होती हैं । वे स्वत परिश्रम करके उस खजाने में अपना कमाया हुआ बन भी छाकर मिठा देती हैं । अपने यहा जिस प्रकार साधु सतों के वाक्यों को लोग कागजों पर लिख कर घर की दीवारों पर चिपका देते हैं उसी प्रकार की चाल जर्मनी में भी है । वहा भी साधु सतों के वचनों को मजदूर लोग अपने घरों की दीवारों पर अथवा टेवल छाथ पर या खिड़कियों में लगाए हुए परदों पर जगह जगह चिपका देते हैं ।

जर्मन मजदूरों को ऐसा आराम पस्त है, परतु वह नियमानुसार होनी चाहिए । आमोद प्रमोद के लिये वे इधर उधर बाहर कहीं नहीं जाते । सप्ताह में छ दिन—प्रति दिन नौ दस और कभी कभी च्यादा से च्यादा ग्यारह घटे उन्हें काम करना पड़ता है । रविवार के सिवाय उन्हें कोई छुट्टी नहीं । इसलिये इस दिन वे अपना समय आमोद प्रमोद में ब्यतीत करते हैं । उस दिन मजदूर श्रेणी के लोग दिखाई भी न पड़ेंगे । गर्मी के दिन हुए तो किसी बाग अथवा जगल में, और अन्य कर्तुओं में उपहार-गृहों में उनके दर्शन हो सकते हैं । वहे पड़े शहरों में इसी प्रकार के सुभीते के स्थान यदुतायत से पाए जाते हैं । मध्यम स्थिति के लोग अपने बाल बच्चों को ले कर जिस प्रकार बन भोजन को जाते हैं उसी प्रकार वे लोग भी जाते हैं । सदा सर्वदा परिश्रम करते हुए जिसके हाथ में घट्ट पड़ गए हैं, ऐसे मुख्य मालिक को अपने घाल बच्चों के साथ रविवार का दिन आनंद में बिताते देख कर किसको सुख न मालूम होता होगा ? जर्मनी में आजकल

झटुबों के, मनुष्यों में परस्पर व्यवहार ढीले होने के अनेक कारण स्थिति हो गए हैं परतु तो भी जर्मन मजदूरों का गृह सौख्य जो कुछ है वह अब भी बढ़ा हुआ है और उसका अनुभव वे अपने इच्छानुसार करते रहते हैं। जर्मन मजदूरों के आमोद प्रमोद के जो मार्ग हैं उनमें वे कुछ काम नहीं करते। शातिपूर्वक बैठे रहना यह एक मार्ग है। शाति पूर्वक बैठे रहकर आमोद प्रमोद करने की कल्पना भी अगरेज मजदूरों के चपल स्वभाव में नहीं है। कोई भी जर्मन मजदूर सुह में चुरुट दबाए, शून्य आकाश की ओर दृष्टि लगाए घटों एक बैंध अथवा घास पर बैठा हुआ, अपना समय व्यतीत कर सकता है परतु यह काम अगरेज मजदूरों से नहीं हो सकता। इस विषय में कुछ लोगों का यह कथन है कि जर्मन मजदूर स्वभाव ही से सुह पर मक्खी बैठने तक चुपचाप रहते हैं। परतु उनका यह कहना हमें यथार्थ नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत हमारा मत तो यह है कि इस बात से तो जर्मन स्वभाव की सरलता, मर्यादित सुखापेक्षा और अल्प सुषुप्ति आदि गुण सहार के सामने अच्छी तरह आते हैं।

बड़े बड़े शहरों में नियमित दिन को—बहुत करके रविवार को—दोपहर के समय बाजिया लगाई जाती हैं। परतु मजदूर लोग इन बाजियों के झगड़े में नहीं पड़ते, इस कारण वे सहु अथवा जुए के मोहजाल में नहीं फँसते। परतु उस देश में लॉटरी (भाग्यपरीक्षा) का काम बहुत अधिक होता है अतपव मजदूर लोग लाठरी के टिकट खरीद कर अपनी

भाग्य परीक्षा का मोह त्याग नहीं सकते, स्वयं मजदूरों की बात तो दूर रही, उनकी स्त्रिया भी अपने परिश्रम से कमाए हुए घन को लाटरी में लगाकर अपने भाग्य की परीक्षा करती हैं। सोशियालिस्ट सप्रदाय के समाचारपत्रों के कालम के कालम लाटरी के विज्ञापनों से भरे रहते हैं और ये ही पत्र बहुत करके मजदूरों को पढ़ने के लिये मिलते हैं। अतएव इसपर से यह अनुमान कर लेने में कोई भूल न होगी कि इन लॉटरियों के आश्रयदाता मजदूरदल के ही बहुत से लोग हैं।

मजदूर लोग अपने योग्यतानुमार सुरक्षावंक रह सक और उनकी आरोग्यता के लिये किक रखती जीवे, इसलिये जर्मन सरकार ने कुछ नियम बना दिए हैं। इन नियमों में मुख्य स्थान बीमा कानून को दिया गया है। किसी मजदूर को अपघात होने पर अथवा बीमार पड़ने पर उसके अच्छा होने तक कानून के अनुसार घर अथवा औपधालय में उसकी सेवा शुश्रुषा और औपधोपचार होता है। इस काम के लिये उसे अपने पास से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार बुढ़ापे में अथवा हाथ पैर से बकाम हो जाने पर पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। हाथ पैर चलते हैं तब तक तो ठीक है, परतु किसी अपघात के कापण मरने पर अथवा हाथ पैर टूट जाने पर, अपने पीछे अपने बाल बच्चों का क्या हाल होगा, उनका पालन पोषण करनेवाला कोई न रहने पर वे अन्न विना भूखों मर जायेंगे, ये विचार रात दिन मजदूरों को दुख पहुँचाया करते हैं। परतु उपरोक्त व्यवस्था होने के कारण वे इस

चिंता से सदा मुक्त रहते हैं और अपने पीछे अपने बाल बच्चों के भूखों मरने का उन्हें विशेष दर नहीं रहता । बीमा कानून की पावत भी सोशियालिस्ट पत्रों में हाय तो बा मचा करता है परन्तु यह चिल्हाहट छोटी छोटी बातों के लिये होती है । मूल तत्त्व के सघध में कोई मतभेद नहीं है वरन् इस कानून के कारण मजदूरों में सरकार के प्रति कृतज्ञता पाई जाती है । अन्य कोई भी कानून यदि रह हो जाय तो उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है परन्तु यदि बीमा कानून में कोई इथ लगावे तो फिर वे उसे कभी सहन करनेवाले नहीं हैं ।

मजदूरों के ऊपर सपकार करने के लिये ही यह कानून बनाया गया है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं । परन्तु असल बात यह है कि इस कानून की सहायता से धन का घटृत वा बोझ मालिकों की अपेक्षा मजदूरों के ही सर पर आदा जाता है । इस बोझ को मजदूर लोग प्रसन्नतापूर्वक उठाने को तैयार रहते हैं, और जो कुछ चदा बगैर हदेना पड़ता है उसे खुशी से दे डालते हैं । ऐसी दशा में मालिकों की परोपकार बुद्धि कैसे व्यक्त होती है, यह बात जौन कह सकता है ? अपघात के बीमा की रगड़ मालिकों के सर पर ही पड़ती है, यह एक अलग बात है । बीमारी की रकम में त्रै रकम मजदूरों को देनी पड़ती है, वाकी त्रै मालिक देता है । अशक्तता और बुद्धियों की रकम में दोनों का आधा आधा भाग होता है । इसके अलावा प्रत्येक पेनशन के पीछे हर साल २ पौंड १० शिल्प सरकारी खजाने से दिया जाता है । बीमा कानून के अनुसार मालिकों को धन

की अधिक चिंता रहती है यह स्पष्ट है। परंतु अपने उपर आए हुए सकट को प्राह्लकों पर ढाँड़ देने की आसानी होने के कारण उन्हें सब मिलाकर कोई विशेष हानि अपनी नहीं प्रतीत होती। उल्टा एक प्रकार से उन्हें लाभ ही रहता है। बीमा किए हुए मजदूरों की माग का भी भय अधिक नहीं रहता और वे भी भविष्य की आशा पर मन लगाकर अच्छा काम करते हैं और इस प्रकार मालिकों को अप्रत्यक्ष भय से लाभ ही होता है।

मजदूरों की शारीरिक उन्नति के साथ साथ मानसिक उन्नति भी होनी चाहिए, यह तत्त्व उनके मुख्यियों के हृदय में अच्छे प्रकार भासित हो जाने के कारण बाल्लीन, लिपजिग, इवर्ग, डुसेल, दार्क और म्यूनिच सरीखे बड़े बड़े नगरों में मजदूरों को रात के समय शिक्षा देने के लिये पाठशालाएँ खोली गई हैं। ये पाठशालाएँ सर्वसाधारण की ओर से ही स्थापित की गई हैं। सरकार से उन्हें कुछ भी सहायता नहीं मिलती। पाठशालाओं में पढ़ाई का काम रात को नौ बजे से र्यारह बजे तक होता है। शिक्षा देने का काम सोशियालिस्ट प्रोफेसरों ने अपने हाथ में ले रखा है। इनकी विषय प्रति पादन की शैली दुराप्रद लिए हुए होती है। इस कारण विद्यार्थियों को सज्जा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो भी, भिन्न भिन्न सामाजिक, राजनीतिक और जीवोगिक विषय व्याख्यान रूप से उनके कानों तक पहुँचते हैं, यह लाभ कुछ कम नहीं है। पालियामेट के मजदूर सभापति, ट्रॉड यूनियनों के मुखिया, समाचारपत्रों के संपादक, लेखक, स्कूल मास्टर ये सब

लोग-अपने अपने सुभीति के अनुमार रात्रि पाठशालाओं में शिक्षा के काम में सहायता पहुँचाते हैं। बर्लिन में मजदूरों के लिये जो व्याख्यान होते हैं उनमें बहुत सी खिया भी पहुँचती हैं। व्याख्यान होने की बात सुनते ही खाना पीना छोड़ कर अपने घर की खियों और बाल बच्चों को ले कर मजदूर वहाँ पहुँचते हैं। व्याख्यानों का विषय भी गहन होता है परतु सरल भाषा में विषय व्यवेचन होने से लोग बड़ी उत्सुकता से उन्हें सुनते हैं।

मजदूरों के ज्ञान बढ़ाने के काम में सर्वसाधारण लोगों की ऐसी सहानुभूति है वैसी सरकारी अधिकारियों की नहीं है। थोड़े दिन हुए नव सोशियालिस्ट पक्ष के कुछ प्रमुख गृहस्थों ने पोट्सडम में न्यायतत्व शास्त्र (Jurisprudence) पर व्याख्यान देने का निश्चय किया और इसी निश्चय के अनुसार समाचारपत्रों में विज्ञापन भी दिया गया। परतु अधिकारियों ने एक पुराना कानून शोध निकाला और उस कानून के आधार पर व्याख्यान बद कर दिया गया। इसी प्रकार चालोंटनवर्ग में वालोदान शिक्षा पद्धति से होनेवाले व्याख्यान को भी पुलिस अधिकारियों ने बद कर दिया।

शिक्षा के समान ही अपने मनोरजनार्थ भी मजदूर लोग खास योजना करने लगे हैं। बहुत से शहरों में उनके नाटक गृह, गायन वादन समाज, कृश्ती और, खेल कूद के अखाड़े मौजूद हैं। बर्लिन में “फ्री पीप्स स्टेज” (Free Peoples'-stage) नाम का एक नाटक घर है। यहाँ थोड़े दाम दे कर उच्च कोटि के नाटक देखने को मिलते हैं। जर्मनी में पुराने

और नए नाटककारों के नाटक सदा होते रहते हैं। राजनैतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लिखे हुए नाटक लोगों को बहुत पस्त आते हैं। शेक्षणियर अथवा अन्य अगरेजी अथवा विदेशी लेखकों के नाटक भी कभी कभी हो जाते हैं। गाने बजाने के जल्दों और चित्रों की प्रदाशनियों को मजदूरों से बहुत कुछ आश्रय मिलता रहता है। तरुण पुरुष भी आनंद और आमोद प्रमोद में खलम रहते हैं। बालकों के लिये उन्होंने कुछ नहीं किया, यह आक्षेप भी उन पर नहीं लगाया जा सकता। कुश्ती के अखाड़ों में प्रति रविवार को बालकों के खेलने की व्यवस्था की गई है। मनोरजन के कामों में भी अपना पक्ष और अपने पक्ष के लोगों के कल्याण के लिये पक्षपात उद्दित विचार देखें जाते हैं, यह सच है, परंतु उसकी सहायता से मनोरजन द्वारा ज्ञान प्राप्ति के काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती।

गत दस पढ़ह वर्षों से शराब कम पीने का आदोलन जर्मन मजदूरों ने शुरू कर रखा है। यह कार्य अपने और अपने दल के लोगों के हित के लिये आरम किया गया है। यह आदोलन आरम हुए अभी बहुत वर्ष नहीं हुए, तो भी इसका प्रचार सारे देश भर म हो गया है। शराब कम पीने का अर्थ और मृत्यु हर एक देश में भिन्न भिन्न है। उदाहरणार्थ इरलैंड और जर्मनी को ही ले लीजिए। दोनों देश हर एक बात में एक दूसरे से भिन्न हैं और इस कारण इस प्रभ का विचार दोनों देशों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से किया जाना चाहिए। सब्द जर्मनी में भी इस बाबत

कोई निश्चित सिद्धात स्थिर नहीं हुआ है, क्योंकि उसके भिन्न भिन्न प्रातों की आबोहवा भिन्न भिन्न प्रकार की है, जेती करने की जमीन भी भिन्न प्रकार की है और देश निवासियों की जातियाँ भी भिन्न भिन्न हैं। यथार्थ जर्मन, वही कहलाता है जो बियर (Beer) का पीनेवाला है। बाकी के लोग अन्य प्रकार की शराब पीते हैं। जर्मन और अगरेजों में केवल इतना ही अतर है कि जर्मन लोग समझते हैं कि 'बियर' मनुष्य के आवश्यक पेय पदार्थों में से एक है परतु अगरेज लोग यह समझते हैं कि यह आमोद प्रमोद और मनोरजन करनेवाला पदार्थ है। इंडिया में जिस तरह पर लोग चाय और काफी का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार जर्मन लोग 'बियर' को काम में लाते हैं। "गरीब लोगों की बियर" (Poormens' Beer) यह तो वहा एक कहावत है और इस कहावत में एक गूढ़ तत्त्व भरा है, ऐसा समझा जाता है। जो गूढ़ तत्त्व इस कहावत से निकाला जाता है वह यह है कि किसी मनुष्य का ससार बिना बियर के चल नहीं सकता और इसी कारण इस शाखा पर जर्मनी ने कर नहीं लगाया है। बियर शराब पर कर नहीं है, यह सुनकर अगरेजों को बड़ा आश्र्य मालूम होगा। परतु ऊपर जो रहस्य बताया गया है, उसका भाव समझ लेने से उन्हें फिर इतना आश्र्य नहीं मालूम होगा।

परतु एक बात और है। जर्मन लोग बियर पीते अवश्य हैं परतु इसकी वे श्यादती नहीं होने देते। जर्मन की बियर शराब में 'अत्तोहड़' अर्थात् मादक पदार्थ का भाग सैकड़ा

पीछे २ होता है परतु अगरेजी वियर में यह सैकड़े पीछे ५ के हिसाब से पाया जाता है। जर्मन वियर की मादकता का भाग इतना कम होने पर भी पीनेवाले व्यक्ति को और उस समाज को जिसका वह व्याकि है, कितनी हानी पहुँचती है यह भावना मजदूर दल में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मित-पान करने का आदोलन पहले पहल सोशियालिस्ट लोगों ने भारभ किया। कुछ दिनों के बाद मजदूर दल के लोग भी इस आदोलन में सम्मिलित हो गए और अब तो सारे देश में यह आदोलन व्याप गया है। यह आदोलन स्वयं जर्मन लोगों ने भारभ किया और उसकी व्यापकता एक विशेष दल के लोगों तक है, यह बात ध्यान रखने योग्य है। इश्लैट में भी इस काम के लिये एक सोसाईटी है। उसके आश्रय में काम करनेवाले अनेक लोग हैं। परतु जर्मनी में इस प्रकार का ठाट वाट विलक्कुल दियार्ह नहीं पड़ेगा। किसी अन्य ने आ कर कान में मन के समान फूँच दिया अथवा किसी उपदेशक ने आ कर उपदेशामृत पान कराया या किसी अपूर्व वक्ता ने उसके गुण दोष बताए, यह दशा वहा नहीं है। वहा पर मित-पान करने के काम में सभा करके भाषण करने, घर्मोपदेशक अथवा नीति शाल्वेत्ता या किसी समाज-सुधारक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहा तो भोवा भी मजदूर और वक्ता भी मजदूर ही हैं। सारी व्यवस्था मजदूरों ने अपने हाथ में ही रखी है। शराब पीना बुरा है, उससे सामाजिक नीति भ्रष्ट होती है। शराब पीनेवाला मनुष्य, मनुष्यत्व

से गिर जाता है, इत्यादि नैतिक तत्व को लकड़े बाद विवाद नहीं करते। शराब पीने से शारीरिक हानि होती है, धन का बिना कारण अपव्यय होता है और समाज को हानि पहुँचती है इसलिये वे इस बात पर जोर देते हैं कि शराब का व्यवस्था ही नष्ट हो जाय तो बहुत अच्छा। परन्तु यदि यह होना सभव न हो तो मित-पान करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया जाना चाहिए और इससे प्रत्येक व्यक्ति और उसी के साथ सारे समाज का लाभ होना सभव है। इस प्रकार साम्पत्तिक लाभ वता कर यह आदोलन उन्होंने आरम्भ किया है, नैतिक प्रश्न का इस विषय में उन्होंने कोई संघर्ष नहीं रखा।

यह आदोलन आरम्भ होने से पहले विषद् का चारों ओर साम्राज्य था परन्तु जब स यह आदोलन आरम्भ हुआ तबसे अब की स्थिति का कोइ मिलान करे तो उसे आकाश पाताल का अंतर दिखाई पड़ेगा। मित-पान का महत्व जाननवाला एक भी पुरुष पद्रह वर्ष पहले दिखाई नहीं पड़ता था, परन्तु यदि आज देखा जाय तो चारों ओर भिन्न भिन्न समाजों में यह आदोलन अपना प्रमाण ढालता हुआ दिखाई पड़ेगा। ट्रेडयूनियनों के सभागृहों से तो मादक द्रव्यों को निकाल ही दिया गया है। बर्लिन के राज-कारीगर अव्वल दर्जे के शराबी होते हैं, यह बात पहले बहुत मशहूर थी परन्तु यदि अब देखा जाय तो यह पाया जायगा कि काम पर जाते समय वे अपने साथ सालिस दूध की बोतल ले जाते हैं। परवाना मिठी हुई दूफानों, उपहारगृहों, अथवा अन्य स्थानों से

शराब के बजाय चाय, काफी, दूध आदि, इसी प्रकार के सात्त्विक पदार्थ पीने को दिए जाने की व्यवस्था की गई है। मन् १८९९ से १९०५ तक वियर शराब की कितनी स्थपत हुई इसका व्योरा जो प्रकाशित हुआ है, उसे देखने से यह प्रतीत होता है कि शराब की स्थपत दिनों दिन कम होती जाती है।

भिन्न भिन्न प्रातों की सरकारें और उन शहरों के अधिकारी लोग भी यह प्रयत्न करते रहते हैं कि मजदूर लोग वियर शराब पीना त्याग दें। घन्वेरिया प्रात वीरों की जन्मभूमि कहा जाता है परतु वहां की सरकार भी इस काम में मन लगा कर सहायता पहुँचाती है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। रेलवे, बंदरगाह, नहरें आदि बनाने का काम सरकार द्वारा होता है अतएव ऐसी जगहों पर शराब बेचने की दूकानें खोलने की सरकार कभी आझा नहीं देती। ऐसी व्यवस्था की गई है कि कारखानों की जाच करनेवाले अधिकारी लोग कारखाने के मालिकों को शराब न पीने का महत्व अच्छी तरह से समझा दें। सरकारी वर्क शापों में वियर के जगह काफी, चाय, दूध अथवा खनिजोदक (Mineral Waters) मिलने की व्यवस्था की गई है। वियर शराब बनानेवाली भट्टियों में, काम करनेवाले मजदूरों को, सुफत वियर पीने को दी जाय, ऐसी प्रथा थी परतु अब यह प्रथा भी बढ़ा दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वियर के बिरुद्ध जो चढ़ाई की गई थी उसमें यश और विजय प्राप्त होरही है।

सित-पान के आंदोलन, भारत से ओशियालिष्ट लोगों ने जारी किया यह ऊपर कहा जा सकता है। परंतु इस बड़े सम-

लोग भारभ से अनुकूल न थे, वरन कुछ लोग तो इस आदोलन के विरुद्ध थे परन्तु इस आदोलन के उत्पादकों ने इस ओर ध्यान न देकर समाचारपत्रों, मासिक पुस्तकों, सूचनापत्रों और व्याख्यानों द्वारा लोकमत जापत करने का यत्न बढ़े परिश्रम के साथ किया। उनके इस प्रयत्न का फल धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है और सोशियालिस्ट दल के सुरिया और प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग भी इस आदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। सन १९०७ में एमन नगर में इस दल के लोगों की जो कामेस हुई थी, उसने इस आदोलन को न जाने क्या आशीर्वाद चिरजीवत्व के लिये दिया कि तबसे मद्यपान निषेध का विषय भी सोशियालिस्ट लोगों न अपने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य समझ लिया है। घनी लोगों के पजे से मजदूरों को सदा के लिये छुड़ाने के उद्देश्य से जो अनेक उद्योग उन लोगों ने किए हैं, उन सबों में उस मद्यपान निषेध के प्रयत्न को महत्व का स्थान दिया गया है।

इस विषय की जरा विस्तारपूर्वक विवेचना करने के दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मजदूरी पर निर्वाह करने-चाले जितने लोग हैं उनका एक स्वतंत्र दल तैयार होना चाहिए, यह स्पष्ट ज्ञान उनमें उत्पन्न करना और सब लोग एकमत हो कर काम करने को तैयार हुए तो अन्य लोगों की सहायता की अपेक्षा न कर के “उद्धरेदात्मनात्मान” के सिद्धातानुसार स्वावलम्बन का मार्ग प्रहण कर के अपनी स्थिति सुधारना इस भाव को आगे रख कर मद्यपान-निषेध-का प्रश्न मजदूरों ने अपने हाथ में लिया है, यह बात पाठकों को

ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा कारण यह है कि इस विषय को सांपत्तिक दृष्टि से देखने पर मजदूर दल के बहुत से लोगों की यह दृढ़ धारणा हो गई है कि मित-पान करने से उद्योग धर्घो में अपने को अधिक यश प्राप्त होगा और समाज में मनुष्यता के नाते से हमारा अधिक मान होगा। शराब पीने के व्यवसन को तिळाजलि देने के लिये जो ये लोग तैयार हुए हैं उनमें से बहुत से तो अपने मालिकों पर प्रेम दिखाने अथवा अपने काम को सुचारू रूप से सम्पादन करने के लिये ही उद्यत हुए हैं। स्वार्थ और अपने दल के लोगों की सांपत्तिक उन्नति के विचार से ही ये बातें उन्हें उस ओर ले गई हैं। परतु इस कार्य में जितना अधिक यश प्राप्त होगा उतना ही अधिक अनायास कारखानेवालों को लाभ पहुँचेगा, क्योंकि शराब के व्यवसन से मुक्त हो कर मजदूर लोग अधिक कार्यशील बनेंगे। परतु व्यापार में जर्मनी की वरावरी करनेवाले राष्ट्र मद्यपान-निषेध का मूल तत्व क्या है, इस आर विलकूल ध्यान नहीं दरें। वे सो केवल यह देख रहे हैं कि जर्मन व्यापार का भविष्यत् में क्या परिणाम होगा। परतु भविष्यत् में क्या होगा इसकी चिंता निरर्थक है और उस विषय में अभी कोई निश्चयात्मक विधान करना बहुत बड़े साहस का काम होगा।

दसवाँ अध्याय ।

सिंडिकेट अर्थात् कारखानेवालों का संघ ।

कॉलिंग प्रवासी आस्ट्रिया के कासल (वकील) ने सन् १९०६ में अपनी सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसका भाव यह था—“जर्मनी की सापेचिक स्थिति चर्तमान समय में मुट्ठी भर अधिक से अधिक पचास मनुष्यों की हच्छा पर अब लबित है, वैसी इससे पहले कभी न थी। औद्योगिक विकास के लिये किसी प्रकार का प्रतिवध करना चाहित नहीं है, वह जिस प्रकार से होता है उसे उसी प्रकार से होने देना चाहिए। यह सिद्धात जितना सन् १९०६ में पीछे छोड़ दिया गया है इसके पहले वह कभी इतना पीछे नहीं रहा। बड़ी बड़ी बड़े, औद्योगिक कारखाने, व्यापार के सघ, इन सबों में मुख्य मुख्य मनुष्यों के हच्छानुसार माल का तैयार करना, विदेश में भेज कर विक्री करना, माल की कीमत स्थिर करना; माल को उधार देने का प्रवध करना, नई पूजी इकट्ठी करना, मजेदूरों का वेतन और व्यापार की दर का निश्चित करना, आदि बातें अब प्राय तै भी हो गई हैं। जिन उद्घोग धर्धों में व्यापारियों ने सघ बना लिए हैं, उनमें किफायत अधिक होती है। इसी प्रकार जर्मनी के औद्योगिक सुधार के साथ जिन लोगों की थैलियाँ भरी हैं, यदि ऐसे कोई लोग हैं तो वे सघ में संमिलित हुए व्यापारी हैं।”

कारखानों के सघ को जर्मनी में सिंडिकेट कहते हैं। इन सिंडिकेटों को स्थापित करने का जो सद्योग वर्तमान युग में वहाँ हो रहा है, उस और विदेशी लोगों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित हुआ है, यह बात ऊपर दिए हुए अवतरण से स्पष्ट समझ में आ जाती है। इन सिंडिकेटों का जैसा उपयोग व्यवसाय वाणिज्य के प्रसार में होता है वैसा ही पूँजी एकत्रित करने के विषय में भी होता है। यह बात आस्ट्रियन कासल के लेख से ध्वनित होती है और यह विस्तृत ठीक है। हर एक प्रात में जितने बैंक हैं वे सब बर्लिन की मुख्य बैंक में सम्मिलित हैं। बर्लिन की इस बैंक ने पुन आपस में सधि कर रखी है। इस कारण व्यापार के लिय धन की जो गड़बड़ी या धूमधाम होती है वह केवल पाच छ बैंकों द्वारा होती है। इन बैंकों में से तीन बैंकों की पूँजी, दो दो करोड़ प्रति बैंक पौँड है। समुद्र द्वारा विदेशी व्यापार के लिय जितने धन की आवकता होती है वह सब इन्हीं बैंकों द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय के लिय सिंडिकेट स्थापित करने का जो कम सारे देश में शीघ्रता से जारी है उसमें भी जितना धन लगाने की आवश्यकता होती है, ये बैंके उत्तर देश को तैयार रहती हैं।

औद्योगिक सघ बनाने का प्रावल्य जर्मनी मध्यमी हाउल में ही आरम्भ हुआ हो, यह बात नहीं है। एक इतिहास लेखक ने लिखा है कि सन् १८३६ में भी एक सिंडिकेट वहा थी। इस साल से लेकर सन् १९०६ तक अर्थात् सचर वर्ष के भीतर भीतर वहाँ करीब करीब चार सौ सिंडिकेट स्थापित

हो गए। इस पर से विदेश से रखाना होनेवाले माल का स्वारा काम कहीं-पूर्ण रीति से, कहीं अशात् ; सिंडिकेट के स्वाधीन हो गया है, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा और साथ ही यह बात तो निश्चय के साथ कही जा सकती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय वाणिज्य को एक केंद्र में लाने का जो प्रयत्न चल रहा है उससे विशेष महत्व का माल उत्पन्न करनेवाले कारखानों को भी बहुत ही कुछ यश प्राप्त हो रहा है।

सरक्षण-कानून पास होने से, सिंडिकेट स्थापित करने वालों को कितनी उत्तेजना मिली, इस विषय में स्वयं जर्मन लोगों में मतभेद है। यह कानून सन् १८७९ में जारी हुआ। परंतु इससे भी पहले सिंडिकेट मौजूद थे। इस पर से यह नहीं कह सकते कि आनेवाले माल पर कर लगाने से ही इसकी उत्तेजित हुई है। सरक्षण के अतिरिक्त औद्योगिक सघों के परिपोषण की ओर भी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं तथा उन उन अवस्थाओं में सघ का कार्य उत्तमतापूर्वक चलता है। उदाहरणार्थ—
 (अ) कच्छा माल जितना उत्पन्न होना चाहिए उतना न होने से अथवा उसे उत्पन्न करनेवाले मनुष्यों की सख्ता कम होने से उसका व्यापार थोड़े लोगों के इच्छानुसार चलना,
 (ब) कारखानों में अधिकारी अथवा पक्का तैयार होनेवाले माल का व्यापार स्वाभाविक रीति से मुट्ठी भर आदमियों के हाथ में रहना, (क) बाजार में भेजजानेवाला माल किस प्रकार का होना चाहिए, वह कितना तैयार किया जाना चाहिए, और विदेश में उसे किस प्रकार से भेजना चाहिए, इत्यादि

बातों के लिये स्थानिक सघ बनानेवालों की दशा का अनुकूल होना, और इसी प्रकार के और भी कुछ उदाहरण देने योग्य हैं। जिन उद्योग-धर्घों के लिये आज कल सिंडिकेट स्थापित हुए हैं उनकी उन्नति सिंडिकेट द्वारा ही हुई है।

सन् १८७९ में सरक्षण कानून पास हुआ, यह ऊपर नवाया जा चुका है। उस कानून का अमल दरामद होते ही सिंडिकेटों की सख्त बढ़ने लगी, यह बात ध्यान में रखने योग्य है। इस पर से यह अनुमान किया जा सकता है कि सरक्षण, सिंडिकेटों की उत्पत्ति का आदि कारण न भी हो तो भी इनकी स्थापना में उससे सहायता अवश्य मिली। यदि यह कानून पास न हुआ होता तो बहुत कुछ सम्भव था कि सिंडिकेटों का उतना प्रसार न होता जितना कि अब है। इसारा यह अनुमान गलत नहीं है, इसके लिये जर्मन लेखों के लेखों के बहुत से अवतरण दिए जा सकते हैं, परतु विस्तार-भय से यहां पर उनका देना चित्त नहीं जान पड़ता।

परतु यदि यह भी मान लिया जाय कि सरक्षण सिंडिकेटों का प्रत्यक्ष कारण नहीं है केवल साथी अथवा सहचर है तो भी यह अनुमान कर लेना ठीक न होगा कि यदि सरक्षण कानून कुछ ढौला कर दिया जाय तो औद्योगिक सघ निर्माण होने की व्यापारिक प्रवृत्ति कम हो जायगी। प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह सिद्ध करना सरल होगा कि कुछ व्यवसायों में सिंडिकेटों का विदेशी व्यापार की चढ़ा उपरी पर रक्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतएव उन व्यवसायों के लिये 'सरक्षण कर' का उगाना अर्थात् न लगाना बराबर है।

देश का मूळ धन इधर उधर फैला न रहि कर मर्यादित दक्षा में रहे और इसी प्रकार वाणिज्य व्यवसाय सूक्ष्म दृष्टि रहने वाले लोगों की देख रेख में रहे तो अच्छा होगा । परतु इसके विपरीत कितने ही सोशियालिस्ट लेखकों के मतानुसार इस प्रवृत्ति के अधिक ऊचे जाने का मुख्य कारण धनाद्य लोगों की द्रव्य-तृप्ति है । परतु उनका यह कथन युक्ति समत दिखाई नहीं पड़ता । व्यवसाय-वाणिज्य को व्यवस्थित स्वरूप देने का एक बार निश्चय हो जाने से वह किस मार्ग अथवा उपाय से सिद्ध किया जा सकता है, इसका विचार फिर सहज में ही करने की ओर ध्यान जाता है, और उन विचारों की प्रगत्यभवता आने से उनका पर्यवसान सिंडिकेट सरीखे सघों द्वारा होना एक सहज घात है ।

सिंडिकट तत्व के प्रतिकूल बहुत से लोगों का यह आन्ध्रप है कि यह सत्या आवश्यकता से, अधिक आगे बढ़ नहीं है और उसका परिणाम यह हुआ है कि योड़े सभव्य में ही जर्मन राष्ट्र एक बहुत बड़ा “वर्कशाप” बन गया है । और इस कारण देश की कृषि और कलाकौशल आदि रसातल को चले गए । व्यवसाय-वाणिज्य के अधिक प्रचार से खेती का काम करने के लिये मजदूर नहीं मिलते और यह कठिनाई सदा के लिये आ उपस्थित हुई है । सम्पत्युत्पादन के काम में एकदम बहुत बड़ा फेर फार हो जाने से, किसानों पर यह कठिनाई अन्येक्षित रूप से आकर उपस्थित हो गई है और यह किस प्रकार दूर की जा सकती है, इसका उपाय सुझाई नहीं पड़ता ।

कोयला और लोहा निकालने के कारखाने के मालिकोंने जो सघ स्थापित किए हैं, वे अन्य प्रकार के सघों की अपेक्षा अधिक पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं। खानों से इतना ही माल निकालना चाहिए और कारखानों में इतना ही माल तैयार होना चाहिए, अधिक तैयार न होना चाहिए—इन सघों में यह व्यवस्था अब भी अवाधित रूप से चल रही है। “विनिश्च-वेस्टकेलियन सिंडिकेट” सघ से अधिक प्रभावशाली है। इस सघ की स्थापना, एमन नगर मे, सन् १८८३ में हुई थी। इसी प्रकार के सघ अन्य कारखानों के मालिकोंने भी बनाए हैं। बाजारों में कितना माल भजा जाय जिस प्रकार यह बात सघ फरते हैं उसी प्रकार बाजार मे माल किस भाव बेचा जाय, इसका निश्चय भी एक दूसरे सघ द्वारा होता है, और ये दोनों प्रकार के सघ एकाचक्त होकर काम करते हैं। इस प्रकार माल तैयार करने और बचने की व्यवस्था के प्रतिकूल चार आक्षण किए जाते हैं। वे आक्षण यह हैं—

(१) माल पैदा करने और बचने में जो गर्व होता था वह कम हो, और पहले इस विषय मे जो उपरा चढ़ी होने से हानि होती थी वह न हो, परन्तु इतने से ही ये सिंडिकेट सतुष्ट न रहकर माल का मूल्य मर्यादा से अधिक बढ़ा देने के काम मे भी इन सघों का उपयोग करत है।

(२) कचा और कारखानों मे तैयार हुआ अधपक्का माल विदेशी व्यापारियों को जिस मूल्य पर दिया जाता है उससे अधिक मूल्य लेकर दशी व्यापारियों को दिया जाता है। इस कारण कारखानों मे अधपक्का तैयार हुआ

देश का मूल धन इधर उधर फैला न रह कर मर्यादित दशा में रहे और इसी प्रकार वाणिज्य व्यवसाय सूक्ष्म हृषि रहने, चाले लोगों की देख रेख में रहे तो अच्छा होगा । परंतु इसके विपरीत कितने ही सोशियालिस्ट लेखकों के मतानुसार इस प्रवृत्ति के अधिक ऊंचे जाने का मुख्य कारण धनाढ़ी लोगों की द्रव्य-तुल्णा है । परंतु उनका यह कथन युक्ति समत दिखाई नहीं पड़ता । व्यवसाय-वाणिज्य को व्यवस्थित स्वरूप देने का एक बार निश्चय हो जाने से वह किस मार्ग जायवा उपाय से सिद्ध किया जा सकता है, इसका विचार फिर सहज में ही करने की ओर ध्यान जाता है, और उन विचारों की प्रगतिमता आने से उनका पर्यवसान सिंडिकेट सरीखे संघों द्वारा होना एक सहज घात है ।

सिंडिकट तत्व के प्रतिकूल घटूत से लोगों का यह आक्षण्य है कि यह स्था आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ गई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि थोड़े समय में ही जर्मन राष्ट्र एक बहुत बड़ा "वर्कशाप" बन गया है । और इस कारण देश की कृषि और कलाकौशल आदि रसातल को चले गए । व्यवसाय वाणिज्य के अधिक प्रचार से खेती का काम करने के लिये मजदूर नहीं मिलते और यह कठिनाई सदा के लिये आ उपस्थित हुई है । सम्पत्युत्पादन के काम में एकदम बहुत बड़ा फेर फार हो जाने से, किसानों पर यह कठिनाई अन्येक्षित रूप से आकर उपस्थित हो गई है और वह किस प्रकार दूर की जा सकती है, इसका उपाय सुझाई नहीं पड़ता ।

कोयला और लोहा निकालने के कारखाने के मालिकोंने जो सघ स्थापित किए हैं, वे अन्य प्रकार के सघों की अपेक्षा अधिक पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं। स्थानों से इतना ही माल निकालना चाहिए और कारखानों में इतना ही माल तैयार होना चाहिए, अधिक तैयार न होना चाहिए—इन सघों में यह व्यवस्था अब भी अवधित रूप से चल रही है। “वि निश-वेस्ट केलियन सिंडिकेट” सब से अधिक प्रभावशाली है। इस सघ की स्थापना, एमन नगर में, सन् १८८२ में हुई थी। इसी प्रकार के सघ अन्य कारखानों के मालिकों ने भी बनाए हैं। बाजारों में कितना माल भजा जाय जिस प्रकार यह भारत सघ करते हैं उसी प्रकार बाजार में माल किस भाव बेचा जाय, इसका निश्चय भी एक दूसरे सघ द्वारा होता है, और ये दोनों प्रकार के सघ एकाचक्त होकर काम करते हैं। इस प्रकार माल तैयार करने और बचने की व्यवस्था के प्रतिकूल चार आक्षण किए जाते हैं। वे आक्षण यह हैं—

(१) माल पैदा करने और बचने में जो गर्व होता था वह कम हो, और पहले इस विषय में जो उपरा चढ़ी होने से हानि होती थी वह न हो, परन्तु इतने में ही ये सिंडिकेट सतुष्ट न रहकर माल का मूल्य मर्यादा स अधिक बढ़ा देने के काम में भी इन सघों का उपयोग करते हैं।

(२) कच्छा और कारखानों में तैयार हुआ अधपका माल विदेशी व्यापारियों को जिस मूल्य पर दिया जाता है उससे अधिक मूल्य लेकर देशी व्यापारियों को दिया जाता है। इस कारण कारखानों में अधपका तैयार हुआ

देश का भूत घन इधर उधर फैला न रह कर मर्यादित दक्षा में रहे और इसी प्रकार वाणिज्य व्यवसाय सूक्ष्म हृषि रहने चाले लोगों की देख रेख में रहे तो अच्छा होगा । परंतु इसके विपरीत किन्तु ही सोशियालिस्ट लेखकों के मतानुसार इस प्रसूति के अधिक ऊंचे जाने का मुख्य कारण घनाढ्य लोगों की द्रव्य-तुष्णा है । परंतु उनका यह कथन युक्त सरत दिखाई नहीं पड़ता । व्यवसाय-वाणिज्य को व्यवस्थित स्वरूप देने का एक बार निश्चय हो जाने से वह किस मार्ग अथवा उपाय से चिन्ह किया जा सकता है, इसका विचार फिर सहज में ही करने की ओर ध्यान जाता है, और उन विचारों की प्रगत्यमता आने से उनका पर्यवसान सिंडिकेट सरीखे सघों द्वारा होना एक सहज बात है ।

सिंडिकट तत्व के प्रतिकूल बहुत से लोगों का यह आश्रेप है कि यह सत्या आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ गई है और उसका परिणाम यह हुआ है कि थोड़े समय में ही जर्मन राष्ट्र एक बहुत बड़ा "वर्कशाप" बन गया है । और इस कारण देश की कृषि और कलाकौशल आदि रसातल को चले गए । व्यवसाय-वाणिज्य के अधिक प्रचार से खेती का काम करने के लिये मजदूर नहीं मिलते और यह कठिनाई सदा के लिये आ उपस्थित हुई है । सम्पत्युत्पादन के काम में एकदम बहुत बड़ा फेर फार हो जाने से, किसानों पर यह कठिनाई अनपेक्षित रूप से आकर उपस्थित हो गई है और वह किस प्रकार दूर की जा सकती है, इसका उपाय सुसाई नहीं पड़ता ।

कोयला और लोहा निकालने के कारखाने के मालिकोंने जो सघ स्थापित किए हैं, वे अन्य प्रकार के सघों की अपेक्षा अधिक पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं। खानों से इतना ही माल निकालना चाहिए और कारखानों में इतना ही माल तैयार होना चाहिए, अधिक तैयार न होना चाहिए—इन सघों में यह व्यवस्था अब भी अवाधित रूप से चल रही है। “वि-निश-वेस्ट कॉलियन सिंडिकेट” सब से अधिक प्रभावशाली है। इस सघ की स्थापना, एमन नगर में, सन् १८८३ में हुई थी। इसी प्रकार के सघ अन्य कारखानों के मालिकों न भी बनाए हैं। साजारों में कितना माल भजा जाय जिस प्रकार यह बात सघ करते हैं उसी प्रकार बाजार म गाल किस भाव बेचा जाय, इसका निश्चय भी एक दूसरे सघ द्वारा होता है, और ये दोनों प्रकार के सघ एकाचत्त होकर काम करते हैं। इस प्रकार माल तैयार करने और बचने की व्यवस्था के प्रतिकूल चार आक्षण किए जाते हैं। वे आक्षण य हैं—

(१) माल पैदा करने और बेचने में जो व्यर्द होता था वह कम हो, और पहले इस विषय में जो सपरा छढ़ी होने से हानि होती थी वह न हो, परन्तु इतने से ही य सिंडिकेट सतुष्ट न रहकर माल का मूल्य मर्यादा स अधिक बढ़ा देने के काम में भी इन सघों का उपयोग करते हैं।

(२) कच्चा और कारखानों में तैयार हुआ अधिकार माल विदेशी व्यापारियों को जिस मूल्य पर दिया जाता है उससे अधिक मूल्य लेकर देशी व्यापारियों को दिया जाता है। इस कारण “धपका तैयार हुआ”

माल खरीद कर पक्का तैयार करनेवाले कारखानों को और देश के ग्राहकों को बहुत बड़ी हानि होती है ।

(३) कुछ व्यवसायों में यह भी होता है, कि देश की आवश्यकतानुसार माल तैयार न करके उसे मनमाने दामों पर बेचा जाता है और जितना चाहते हैं भाव बढ़ा देते हैं और उसी प्रकार के विदेश से आनेवाले माल पर 'सरक्षण कर' लगा रहने से उसके आने का और अपने साथ मुकाबला करने का उन्हें बिलकुल भय नहीं रहता ।

(४) फुटकर व्यापार करनेवालों और दलाल लोगों को यह आपत्ति है कि व्यापार में पहले जो हमें स्वतंत्रता थी, वह अब नहीं रही । पहले के समान व्यापार में जहा हमें काम मिलता था वहा अब वे सिंडिकेट बीच में पड़ कर हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होने देते ।

अब यदि दोनों पक्ष के सिद्धातों का मुकाबला किया जाय तो यह बात प्रत्यक्ष हो जायगी कि दूसरों पर अवलाभित रहने वाले कारखानेवालों और व्यक्तिश व्यापारियों का उपरोक्त कथन बिलकुल ठीक है, यह बात स्पष्ट ध्यान में आए बिना न रहेगी । सिंडिकेटों की स्थापना होने से इन लोगों को हानि पहुँची और उन्हें कई हो रहा है, यह बात स्वतंत्र है । इसके लिये और किसी विशेष प्रमाण के देने की आवश्यकता नहीं है । कठिनता इतनी है, कि प्रत्येक हानि के बावजूद सिंडिकेट को कितना जिम्मेदार समझा जाय और उसपर कितना दोष आरोपित किया जाय, यह विशेष सूक्ष्म रीति से कहते नहीं बनता । "ह्रीनिश-केस्ट, फालियन कोउ सिंडि-

केट” की स्थापना हुए पश्चात् और विशेषत उस स्थान के अपने व्यवहार का खास उद्देश्य स्थित कर लेने के पश्चात् कोयल का भाव बढ़ गया है, इसमें सदैह नहीं है। सन १९०७ में कोयले का भाव बेहद बढ़ गया। उत्तर-जर्मनी की दशा तो इतनी शोचनीय हो गई थी कि कितने ही व्यवसाय कोयले के अभाव से नष्ट प्राय हो गए थे। मिल के काम के लिये लोगों को कोयला मिलना प्राय बद सा हो गया था। जब यहाँ तक शोचनीय दशा पहुँच गई तब “राइस्टाक” और “प्रशियर डाएट” इन दोनों सभाओं में एक ही समय “कोल सिंडिकेट” पर गालियों की बौछार पड़ने लगी। इस समर्थ तो उन्होंने अपना स्वर जरा धीमा कर दिया परतु आगामी वर्ष के अंत में जब व्यावसायिक नई लहर आई तब कोयले का दाम पहले की अपेक्षा अधिक चढ़ा दिया। यह तो कोयले का उदाहरण है। परतु इसी प्रकार के और अनेक उदाहरण देकर यह सिद्ध करके बताया जा सकता है कि सिंडिकेट अपनी सघशक्ति के बल पर जान वृक्ष कर भी भिज भिज माल की कीमत मर्यादा से भी बहुत अधिक बढ़ा देने में समर्थ हैं।

माल का मूल्य अपने इच्छानुसार बढ़ाने की बात सिंडिकेट स्वयं स्वीकार करते हैं। परतु इस बात का समर्थन वे किस प्रकार करते हैं, इसका चलेख दूर कालवर नामक एक लेखक ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार किया है—“सिंडिकेट वालों ने मूल्य निश्चय करने के सबध में अपना उद्देश्य कई बार बदला है और आगे भी वे बदलते रहेंगे इसमें”

है। सरक्षण कर के भरोसे पर बाजार में जिस वस्तु का भाव, कम ज्यादा होने का कुछ भय नहीं है उन वस्तुओं का व्यापार भी सिंडिकेट के हाथ में जाते ही उनका भी मूल्य समाना बढ़ाने की उनमें इच्छा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। परंतु बाजार में आनेवाले माल का मूल्य पहले की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है अथवा नहीं; इस एक बात की ओर भी ज्यान देकर सिंडि केट के लोगों के काम का विचार करने से काम नहीं चलता। यह मूल्य चारों भार समान हो कर स्थिर है अथवा नहीं, इसका भी विचार किया जाना चाहिए और फिर उनके काम की वाघत अनुकूल अथवा प्रतिकूल सम्मिति देनी चाहिए। सिंडिकेटों के अस्तित्व में आने से पहले व्यापार की स्थिति और बाजार में ऊपरा-चढ़ी के अनुसार मूल्य कम ज्यादा होता रहता था। मौंग अधिक होने पर कीमत अपने आप एकदम चढ़ जाती थी और फिर कुछ देर के लिये मौंग कम हो जाने से बाजार भाव उत्तर जाता था। इस कारण पूँजी-वालों और उन्हीं के साथ काम करनेवाले मजदूरों को भी हानि उठानी पड़ती थी। परंतु जिस माल का पैदा करना सिंडिकेट के हाथों में है उस माल के भाव के एकदम कम अथवा ज्यादा होने का भय बिलकुल नहीं रहता। व्यापार तेज होने से कीमत चढ़ जाती है परंतु वह धीरे धीरे विचार-पूर्वक चढ़ने पाती है। इसी प्रकार व्यापार मंदा होने में कीमत उत्तर जाती है परंतु वह एकदम न उत्तर कर धीरे धीरे कम होती है। सिंडिकेट के मूल्य स्थिर करने का काम अपने हाथ में लेने से पहले मूल्य के विषय में जो गड़बड़ होती थी

वह दूर हो गई है। इसी प्रकार कौन सा माल कितना बैयार करना, यह बात वे पहले ही निश्चित कर लेते हैं। इस कारण बाजार में जा कर माल पढ़ा नहीं रहता और न फिर मिट्टी मोल उसे बेचना ही पड़ता है। सिंडिकेटों से यह लाभ अवश्य बहुत बड़ा है। पहले समय में कारखानेवालों का बाजार क चडाव उतार पर ही नफा नुकसान का सारा दारोमदार था परतु सिंडिकेटवालों के अधिकार में रहनेवाले कारखानेवालों की पहले की सी दशा अब नहीं रही है।”

यहाँ तक हो, पहले आक्षेप के सबध में दोनों पक्षवालों का विचार किया गया। देशी व्यापारियों की अपेक्षा विदेशी व्यापारियों को विशेष सहायता से माल दिया जाता है, यह सिंडिकेटों के विरुद्ध दूसरा आक्षेप है। इस प्रभ अथवा इसी प्रकार के और कई एक प्रश्नों पर विचार करने के लिये सरकार ने एक कमीशन नियत किया था। उस कमीशन के समुख इस आक्षेप के समर्थनार्थ जो प्रमाण उपस्थिति किए गए थे, उनको देखने से कारखानेवालों का कहना विलकुल सच है, इसका पूरा पूरा विश्वास हो जाता है। भिज भिज गताहो ने अपनी अपनी गवाहियों में मूल्य के अतर सबधी जो अक दिए हैं उन्हें देखने से सिंडिकेटवालों को भी सचाई के विपर्य में शका करने की विलकुल गुजाइश नहीं रहती। ये अक बाजार में 'प्रत्यक्ष विक्री के हैं। व्यक्तिश विदेशी व्यापारियों को इन लोगों से क्या सहायता मिलती है यह बात प्रमाण संहित सिद्ध कर के बताना अति कठिन होने से यह गुप्त रहस्य सामने नहीं आता। परतु यदि यह

‘रहस्य सद्ग्राटन हो जाता तो सचार में कितनी ही नई आश्र्य-जनक धार्ते अपने आप ही सामने आ जातीं ।’ सिंडिकेट के लोग अपने कच्चे माल को विदेशी व्यापारियों के हाथ कम मूल्य पर बेचते हैं और इस कारण विदेश से उनके माल की मौंग अधिक बढ़ गई है और इससे उनको लाभ भी अधिक होता है, यह भी सच है, परतु उनके इस कार्य से देशी कारखानों को हानि पहुँचती है इसका अर्थ क्या है ? कच्चे माल के लिये उन्हें अधिक दाम देने पड़ते हैं, इस कारण उन्हें माल भी महँगा पड़ता है और इसी कारण से उन्हें विदेश में जितने प्राप्ति भिलने चाहिए नहीं भिलते । यदि इतना ही होकर रह जाता तो कुछ हर्ज न था परतु उनके कारखाने के बने हुए माल की बराबरी का माल विदेश से उनके देश में आता है और उसे विदेशी व्यापारी कम दामों पर बेच सकते हैं । इसका वात्पर्य यह है कि जर्मनी में तैयार हुआ कच्चा माल विदेश जाता है और वहाँ के कारखानों में उसका रूपातर होकर फिर वह पुनः जर्मनी में वापस आता है जिससे वहाँ के कारखाने बालों की कमर टूट जाती है । अर्थात् अपने पैर पर आप कुस्ताड़ी मारने के समान सिंडिकेटों का यह उद्योग है, यह कहने में भी कुछ हर्ज नहीं है । “कलोन गजट” में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रकाशित हुआ था । वह लिखता है कि सिंडिकेट की स्थापना होने से पहले, पक्का माल तैयार करनेवाले, कारखाने, बहुत बर्षों तक करीब करीब दस हजार टन कीले हालैंड को भेजते थे । इसके सिवाय चार हजार टन, कच्चा माल जर्मनी से हालैंड के व्यापारी ले, जाकर अपने

कारखानों में कीले तैयार करते थे। परतु सिंहिकेट के हाथ में व्यापार जाने से किफायत के साथ माल तैयार होने लगा। "रोलड" तार द्वारा चंत्रों की सहायता से गोल तार बनाने के कारण जारी होने लगे। इन कारखानों में इतना माल तैयार होने लगा कि उसे किसी न किसी प्रकार से निकालने का प्रबंध करना ही पड़ा। देश की माग पूरी करके यह माल हालौड भेजा जाकर सस्ते दामों में बेचा जाने लगा। इसका परिणाम यह निरुला कि हालौड के व्यापारियों ने जर्मन माल पका मँगाना तो विलक्षुल छोड़ दिया और उस्ता पका माल वहा से जर्मनी में आकर विक्री लगा और यह माल जर्मन माल की अपेक्षा २५ सैकड़ा कम दाम पर बेचा जा सका। इस कमी वेशी के कारण जर्मन व्यापारियों को अपने अपने कीलों के कारखानों को मजबूर होकर बद करना पड़ा और उससे उन्हें अपार हानि सहन करनी पड़ी। इस विषय में 'मारगेनराय नामक एक लेखक ने लिखा है— "यदि आप सारे चेहर आफ कामर्स का रिपोर्ट को निकाल कर पढ़ें तो इस संघर्ष में उनके विचार प्रतिकूल ही पाइएगा। सिंहिकेट के लोगों के इस व्यापारी उद्देश्य के कारण कितने ही व्यवसाय जर्मनी में नष्ट हो गए और विदेश में जाकर वे उन्नत दशा को प्राप्त हुए। इसी कारण राइन का जहाज बनाने का व्यवसाय नष्ट हो कर हालौड में जाकर उन्नति को प्राप्त हुआ, क्योंकि इस व्यवसाय के काम में जानेवाला सामान जर्मन व्यापारियों को जिंस दाम पर मिलता था। उसकी अपेक्षा कम दामों पर हालौड को मिलने

लगा । जर्मन फौलाद कम दामों पर मिलने के कारण, हाउड-में लोहे और फौलाद के अनेक कारखाने घँटी सत्तमतापूर्वक चल रहे हैं । बेलजियम में भी जर्मनी के कई माल के भरोसे पर लोहे के सार तैयार करने के बहुत से कारखाने बन गए हैं ।”

इसका उत्तर डा० लीफमन इस प्रकार देते हैं—“कच्चा और कारखानों में बना अधिक माल सिंडिकेटवालों के कारण विदेश के लिये सस्ता रखाना होता है परन्तु इस प्रकार में जर्मनी का विदेशी व्यापार बढ़ता है । जर्मन कारखानों में तैयार हुआ पक्का माल विदेशी पक्के माल के मुकाबले में ठहर नहीं सकता इसका कारण यह नहीं है कि कच्चा माल बहुतायत से विदेश में जाता है, इसका कारण यह है कि उस माल के लिये विदेशी व्यापारियों को अधिक मूल्य देना पड़ता है, ।” परन्तु यह बात तो बिलकुल साफ है कि इस प्रकार अधिक दाम देने के कारण देशी कारखानों को दोहरी हानि, उठानी पड़ती है । पहली हानि तो यह है कि माल तैयार करने में ही अधिक खर्च करना पड़ता है । दूसरी हानि यह है कि विदेशी व्यापारियों को बाजार में ऊपरा चढ़ी करने की उत्तेजना मिलती है । विदेशी प्राहकों को अधिक सहलियत देने से पक्का माल तैयार करनेवाले देशी कारखानों को घका लगता है । यह बात सिंडिकेटवाले भी स्वीकार करते हैं और देशी पक्का माल विदेश जाने पर कई माल का मूल्य अधिक प्राप्त होने से जो हानि होती है, उस हानि को पूरा करने के लिये, उस माल पर “वैंटी” अर्थात् हानि का बदला देते हैं ।

परतु यह वदला उस समय देते हैं जब व्यापार बिल्कुल गिर जाता है, दमेशां देने का कोई नियम नहीं है और यह बदले की रकम इतनी कम छोटी है कि उसके द्वारा पहली ही हानि की पूर्ति होना कभी सभव नहीं है ।

सिंडिकेट के विरुद्ध तीसरे आप्लेप का विचार करने पर यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सिंडिकेटवालों ने जिन व्यव सायों को हाथ में लिया है उनका बाजार पहले की अपेक्षा अब अधिक अच्छा है । वे जो माल तैयार करते हैं उसमें से कुछ माल तो विदेश से आना कम हो गया है । परतु इस विषय में भी एक बात विचारणीय है और वह यह है कि, यह दशा जो प्राप्त हुई है वह सिंडिकेट स्थापित होने के कारण हुई है अथवा सरक्षण कर लगाने के बाद से हुई है, क्योंकि इन दोनों कारणों से यह परिणाम होना सभव है । परतु इसमें भी कुछ बात अपवाद स्वरूप है । जैसे जस्त की घट्टर पर सरक्षण-कर लगा हुआ है और सिंडिकेट ने भी उसका मूल्य बहुत कुछ बढ़ा दिया है । यह होने पर भी फी सैकड़ा ३० के हिसाब से जस्ते की घट्टरें इग्लैंड से जर्मनी जाती हैं और उन्हें लाम भी अच्छा होता है, क्योंकि जर्मनी में सिंडिकेट की कृपा से इस माल का दाम अच्छा आ जाता है । सरक्षण-कर और अन्य प्रकार के खर्चों को निकाल कर उन्हें अच्छी रकम नफा के तौर पर बच रहती है । ऊपर जिस कमीशन का उल्लेख किया गया है उस कमीशन के सामने एक गवाह ने इस विषय में अपने विचार जो प्रगट किए थे वे ये हैं—“माग की अपेक्षा माल को इकट्ठा करके रखने के

अलावा इंडिंड में जस्ते की खदरें जिस भाव में पढ़ती हैं, उस की अपेक्षा पचास फी सदी अधिक दाम प्राहकों से यहाँ मार्गे जाते हैं, और इतना मूल्य देकर भी प्राहकों की मांग के अनुसार माल तैयार करके नहीं दिया जाता है।” । ॥ ॥

अब जौये आक्षेप के विषय में विचार करना बाकी रह गया। परंतु यदि उसका विचार अति सक्षेप से भी किया जाय तो भी ठीक होगा, क्योंकि फुटकर व्यापार करनेवाले व्यापारियों और फुटकर माल लेनेवाले प्राहकों की सिंडिकेट-वालों के पास बिलफुल दाल नहीं गलती। इकट्ठा माल खरीदनेवाले जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उन्हीं के साथ इनका कारोबार होता है और इसी कारण लालों के मध्यस्थ होने का भी कुछ काम नहीं पढ़ता।

यहा तक तो उन चार बड़े बड़े आक्षेपों का जो ऊपर चताए गए हैं सक्षेप में उत्तर दिया गया। परंतु पूँजीवालों और मजदूरों के हित का भी इस विषय से बहुत कुछ सवाल है। अतएव उस दृष्टि से भी इन व्यापारी संघों का विचार करने बहुत जरूरी है। इस विषय का विचार करने पर यह बात स्वीकार कर लेनी पड़ेगी कि (१) कमीशन के सामने आई हुई कुछ बातों को छोड़ कर सिंडिकेटों का व्यवसाय-वाणिज्य पर अन्तिम भाव पड़ा है, और (२) सिंडिकेटों द्वारा ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे मजदूरों के लाभ को घक्का पहुँच। संघ बनाने से किस प्रकार लाभ होगा, इस विषय में पूँजीवाले लोग जो कारण बताते हैं, वे सरल और धनी लोगों के स्वीकार करने योग्य हैं। हानि लाभ के विचार से माल पैदा

करनेवाले लोगों को आपस में कमी वेशी करके एक दूसरे को हानि पहुँचाना, स्वित अथवा आपस की कमी वेशी को रोक कर सबों का एक विचार होकर काम करना और जो लाभ हो उसे नियमित रूप से आपस में बॉट लेना, यह स्वित है। आपस में एक मत होकर काम करने से जो कमी वेशी होने से हानि होती थी वह अपने आप बहुत कुछ दूर हो गई है। व्यापार एक प्रकार का ईश्वरीय खेल है। इस खेल में जय किसे मिलेगी और पराजय किस की होगी, यह बात बिलकुल अनिश्चित रहती है। परतु इस दशा को बदलने के लिये सध-शक्ति को व्यापार का शाखीय स्वरूप देकर उस अनिश्चितता के दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, इतना ही नहीं, इस प्रकार से व्यापार करने में बहुत कुछ परिश्रम भी बच जाता है और माल का भी बहुत नुकसान नहीं होने पाता और व्यापार में उगाए हुए मूलधन पर करीब करीब सबों को समान परतु सम्मिलित विचार से अधिक लाभ होता है। सिंडिकेट के अनुकूल लोगों के इन विचारों में कुछ भूल है, यह कहते नहीं धनता और पूँजी लगानेवाले भी इससे प्रसन्न हों तो भी कुछ आश्चर्य नहीं है।

प्रस्तुत विषय में मजदूरों का सवध रखनेवाली दो बातें हैं— अर्थात् मजदूरों को मिलनेवाली रोजाना मजदूरी और बाजार में मिलनेवाली कीमत-इनका विचार करना और बाकी है। सिंडिकेट की कृपा से कीमत कुछ घोड़ी बढ़ गई है परतु उससे मजदूरों को कोई विशेष हानि नहीं पहुँचती। क्योंकि माहकों से अधिक मूल्य के रूप में लिया हुआ कर मजदूरों के हिस्से

मजदूरी के रूप में आ जाता है। भगवत् अब हले के समान अस्थिरता नहीं रही है। सिंडिकेट स्थापित होने पहले मजदूरों की हाय हाय बहुत होती थी, परन्तु अब हाय हाय दिनों दिन कम होती जाती है। सिंडिकेट स्थापित होने के बारण मजदूरी में स्थिरता आ गई है। इस कारण आज कम और अल ज्यादा आय हो इसका अवसर बहुधा कम आने पावा है। तना होने पर भी आरभ में सिंडिकेटवालों के विषय में मजदूरों का मत सशक्ति था। वे समझते थे कि माल पैदा करने-लाले लोगों में ऊपरा-चढ़ी को कम करके यदि ये लोग माल मूल्य बढ़ा सकते हैं तो मजदूरी देनेवाले लोगों में भी ऊपरा-चढ़ी के भाव को कम करके हमारी मजदूरी कम न होंगे इसका क्या सबूत है? इस प्रश्न का आरभ में उनके बान में पैदा होना एक सहज बात थी। परन्तु इस प्रकार भी शका करने का कोई विशेष कारण समझ में नहीं आता, न्योकि कारखानेवालों के समान ही मजदूर लोगों में भी अधिकारी उत्पन्न हो गई है और उस शक्ति के बल पर वे केतना कार्य कर सकते हैं, इसकी विवेचना पिछले अध्याय में की जा चुकी है। कुछ भी हो, परन्तु सिंडिकेट द्वारा मजदूरों का अहित अब तक नहीं हुआ। परन्तु उनके द्वारा स्थापित ट्रेड यूनियनों के विषय में सिंडिकेटवालों ने जो आदो-छन अनेक बार किए और जो प्रतिकूल विचार प्रगट किए इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान समय की स्थिति स्थिर बनी रहेगी अथवा नहीं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि यह आंदोलन अब तक स्थानीय रहा है। जिन लोगों ने

यह आदोलन उठाया है उनमें हर किरण के नाम के एक पुरुष हैं जो यूनियनों के कट्टर शत्रु हैं और व्यापारी लोगों पर उनका बहा प्रभाव भी है। द्वेष यूनियनों के विनाश का यदि उन्होंने पूर्ण निश्चय कर लिया है तो भजदूरदल के लोगों को उनका सामना करने में बहुत कठिनाई उपस्थित होगी।

सिंडिकेट स्थापित करने की युक्ति बहुजन समाज को कितनी पसंद है, और इस विषय में सरकार का क्या विचार है, इसका विचार करके यह विषय समाप्त किया जाता है।

यह युक्ति जिस समय पहले पहल सोची गई तब अनेक जर्मन विद्वानों ने इसे युक्तिसंगत समझा और यह निर किया कि यदि यह युक्ति सफल हुई तो सपत्निरत्यादन का काम विशेष प्रमाणवद्ध होगा, मूल्य को स्थिरता प्राप्त होगी और देश के व्यवसाय वाणिज्य का उत्कर्ष होगा। जर्मनी के लोहे का व्यापार सारे समार में फैलना चाहिए, यह जर्मन लोगों की प्रबल इच्छा थी और यह इच्छा सिंडिकेट की सहायता से पूरी होगी, इस बात का उन्हें विश्वास होगा। सिंडिकेट स्थापित होने से देश का व्यापार खूब बढ़ेगा, भजदूरों को पेट के लिये विदेश जाना नहीं पड़ेगा। निर्गत व्यापार का जोर होगा वह और छोटे दोनों प्रकार के कारखानों को समान लाभ होगा। भजदूरों को अधिक भजदूरी मिलने लगेगी और इस कारण समय समय पर उनका आदोलन बढ़ हो जायगा। इतना अधिक लाभ हो कर भी किसी दल विशेष की कुछ दानि न होगी, क्योंकि 'माल पैदा करने और वेचने की व्यवस्था में कम स्वर्च होने से पहले के मूल्य में केर फार करने का अवसर

ही न आवेगा, इस प्रकार के अनुकूल उद्धार चारों ओर लोगों के मुँह से निकलने लगे थे ।

इस भविष्य से कुछ तो अनुभव से विलक्षण असत्य और कुछ अशत सज्जा भी निकला है ।। सिंडिकेट के स्वीकार किए हुए कुछ व्यवसायों में कई एक तो उत्तमता-पूर्वक चलते हैं, और उन व्यवसायों को सरकार का जोर और भी मिल जाने से स्वदेश का बाजार सिंडिकेटवालों के हाथ में पूरे तौर पर आ गया है । निर्गत व्यापार बढ़ा है और मजदूरों का बेतन भी बढ़ा है । इतना होने पर भी सब व्यवसायों में उन्हें समान यश प्राप्त नहीं हुआ है । सिंडिकेट में सम्मिलित न होनेवाले छोटे छोटे व्यवसाय तो विलक्षण नहु हो गए । निर्गत व्यापार बढ़ने से जिस व्यवसाय में सिंडिकेटवालों का जोर रहा उसी व्यवसाय में विना सिंडिकेटवालों को हानि उठानी पड़ी और अत में जिस प्रकार कारखानेवालों को नका हुआ उसी प्रकार देश के प्राह्कों को नुकसान भी उठाना पड़ा । कारखानेवाले, व्यापारी और मजदूर, ये सब लोग प्राह्कों पर ही सवारी बांधने लगे, इस कारण उनको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा ।

अपने भविष्य को अनुभव से असत्य होते देखकर जो लखक पहले सिंडिकेट का पक्ष लेकर बोलते थे उनमें से कुछ तो उनके ऊपर टूट पड़े और कहने लगे कि सरकार को इन पर बहुत कड़ी निगाह रखनी चाहिए, नहीं तो ये सिंडिकेटवाले प्राह्कों को लूट सौंयेंगे । परतु यदि वास्तव में देखा जाय तो इस सत्याने अब तक कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं

किया, यह बातें कोई भी निष्पक्षपाती “मनुष्य स्वीकार कर लेगा।” एक बार एक सिंडिकेट के विरुद्ध “इपीरियोल सुप्रीम कोर्ट” में एक दावा दोयर किया गया, उस दावे में यह कहा गया कि सिंडिकेट द्वारा व्यापार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को धक्का पहुँचता है। परंतु अदालत में यह बात प्रमाणित नहीं की जा सकी। अदालत ने अपने फैसले में वादी के विरुद्ध यह निश्चय किया कि अनिश्चित दशा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मर्यादित करने से ही समाज का कल्याण होता है। “इंडस्ट्रीयल कोड” में व्यवसाय की स्वतंत्रता (Freedom of occupation) यह शब्द आया हुआ है, इसी आधार पर उपरोक्त स्वरूप का दावा कोर्ट में किया गया था परंतु उसका परिणाम भी वही हुआ जो ऊपर बताया गया है। अतएव कानून के अनुसार मर्यादा के अदर ही सिंडिकेटवालों को रहना चाहिए। यदि इसके आगे उन्होंने पैर बढ़ाया तो कानून द्वारा उसकी रोक होना जरूरी है, यह बात अब बहुत से लोग समझने लगे हैं। बहुत सी सिंडिकेटों ने लोकमत अपने विरुद्ध कर लिया है और यह बात बे जान गए हैं। अतएव विरुद्ध लोक मत को शात करने के उद्देश्य से “कोल सिंडिकेट” के डायरेक्टरों ने प्रशियन सरकार से कुछ दिन पहले अपने में सम्मिलित होने के लिये विनय की थी। उन्होंने यह सोचा था कि यदि सरकार इसमें शामिल हो जायगी तो हमारे काम पर वह अपनी देख रेख अर्थात् निगरानी रखेगी। परंतु ऐसा होने के लिये अभी तक समय नहीं आया, यह कह कर सरकार ने हायरेक्टरों की विनय को अस्वीकार कर दिया।

सिंडिकेट के काम में हाथ ढालने योग्य कानून सार्वभौम सरकार अथवा प्रातिक सरकारों ने अभी तक नहीं बनाया। प्रशियन सरकार की तरह सार्वभौम सरकार सिंडिकेटवालों की दशा को देख रही है कि वे कहाँ तक जाते हैं। देश के मुख्य व्यवसायों पर सिंडिकेट का अध तक क्या प्रभाव पड़ा इसकी जांच करने के लिये एक कमीशन बैठाया गया है और उस कमीशन का काम अब भी चल रहा है। परन्तु सरकार ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि यदि सिंडिकेट मर्यादा के बाहर धर्तीव करने लगेगा तो कानून द्वारा तत्काल हम इसका प्रवध कर देंगे। अतएव लोग यह जान गए हैं कि जिस समय सरकार को विश्वास होजायगा उसी दम सिंडिकेट के मुँह में कॉटेदार छगाम लगा कर उसे पीछे घुमाने अथवा उसे रोक देने में सरकार कभी आगा पीछा नहीं करेगी। वेस्ट फेलिया में “कोल सिंडिकेट” के विरुद्ध लोग बहुत कुछ कटाक्ष करते हैं। कोयला निल के व्यवहार में आने के कारण सिंडिकेट के विचार पर ही गरीबों का हानि-लाभ अवलम्बित है। अतएव सिंडिकेट के विरुद्ध जो लोगों का रोना चला है वह सिंडिकेट के व्यवहार पर ही बहुत कुछ अवलम्बित है। इस रोने को सार्वभौम सरकार सुन रही है और समय आवे ही उसके अपनी शांति को त्याग कर लोगों के सरक्षणार्थ आगे हो कर काम करने का पूरा पूरा सकेत है।

रायारहवाँ अध्याय ।

सरकारी काम ।

रेलवे और नहरे ।

ऊँपने देश की सापत्तिक स्थिति किस प्रकार से सुधारी जा सकती है इसका विचार जर्मन लोग तीस चांडीस वर्षों से कर रहे हैं। सरकार को अपने ऊपर कौन सा काम लेना चाहिए और निज के तौर पर लोग कौन सा काम द्वारा में लें, इस विषय में निश्चित विचार अभी तक कोइ तिथर नहीं हुए हैं, परतु तो भी अपनी अपनी आसानी रा ध्यान में रख कर सरकार और निज के तौर पर व्यक्ति विशेष ने उन कामों को अपने अपने हाथों में लिया और इससे जर्मनी को जैसा चाहिए वैसा लाभ भी हुआ। जर्मन राष्ट्र पुस्तकी ज्ञान में कुशल परतु व्यावहारिक ज्ञान में कम है, इसके विपरीत वृटिश राष्ट्र व्यावहारिक ज्ञान में कुशल परतु पुस्तकी ज्ञान में कम है, यह सर्व साधारण लोगों की राय है। तथापि व्यक्ति विषयक स्वार्थपरायणता के आडवर रचने के तत्व को यदि किसी ने स्वीकार किया है तो व्यवहार कुशल वृटिश राष्ट्र ने ही किया है। जर्मनी ने इस आडवर को नष्ट कर इस तत्व में 'जितना प्राह्याश था' उतना ही 'महण किया और इसमें सहकार्य का महत्व कितना है, इसे भी अच्छी, तरह

समझ कर उन्होंने स्वीकार किया । परतु इससे अधिक आड़-बर उन्होंने नहीं रखा । जिस समय अगरेज लोग यह कह रहे थे कि देश का 'व्यवसाय' बाणिज्य सरकार अपने हाथ में न ले उसी समय इसके बिरुद्ध जर्मनी का कार्य चल रहा था, अर्थात् सरकार को इस काम में जरूर हाथ ढालना चाहिए, यह उनका मत था । जर्मनी में बहुत समय तक एक-तत्री राज्य रहा और सारी शक्ति राजा के हाथ में थी । इस कारण जनता के ये विचार थे कि जो काम आरभ करना हो उसे राजा को ही करना चाहिए । वर्तमान समय में जब कि राज्यपद्धति में बहुत कुछ सुधार हो गया है, जर्मनी में राजा का महत्व कम नहीं हुआ है । जर्मन राज्यव्यवस्था का यह पहले देखने पर लोगों को यह सहज ही में मालूम हो सकता है कि वर्तमान दशा में भी देश की सामाजिक स्थिति सुधारने के काम में सरकार को आगे होने में कितनी स्वाभाविक सरलता है ।

जर्मन राष्ट्र ने राजा का महत्व बना रखा, इस कारण सापत्तिक विकास के लिये जो अवकाश मिला उसका उपयोग करने में उस राष्ट्र को पराकाष्ठा की सहायता पहुँची । सपत्ति उत्पादन करने का बहुत सा बोझ तो सरकार और म्युनिसिपलिटियों ने अपने ऊपर ले लिया और इस तरह निज का काम करनेवालों को अपनी पूँजी दूसरे कामों में लगाने और उन कामों में अपनी कुशलता दिखाने का अवसर अनायास ही प्राप्त हो गया । सारं जन समूह के हिताहित के विषय में सरकार की निरीक्षणता में काम होने के कारण जिस काम से

व्यक्तिगत लाभ होना सभव था उस काम में विशेष ध्यान देने का अवसर सहज ही प्राप्त हो गया। स्वयं सरकार ने अथवा सरकार की निगरानी में जिजी कंपनियों द्वारा जो रेलवे स्टोरी गई हैं उनका विस्तार ३१००० भील है। इन रेलों में ६० करोड़ पौंड धन लगा हुआ है। इनकी व्यवस्था के लिये न तो कोई डाइरेक्टरों का बोर्ड है, और न धन लगानेवाले लोगों की सहायता की आवश्यकता ही पाई जाती है और न हिस्सदारों (शेअर होल्डर) की समाएं करने की जरूरत पड़ती है। सरकार द्वारा ही सब काम बिना किसी कठिनाई के संरचनापूर्वक चलता है। हिस्सेदार और डायरेक्टर वगैरह सब सर्वसाधारण की पूँजी से बनी हुई कंपनियों में होते हैं और सरकार ने जो व्यवसाय वाणिज्य अपने हाथ में नहीं लिए हैं उनमें वे अपनी करामात दिखाते हैं। इतना ही नहीं, जर्मनी के भिन्न भिन्न प्रांतों की जो आमदनी है उसका बहुत सा भाग सरकार द्वारा किफायत के साथ चलाए हुए व्यवसाय-वाणिज्य से प्राप्त होता है। प्रजा पर कर लेगाने के पश्च पर विचार करते समय सरकार इस बात को ध्यान में रखती है और इस कारण कुछ प्रांतों में प्रति मनुष्य कर का भार हल्का क्यों है, यह बात सहज ही ध्यान में आ जाती है। सन् १९०५ के जर्मन राष्ट्र का बजट देखने से यह पता चल जाता है कि कुल आमदनी में से ३१३ सैकड़ा आमदनी सरकारी कारखानों में होती है और सब प्रांतों की मिला कर यह आमदनी ६८ की सदी पड़ती है। जर्मन राष्ट्र और राष्ट्रवरगत सब प्रांतों में से सरकारी कारखानों की

आमदनी १४,५७,५०,००० पैसे डहै। साम्राज्य की आमदनी का द्वार डाक और तार, थालसेम-लोरेन की रेलवे, "इपीरियुल प्रिटिंग चर्क्स" और "इपीरियल बैंक" हैं। प्रातों की आप रलव, डाक और तार, जंगल, जमीन, कोयला, लोहा, पोटोश आदि की खानों और लोहा साफ करने के कारखानों से होती है। सन् १९०६ में केवल प्रशिया में ३९ खानें, १२ लोहा साफ करने के कारखानें, पाच नमक बनाने के कारखाने, तीन पत्थर की खानें और एक अबर (Amber) का कारखाना सरकार का अधिकार में था।

पहले जमाने में जमीन की मालगुजारी ही सरकारी आमदनी का मुख्य द्वार थी, और वही दशा छोटे छोटे प्रातों में अब भी पाई जाती है। बड़े बड़े प्रातों में जमीन की मालगुजारी का स्थान रेल की आमदनी ने ग्रहण कर लिया है। इस काम में प्रशिया का नबर सब प्रातों से ऊँचा है। सरकारी खर्च रेलवे की आमदनी से जितना उस प्रात में चलता है उतना और किसी प्रात में नहीं चलता। प्रशियन लोगों को इसका पूरा पूरा भरोसा है कि सरकार के स्थापित किए कारखाने पूर्णावस्था को प्राप्त होंगे, और इस काम के लिये सरकार ने यदि कभी धन मागा तो उसका जिक्र भी पार्लियामेंट (डापट) में कभी नहीं किया जाता। प्रशिया का यह उदाहरण देख कर अन्य प्रातों की प्रजा के मन में भी ऐसे ही भाव उत्पन्न होते जा रहे हैं। रेलवे अथवा अन्य प्रकार के कारखाने बिजली की शक्ति से चलाने के लिये पानी की शक्ति का उपयोग करने की कल्पना बवेरिया प्रात में अभी हाल में

ही की गई है और इस काम को उत्तमतापूर्वक चलाने का प्रयत्न बवेरिया की सरकार कर रही है । प्रातिष्ठन नदियों और नालों के पानी के उपरोक्त कामों के लिये उपयोग करने का अधिकार सरकार को पहले ही स है । इस पानी की शक्ति से खिजली उत्पन्न करके जहा आवश्यकता हो वहा उसे एकत्रित करके रखने का प्रयत्न वहा की सरकार अपार धन लगा कर कर रही है । साक्षेत्र सरकार ने भी इसी प्रकार की आयोजना अपने यहा की है । परतु वहा का लोकमत, इस काम के लिये जितना अनुकूल होना चाहिए उतना अभी नहीं है ।

जगलो और जमीन की मालगुजारी से भी प्रातों को आमदनी होती है यह ऊपर कहा गया है । सरकार के अधिकार में बहुत सी जमीन होने से खेती के हानि लाभ पर उनका कल्याण अकल्याण निर्भर है । इस कारण बड़े और छोटे दोनों प्रकार के जमीदारों को अपने आश्रित समझ सरकार अपनी सम हृषि रख कर राष्ट्र को अधिक लाभ पहुँचा सकती है । परतु प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्रिंस विस्मार्क का विचार था कि प्रशियन राजनीतिज्ञों (मिनिस्टर ऑफ स्टेट) को जो वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता है उसका कुछ भाग तो नकदी के रूप में दिया जाय और कुछ वेतन के बदले में जमीन दी जाय, और उस जमीन से अपने लिये वे जितना धन चाहें पैदा कर लें । इस सिद्धात से राष्ट्र की मुख्य आमदनी का द्वार जो जमीन है उसकी दशा कैसी है, इस पर सरकार की हृषि रहेगी और उसका सुधार किन उपायों

से किया जा सकता और कौन सा मार्ग प्रहण करना चाहिए, यह बात स्वतः के अनुभव से निश्चित की जा सकेगी। प्रत्येक प्रात् में बहुत सी जमीन सरकार के हाथ में है और उस जमीन की आमदनी सरकार को मिलती है। इस पर से यह कहा जा सकता है कि प्रिंस विस्मार्क के उद्देश्य में चाहे कुछ रुकावटें मालूम हो परतु वे साध्य अवश्य हैं, और इसी का अनुकरण करके सरकार दिनों दिन जमीन को अपने अधिकार में करती जा रही है। सरकारी जमीन को १८ वर्ष के लिये पट्टे पर देने का वहा पर नियम है और इस नियम के कारण सरकार को खेती की दशा दूसरे से जानने के बजाय स्वत आप जान लेने का मार्ग उसके अपने हाथ में है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग में जमीन की लगान की आमदनी में २५ से ३० फी सदी कमी हो गई थी। परतु खेती की बुरी दशा क्यों हो गई, इसको जानने के लिये उस समय सरकार को कोई कमीशन नियत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वत की जानकारी से ही सरकार ने यह जान लिया कि खेती के काम में कहा क्या त्रुटि है। सरकारी कृषि विभाग द्वारा सदा नए नए प्रयोग वहा होते रहते हैं और उनसे छोटे मोटे किसानों को बहुत लाभ पहुँचता रहता है। इसी प्रकार सरकारी जमीन में खेती उत्तमतापूर्वक होनी चाहिए इस प्रकार के कटाक्ष कृषि विभाग की ओर से होने पर उधर लोगों का ध्यान जाना, एक सहज सी बात है। आसपास के खेतों में उत्तम फसल को, देख कर, सरकार के कृषि विभाग का ध्यान उस ओर जाता है। सरकारी कृषि विभाग द्वारा

उसको किसी प्रकार की हानि न होकर उल्टे सरकारी मालगुजारी की उन्नति का एक उत्तम साधन है। सरकार न कृषि विभाग की स्थापना लोगों के लाभ के लिये की है, यह बात नहीं है। कृषि विभाग द्वारा सरकारी जगलों और याग बगीचों से जितना आमदनी बढ़ाई जा सके उतनी बढ़ाने का सरकारी अधिकारी प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार सरकारी आमदनी बढ़ कर देश की खेती का भी सुधार होता है और इस प्रकार इस सरकारी महकमे को दोहरा लाम पहुँचता है। प्रशिया में जगलों से बहुत बड़ा फायदा होता है। उसकी व्यवस्था के लिये सरकार ने एक स्वतंत्र महकमा ही बना लिया है। फारेस्ट्री की शिक्षा पास हुए लोगों को इस महकमे में जगह दी जाती है। इस महकमे की दशा इतनी अच्छी है और इससे वहा इतनी आमदनी हो जाती है कि कैसर के निज का आघा सर्च इस महकमे की आय से पूरा किया जाता है।

रेलवे की मालिक वहाँ सरकार है और उसकी सारी व्यवस्था भी उसीके हाथ में है। जर्मनी में रेलवे की व्यवस्था इतनी उत्तम है कि और कोई भी महकमा इतनी किफायत का साथ काम नहीं करता; यह अनुमान नहीं है अनुभव की बात है। परन्तु जर्मनी की प्रचलित रेलवे व्यवस्था बहुत से अगरेज लोगों को पसंद नहीं है। उनका विचार है कि रेलवे की व्यवस्था केंपनियरों के हाथ में रहना ही सुखकारी है। परन्तु यह विचार ठीक है या नहीं, इसके पीछे जर्मन लोग नहीं पड़ते। अनुभव से उन्होंने निश्चय किया है कि रेलवे

की व्यवस्था सरकार के हाथ में होने से 'समझे' बहुत कुछ सुधार हुआ है और रेलवे के नौकर अपना अपना काम बहुत आस्थापूर्वक करते हैं, इस कारण लोगों को भी सुख पहुँचता है और सरकार को भी अधिक लाभ होता है। सरकारी महत्व बढ़ाने का अवसर आने पर प्रशिया द्वासे फजूल जाने नहीं देता। सरकार के हाथ में रेलवे का काम शुरु होने पर सब से पहले प्रशिया ने ही नैतृत्व स्विकार किया। सन् १८२८ में "प्रशियन रेलवे लॉ" नामका एक कानून सब से पहले पास हुआ। इलेंड की रेलवे पद्धति का अनुकरण करके सर्वसाधारण के घन से कपनिया बना कर रेलव बनाने की उस कानून में पूरी पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। परतु इसी प्रकार की कपनियों के काम पर सरकार सखत नजर रखेगी, इस प्रकार का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा था और तीस वर्ष पश्चात् यदि सरकार उपरित समझे, तो इन रेलों को अपने अधिकार में ले सकेगी ऐसी भी कानून में व्यवस्था की गई थी। आरभ में सरफार ने यह व्यवस्था तो की, परतु शीघ्र ही इन रूपनियों के हाथ से रेलवे खरीद लेने का काम आरंभ कर दिया। कुछ कपनियों को उधार रूपया दे कर सर्कार ने उसमें अपना पैर जमा दिया। इस प्रकार अब बहुत सी रेलवे प्रशिया में सरकार के हाथ में आ गई हैं और योद्दी बहुत जो बाकी रह गई हैं उनपर भी सरकार की नजर है। साक्सेन, बंगलुरिया, बुर्टेवर्ग और वेडन प्रातोंने भी प्रशिया का ही अनुकरण किया है। रेलवे की व्यवस्था सरकार के हाथ में होना सब प्रकार से हितकारी है, यह बात गत पचीस तीस

वर्ष में इतनी सर्वमान्य, हो रही है कि अब इस विषय पर काई भी जर्मनी से चर्चा भी नहीं करता है कि सर्वसाधारण द्वारा स्थापित कंपनियों द्वारा रेलवे की व्यवस्था अच्छी है अथवा सरकार के हाथ में रेलवे होने से व्यवस्था अच्छी है।

उसारे प्रातों के ऊपर अधिक अधिकार चलाया जा सके, इस राजकीय उद्देश्य को। आगे रख कर जर्मन साम्राज्य की स्थापना होने से प्रिंस विस्मार्क का यह कथन था कि जर्मनी की सारी रेलवे जर्मन राष्ट्र की मिलकियत होनी चाहिए और इस काम में प्रशिया ने आगे हो कर अन्य प्रातों के लिये उदाहरण दिखाया दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सन् १८७५ में उन्होंने प्रशियन पार्लियामेंट के सामने एक व्याख्यान दिया था - और उस व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि “प्रशिया को अपनी रेलवे का स्वत्व और अन्य सब प्रकार का अधिकार, जर्मन साम्राज्य को अपना कर देना चाहिए।” इस भाषण पर राडिकल पक्ष के सभासदों ने ‘बहुत कुछ’ टीका टिप्पणियाँ की थीं परंतु उनसे कुछ लाभ नहुआ। प्रिंस विस्मार्क का कथन सबों ने ‘बहुमत’ से स्वीकार किया। इस प्रकार प्रशियन पार्लियामेंट ने अपनी सारी रेलवे साम्राज्य सरकार के स्वाधीन कर दी। परंतु अन्य प्रातों से इस काम में वैसी सहायता नहीं मिली जैसी प्रशिया से। इस कारण प्रिंस विस्मार्क का मुख्य उद्देश्य खिल नहो सका। प्रशिया के विषय में अन्य बहुत से प्रातों को बहुत कुछ भत्तरता है। इसी कारण प्रशियों के अगीकार किए हुए काम का तुरंत ही अन्य प्रातों में हो जाना। अर्थात् टिन काम हो। रेलवे का स्वत्व उन सब प्रातों

के पास और कुछ दिनों तक पहुँचेगा, - ऐसा रंग ढंग दिखाई पड़ता है, और यह वर्तमान समय के छोकमर्ते से सरूष जाना जाता है। बहुत से मालिकों की बहुत सी रेलवे होना, यह दशा व्यापारिक दृष्टि से हितकारी नहीं है, यह बात ज्ञान में उख कर रेलवे की व्यवस्था में से। कुछ व्यवस्था इस ढंग की रक्खी रखी रही है कि उससे सारे साम्राज्य में समाजीनियमों का पालन हो सकता है और उन नियमों का पालन। उध्यानपूर्वक सब प्रातों को करना चाहिए। उदाहरणार्थ रेलवे से आने और जानेवाले माल के किराए का दर, तत्संघी नियम, टाइम टेबल और इसी प्रकार की अन्य छोटी छोटी बातों के बावजूद सारे नियम साम्राज्य भर में समाज हैं, और हैं इस अवस्था से व्यापार के काम में जो कठिनाइया उपस्थित होने का भय था, वह बिलकुल नहीं रहा।

१९०५ के भात में, जर्मन साम्राज्य भर में, ३४, १०५ मील रेलवे थी। इसमें से ३१,६११ मील भिन्न भिन्न प्रातों की, सरकारी की भी, अथवा सर्वसाधारण लद्वारा स्थापित कप-नियों की थी, जिनकी निगरानी सरकारके स्वयं करती थी। जो की २,५६४ मील रेलवे सर्वसाधारण के धन से, यार्ड गई थी और इसमें से भी १८२ मील तीन दूसरे दर्जे की थी। यदि हिसाब लगा कर देखा जाय तो, पांच जायगा कि १०० वर्ग मील में २६२ मील और की एक लाख भादमी पीछे ५६७ मील रेलवे का परेता पड़ता है। और फिर मील ३१,३०० पौँड लंबा पड़ता है। इस प्रकार ७३,७६० पौँड मल धन रेलवे में लगा हुआ है।

₹३, ₹८, ५०, ००० पौंड हुई थी और स्लर्च १७, ७०, ५०, ००० पौंड हुआ था। अर्थात् खालिस्त मुनाफा ₹४, ४८, ०००, ००० हुआ। इस वरह मूलधन पर, प्रति वर्ष ₹६, १०० पौंड ५ शिल्डिंग की सदी व्याज प्रदान है। रेलवे में काम करने वाले नौकरों की सख्ती सहित साल ₹६, २, ७५५ थी। १८८५ में १३०८ रुपये है। नारेलवे की व्यवस्था सरकार के हाथ में होने से उन्होंने आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न जहाँ अपने सरकारी अन्य विभागों द्वारा करती है वहाँ रेलवे से भी आमदनी बढ़ाने का उसका प्रयत्न जारी रहता है। इस विषय में प्रशिया प्रात सप्त से आगे है। प्रशियन सरकार को यहाँ वही आमदनी रेलवे से ही होती है। रेलवे की व्यवस्था के लिये, अभिक धन स्लर्च करना अथवा लोगों को किराए में अधिक सहूलियतें देना, यह कभी सरकार स्वीकार नहीं, करती और इस कारण व्यापारी लोगों में अहुति कुछ असरोप उत्पन्न हो गया है। उन रेलवे की वर्तमान व्यवस्था युरी है, ऐसा बोलोग नहीं कहते, उनका कथन इसका ही है। कि जितना हो सके उन्हें दूसरा ही धून बटोरने की सरकारी नीति सार्वजनिक तकल्यण की दृष्टि से अनुच्छी नहीं है। एसन के चैबर, ऑफिकामर्स जे सन १९०६ में इस विषय पर जो शपने विभार प्रकट किए थे, उनमें यह बात बताई गई थी कि "सरकारी आमदनी रेलवे की आमदनी पर अवलंबित होने के कारण सार्वजनिक हित को घुका घुकाता है।" सरकारी आमदनी बढ़ाने की इच्छा होने जहाँ निम्न त्रिपुरा राज्य के निलगिरि जिले

एत्वं, ओहर, और वेस्टर। नदिया दक्षिण से उत्तर को बहती है—इस कारण पश्चिम और पूर्व प्रदेशों में माल ले जाने का कुछ भी उपयोग इन नदियों द्वारा नहीं होता। अलम से लेकर वायंना तक पूर्व की ओर बहनेवाली केवल एक नदी हैन्यूब है परंतु उसका भी दक्षिणी जर्मनी में थोड़ा सा ही उपयोग ही सकता है। यह दशा, बहुत दिनों से सरकार—के ध्यान में थी, और नहरों द्वारा व्यापार को अधिक लाभ होगा, यह भी, वह जानती थी, और इसके लिये उसने कुछ नहरें भी पहले निकाली थीं। अब द्राहन, एस्ट्र, एस, ओहर और विश्चुआ आदि नदियों तथा इनकी शाखाओं के सम्मेलन से बनी हुई नहरें ही मुख्य हैं। ऊपर जिन नदियों के जाम बताए गए हैं, वे बहुत बड़ी हैं, उनमें पानी भी बहुत है। इस कारण व्यापारी जहाज, इन नदियों में आजासकते हैं। इन जहाजों के आने जाने की आसानी के लिये जहां पानी गहरा नहीं है वहां गहरा करने का प्रयत्न जारी है। इन नदियों की कुछ नहरें तो इतनी चौड़ी हैं कि उनमें छोटे छोटे जहाजों का आना जाना भी आसान हो गया है। देश में जलभाग का विस्तार शीघ्रता से हो जाने के कारण दूरदूर के प्रातः भी एक दूसरे के पास हो गए हैं।

नहरों के जनाने की ओर आजकल प्रशिव्यन् सरकार का ध्यान रूब लगा है। एक नहर द्राहन नदी से डार्टमृठ एवं उत्तर नहर तक, दूसरी वहाँ से वेस्टर-नदी तक, तीसरी वेस्टर-से और चौथी बहुत गहरी बांधिन से स्टेटिन तक निकाली गई है। इसके अलावा भी छोटी छोटी नहरें निकालने के लिये

की, और जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता, और इस कारण माल ले जाने में अधिक किराया लगने से कुछ सुभीड़ा नहीं होता । यदि जनता की और से इस विषय में कुछ अदौलत किया जाता है तो सरकार उस ओर उतना ध्यान नहीं देती जितना देना चाहिए, और किराए की दर प्रायः स्थिर फर्दी गई है ।” सन् १९०६ से प्रशियर्स पार्लियामेट रेलवे विभाग की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक देखने लगी है । कृपि और वाणिज्य की जितनी उन्नति हो सके उतनी करने के लिये रेलवे के इगड़े, जितने कम करना सभव हो किए जावें, इस विषय का एक प्रस्ताव भी पार्लियामेट ने पास कर दिया है, परतु उसका उपयोग में आना असभव प्रतीत होता है । क्योंकि सरकार कहने लगती है कि रेलवे की आमदनी अवश्य हमें अधिक होती है परतु हम भी तो प्रजा पर हस्ती कारण कर कम लगाते हैं । यदि कर कम नसूल होगा तो हमारी आमदनी कम हो जायगी और शिक्षा तथा इसी प्रकार के अन्य कामों में सरकार को अधिक झर्च करने की गुजाइश न रहेगी । इस कारण सरकार जो कुछ कर रही है उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को साहस नहीं होता और न ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस व्यवस्था में कुछ फेर फार करने को तैयार है ।

सारे देश में रेलवे का जाल विछ जाने के कारण देश में आने जाने अथवा माल लाने या भेजने में बहुत सुगमता हो गई है । इसी प्रकार नदियों से नहरें निकाल कर इस कार्य में और भी सरलता कर दी गई है । जर्मनी में हूँड़न,

पर्ल्य, ओडर, और वेसर नदिया दक्षिण से उत्तर को बहती हैं इस कारण पश्चिम और पूर्व प्रदेशों में माल ले जाने का कुछ भी उपयोग इन नदियों द्वारा नहीं होता। अलम से लेकर वायना तक पूर्व की ओर यहनेवाली केवल एक ज़दी डैन्यून है परतु उसका भी दक्षिणी जर्मनी में थोड़ा भा ही उपयोग हो सकता है। यह दशा बहुत दिनों से सरकार के व्यान में थी, और नहरों द्वारा व्यापार को अधिक लाभ होगा, यह भी बह जानती थी, और इसके लिये इसने कुछ नहरें भी पहले निकाली थीं। अब हाइन, पर्ल्य, एस, ओडर और विश्चुला आदि नदियों तथा इनकी शाखाओं के सम्मेलन से बनी हुई नहरें ही मुख्य हैं। ऊपर जिन नदियों के नाम यताए गए हैं, वे बहुत बड़ी हैं उनमें पानी भी बहुत है। इस कारण व्यापारी जहाज इन नदियों में आन्तरिक सकते हैं, इन जहाजों के आने जाने की आसानी के लिये जहा पानी गहरा नहीं है वहा गहरा करने का प्रयत्न जारी है। इन नदियों की कुछ नहरें तो इतनी बड़ी हैं कि उनमें छोटे छोटे जहाजों का आना जाना भी आसान नहो गया है। देश में जलभाग का विस्तार शीघ्रता से हो जाने के कारण दूर दूर के प्रात भी एक दूसरे के पास हो गए हैं। - ५ नोव्ह.

नहरों के मनाने की ओर आजकल प्रशियन सरकार का व्यान सूख लगा है। एक जहर हाइन नदी से डार्टमृठ एम्प्ल नहर तक, दूसरी वहाँ से वेसर नदी तक, तीसरी वेसर से और चौथी बहुत गहरी मर्लिन से हेटिन तक निकाली गई है। इसके अलावा और भी हुँडोटी छोटी नहरें जिकालने के लिये

सरकार ने १९७५ में "विद्यानलीला" प्राप्त कर दिया है। इस काम पर सरकार एक करोड़ सौ ठाँट लौखंडी खंच करना चाहती है। इक्षिण प्रातःमें नहरों की जाल ऐसा बिड़ा हुआ है और एक दूसरे से नहरे ऐसी जोड़ी गई है कि उसका प्राप्त और वाल्टिक समुद्र तथा वायना और डैन्यूब नदी पर के अन्य शहरों के बीच में पानी के ऊपर से आने जाने का कार्य बड़ी सुगमता के साथ हो रहा है। हालांकि एतत्व इन दो नदियों के किसी भी बदर की अपेक्षा बर्लिन बदर पर व्यापार बहुत अधिकता से होता है। बर्लिन राजधानी स्प्री नदी के किनारे बसी है। सन् १९०४ में २४,३०० जहाजों में ४० लाख टन माल स्प्री नदी पर से बर्लिन के बदर में उतारा गया। यह सूखना सरकारी स्तोज से प्रकाशित हुई है। उस बदर से स्प्री नदी के प्रवाह द्वारा नीचे जानेवाले माल की सस्या और भी अधिक है। दो सौ फुट से अधिक लबे, २६ फुट चौड़े और ६०० टन माल ले जानेवाले जहाज, इस नदी से आजो सकते हैं। इस से नदियों और नहरों व्यापारान्वयि के काम में कितनी उपयोगी सावित हो रही हैं, यह बात पाठ्यों के ध्यान में आ जायगी।

जर्मनी में जलमार्ग "से देश" के देश में ही होनेवाले व्यापार का इतिहास देखने से पाया जाता है कि उसकी गति आज तक कही भी रही नहीं है। परतु इश्वर निर्मित जल मार्ग से ज्ञान जाने के काम में हर एक को अधिकार प्राप्त नहीं है। यह बात अब सियर्स सरकार कहने उगी है और इसी लिये साम्राज्यान्वयि सारी चियों पर कर बैठाया जाय,

ऐसी सूचना अन्य प्रातों की सरकारों को प्रशियन सरकार ने दी है गल्ल यह सूचना भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा अन्य प्रातों तक पहुँचा ई गई है। परतु इस विषय इन सूचनाओं पर प्रातिक सरकारें विचार करेंगी, इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, पर आगे चल कर इन सूचनाओं पर उन्हें विचार करना ही पड़ेगा। प्रशियन में कृषि प्रधान विभागों के बाए हुए पालियामेट क्र में घर लोग इस बात के विरुद्ध थे कि सरकार को नहरें बनाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। परतु अब मेर अद्वितीयता कर वे इस पर राजी हो गए। हाँ, उन्होंने सरकार से भी यह बात स्वीकार करा ली कि जलमार्ग द्वारा होनेवाले व्यापार की आसानी के लिये नदियों और नहरों पर कर बैठाने का अधिकार इसमें रहे। प्रशियन सरकार ने उनका यह कथन एक दम स्वीकार कर लिया, यह बड़े अद्वितीय की बात है। इस विषय में जर्मनी के अन्य प्रातों का निकट सघन तो ही परतु जर्मनी के पडोसी अन्य राष्ट्रों से भी इसका सघन है। इस कारण उपरोक्त विषय देने के पहले अन्य राष्ट्रों और प्रातों का इस विषय में क्या मत है, इसको जान लेने की प्रशियन सरकार को बहुत भी आवश्यकता थी। परतु यह न करके जो विषय प्रशियन सरकार ने दे दिया है उसे पूरा करने के लिये कुछकों की ओर के समासद बरीबर जोर दे रहे हैं। इस कारण प्रशियन सरकार ने उन अन्य प्रातों और पडोसी राष्ट्रों से इस विषय में प्रबन्धवहार शुरू कर दिया है, और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा यह अभी ऐसे कहा नहीं जा सकता।

कर, बैठाने। का निष्ठयन। सुरक्षारने। एक दम-
कर लिया यह किसी विशेष कारण के बिना नहीं हो सकता।
महला कारण तो यह प्रतीर होता है कि जलमार्ग (नदियों)
और लोहमार्ग (रेल गाड़ियों) के द्वीच चहुत कुछ लगरा
चढ़ी हो रही है और इससे रेलवे की आमदनी कम हो जाने
का घटुत कुछ भय लगा हुआ है। दूसरा कारण यह हो
सकता है कि जर्मनी के अत प्रदेश में, जलमार्ग द्वारा विदेश
से जो माल आता है, उसके न आने की इच्छा ही शोधद
इसकी जड़ में हो। किसान लोगों ने भी वाद विवाद के
समय पर एक कारण बताया था। “प्रशिया के “अपर
हाउस” में किसानों की ओर से आदोलन करनेवाले सभा
सदों में से एक सभासद ने निम्नलिखित विचार प्रगट किए
थे—“यह कर लगाने से विदेश से अनाज का आना
बद हो जायगा और यह होना ही चाहिए” यह मैं ‘रेपष्ट’
शब्दों में कहनी चाहता हूँ।। कर की दैरामें उचित और
खाने से हमारे समान मूर्दी प्रशिया में अनाज पैदा करने-
वाले लोगों को हाइनन्दी के किनारे विदेशी अनाजवालों
से ऊरी चढ़ी करने में आसानी होगी।। इस सभासद के
कथनानुसार कर लगाने पर यदि किसी को हानि होने की
सभावना है तो वह अनाज बोनेवालों की है। यहाँ बात
उसके ध्यान में क्यों नहीं आई, यह समझ में नहीं आता।
नहीं के क्षेत्र पर चलनेवाले जहाजों के मालिक नचीन कर
जितनाँ लगायेंगे, उन्हें अहिंसाबल से अपेनाही किराया
बढ़ाने में ज़े किसी प्रकार की कमी नहीं करेंगे। केवल पृथ्वीमी

जर्मनी से जहाँ समुद्र का किनारा है विदेशी व्यापारियों को उस प्रोत से अनाज 'लोना' बहुत आसान है यह इस कारण, यदि उन्हें नया कर भी देना पड़ेगा तो भी उन्हें कोई कठिनता न मालूम होगी। यदि जर्मनी के पूर्वी भाग से अजेवाले अनाज पर हाइन और एत्यं नदियों पर अधिक किराया देना पड़ेगा तो यह बोझा देशी अनाजवाहा को अबृश्य हुए बिना न रहेगा। तोत्पर्य यह है कि नया कर लगानि से विदेशी अनाज के व्यापारियों को जर्मनी के बाजार से निकाला जा सकेगा, उस बात के विद्वानों के ये विचार विष्टकुछ भ्रमात्मक हैं, ऐसा प्रतीत होता है।

प्रशियन सरकार ने जिस 'कर को बैठाने की व्यवस्था की है वह कर लगाया जा सकता है अथवा नहीं, यह प्रश्न पहले साम्राज्य व्यवस्था के नियमों के आधार से ही उत्याग देना चाहिए और पश्चात् राष्ट्र राष्ट्र के इकरारनामों पर दृष्टि रख कर यह देखना चाहिए कि कर का लगाना उचित होगा या नहीं। राज्यव्यवस्था के नियमों में करकार फरने के लिये जर्मनी के अन्य प्रांतों की समति लेना प्रशियन सरकार को जरूरी है। परंतु इसके अलावा फ्रास, हालैंड और आस्ट्रिया-हगरी का मत भी इसमें अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि १७ अक्टूबर सन् १८१८ के "हाइन नेविगेशन" एक्ट नाम के कानून के अनुसार प्रशिया, बेडन, चवेरिया और दूसी आदि प्रांतों की ओर अधिकारियों की सहायता होने से फ्रास और हालैंड भी इसी पक्ष में हैं। इसके अलावा "प्लट नेविगेशन एक्ट" नाम का जो कानून बनाया गया है और

जिस कानून के आधार पर से ही एतत् उन्नदी। इसे किरणीजो चाहे वह अपने जहाजों को स्वाधीनता के साथ ले जा सकता है वह कानून आस्ट्रिया को भी पसंद है।

साम्राज्य-हृयवस्था के नियमानुसार कर बैठाया जा सकता है अथवा नहीं इस विषय में कानून जाननेवालों में मतभेद है। जर्मनी के कुछ प्रात यदि इस काम के लिये अनुबंध हो जाय तो क्या वाकी के प्रात भी अपना मत अनुकूल प्रदर्शित करेंगे, इस बात का अभी कोई भिरोसा नहीं है और न यह आशा की जा सकती है कि प्राप्त हालेंड और आस्ट्रिया कभी इस बारे में अपनी अनुकूल सम्मति प्रगट करेंगे। इन सब कारणों से यह जाना जाता है कि प्रशिया की उद्देश्यपूर्ति में अनेक असुविधाएँ उपस्थित हैं। उन सब असुविधाओं को दूर कर के प्रशियन सरकार अपना उद्देश्य पूरा कर सकेगी अथवा नहीं, इस विषय की अधिक छोन्नीन करने की आज आवश्यकता नहीं है। प्रशिया ने जो प्रभुत्वप्रेरित किया है, उसका स्वरूप क्या है, यहाँ पर केवल यही बात ध्यान में रखने योग्य है।

जिते हुए अंगों / की गाँव / राष्ट्रीय विवरण लिए हैं
 और उनमें से इस नोट का विपरीत भी है।
 इस ऊपर लिखा हुआ अध्याय ।

कृषि और वाणिज्य व्यवसाय ।

खेतों के देश में ही अनेक ऐसे कार्य हैं जिनकी उन्नति की ओर जर्मन राष्ट्र का ध्यान लिगा हुआ है। उन कार्यों में कृषि और वाणिज्य व्यवसाय मुख्य हैं। इन दोनों में किस प्रकार 'का' सवध होना चाहिए, यह प्रश्न बड़ा जटिल है और इन दोनों में अर्थात् कृषि और वाणिज्य व्यवसाय में कोई भी एक दूसरे का भारक न हो ऐसी व्यवस्था संरक्षण को करनी पड़ती है। यह घर का काम है परन्तु विद्वा नाजुक, क्योंकि व्यवसाय वाणिज्य की वृद्धि होने से खेती की अवनति होना एक सहज वात है। इसी प्रकार खेती की उन्नति के लिये कानून कायदे बनाने से वाणिज्य व्यवसाय की दशा में अतर पढ़ जाता है। केवल खेती या केवल व्यवसाय वाणिज्य ना एक देशीय विचार यदि किसी ने किया तो दोनों 'का' सामाप्ति विवेचन करना बहुत कठिन है और यदि खेती प्रकार से उस पर विचार करना हो तो वह 'विचारकुल' असंभव ही है, क्योंकि इनके सिवाय इन दोनों पर 'अवलिंगित' रहनेवाली राष्ट्रीय हितादित की जां और बातें हैं जिनकी ओर दुर्लक्ष्य होने की बहुत कुछ सभी व्यवसाय हैं। जर्मनी के किसान लोग कहते हैं कि 'यदि भविष्यत में

जर्मनी की सांपत्तिक उभति होगी तो हमारे द्वारा ही होगी । परंतु व्यवसाय वाणिज्याभिमानी लोग इसके विरुद्ध कहते हैं। इस प्रकार दोनों का वाद विवाद चल रहा है। जर्मन राष्ट्र के ये दोनों पलदे वरावर रहें, इस उद्देश्यपूर्ति के लिये साप्राज्य सरकार ने जो उपाय किए हैं, उन्हें कहाँ तक यश प्राप्त हुआ है, इसमें भी संदेह है। परंतु कृषि की उभति हो, इस-उद्देश्य से- उद्योग, फरना, आवश्यक और चुद्धिमानी का काम है और इस-विषय में किसी का मतभेद भी नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन की रक्षा करने-वाली खेती ही है और अब तक जर्मनी में कभी इसकी अवहेलना नहीं हुई। राष्ट्र का अभ्युदय और उसकी स्थिरता और उच्चति होने के जितने कारण हैं उन सबों में खेती सुख्य है। मेट्रिटेन के संयुक्त राज्य में, सन १८८८ में प्रति दस हजार मनुष्यों के पीछे खेती करने वाले ७११ मनुष्य थे, और सन १९०१ में यह सख्या घटकर ४९५ रह गई अर्थात् प्रति सैकड़ा १३ के हिसाब से कभी हुई नहीं। परंतु जर्मनी में सन १८८२ में प्रति दस हजार में १७८३ मनुष्य कृषक थे और सन १८९५ में यह सख्या घट कर १५५४ रह गई अर्थात् प्रति सैकड़ा १३ की कमी हुई नहीं। सन १८९५ की मनुष्यगणना से पोया जाता है कि पाँच करोड़ बीस लाख मनुष्यों में से एक करोड़ अस्सी लाख लोग खेती और बाग वगीचे पर उद्दर निर्वाह करते थे और यदि जगह भी इसमें शामिल कर लिए जाय तो यह सख्या पाँच लाख और बढ़ जायेगी। अब आज क्लर्क दिनों से खेती की ओर कुछ कम

सहानुभूति विस्तारि पढ़ेती है। समव है इसका दोष कदाचित् कि उन्होंने कें ही मर्त्ये मँडा जायेन्। अपनी ओवियकताओं को जान कर, उनकी पूर्ति के लिये लोकमत जाग्रत करने का प्रयत्न व्यवसाय करनेवाले लोग घरावर करते हैं। परन्तु इसके विपरीत राष्ट्रीय और प्रातिक पार्लियामेंट में कृषकों की ओर के समाचर इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि प्रिंस विस्मार्क ने जो राज्यव्यवस्था की नींव डाली थी, उसका प्रचार किया जाय। प्रिंस विस्मार्क के समय में उद्योग युग का आरम्भ नहीं हुआ था इस लिये जितना खेती का प्रसार किया जा सके उतना किया जाय, यह उनका मत था। परन्तु गत तीस वर्षों में कितना सांपत्तिक सुधार हुआ है, इस महत्व की बात को ये समाचर गण ध्यान में नहीं लाते। इस कारण वर्तमान समय में भी प्राचीन काल के समान ही बने रहने का आश्रह करना अज्ञानमूलक है, इसमें संदेह नहीं है।

जर्मनी की वर्तमान दशा को देख कर, उसके विशिष्ट लक्षण क्यों हैं और वे किस बात पर अवलम्बित हैं इसकी खोज किए विना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनेवाले इन दानों पक्षों के विवाद का निर्णय करते नहीं बनता, अतएव उसकी भी मांसांकरना परमावश्यक है।

खेती पर उदरे निर्वाह करनेवालों की संख्या दिनों दिन कम होती जाती है। ऐसी दशा में, खेती को सुधार करने का जो प्रात प्रयत्न कर रहे हैं उनकी अवस्था बही है जो असाध्य रोगी की अवधीपचार करने से होती है, बहुत से छांगों की एकी राय है, ये रंतु यह उनकी मृत है, क्योंकि

जर्मनी में, खेती की, ऐसी बुरी दशा नहीं हो गई है, जैविक लोग, अनुमान करते हैं। जर्मनी के जर्मनीदार वहूधा यह योनि रोया करते हैं कि इमारा, उद्योग नष्ट हो रहा है, हमारी जीविका रसातल को चली जा रही है, परतु इस तरोने, धोने में सेवा की अपेक्षा, हाथ हाय, ही बहुत है, क्योंकि उत्तरी और पूर्वी जर्मनी के बड़े बड़े प्रातों में फसल, पैदा करने, योग्य अधिक जमीन मौजूद है इसलिये खेती करने के अधिक धन, पैदा करनेवाले जर्मनीदार यदि, तो उन्हें अब भी बहाँ इस काम में सफलता प्राप्त करने की बहुत कुछ गुजाइश है, और जो लोग छोटे पैमाने पर खेती करते हैं, उनके लिये तो सारे देश भर में बहुत कुछ सहलियत मौजूद है।

खेती करनेवाले लोगों में कुछ लोग, जो ऐसे हैं, जिन्हें खेती पर चिना कारण ही प्रेम है। उनको के हिताहित के विचार से देखा को सामने रख कर ते कुछ काम करते हों, यह बात नहीं है। परतु ये लोग अपने तत्त्वज्ञान के घमड में आकर यह प्रतिपादन करने लगते हैं कि शहरों की जनसुख्या, अधिक बढ़ जाने के कारण धनी वस्त्री होने से शहर के निवासियों की शक्ति काहास हो जाता है। परतु देहात की आवेहवां शहरों से हजार दर्जा अच्छी है। इसलिये राष्ट्र की शक्ति शहर के निवासियों की बनिस्थत गाँववालों पर ही बहुत कुछ भेदभावित है। परतु इस बात का जरा एक ओर, यदि कर जर्मनी के सर्व साधारण लोगों के स्वभाव की यदि परीक्षा की जाय तो उनमें एक सरकार का गवारपन पाया जायेगा। इसी स्वभाव के भनुरुप नाटक, कान्ति, इपक्योस-

भाविमें अनेक स्थलों पर इन कृषकों और इनके जीवने क्रम की स्तुति के स्तोत्र, उसी देश के रूप इन्हीं कवियों और लेखकों द्वारा लिखे हुए प्रथम में पाए जायेगे। कृषि कार्य मनुष्य की प्राकृतिक सुख का इच्छापूर्वक अनुभव प्राप्त होता है। इसी कारण ऐसे मनुष्य शरीर से हृष्पुष्ट, स्वभाव से दृढ़ और निश्चयी, व्यवहार में सही, राष्ट्र द्वितीय के लिये तत्पर, नीतिमत्ता में अप्रेर्ण और धर्म पर अद्वा रखनेवाले होते हैं। इस प्रकार का वर्णन फरनेवाले कितने ही कवि और प्रथकार वहां पाए जाते हैं।

जिन लोगों की मन की भावना का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, उन पर वाद विवाद करने की किसी की इच्छा नहीं है अर्थात् उन विचारों और उन विचारों नुस्खा उनके हाथ से होनेवाले कार्य की भी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल इतना कहना ही काफी है कि वे मंथकारत गग जो यह कहते हैं कि नगर वासियों की द्वादश खराब है, सब बात नहीं कहते। जिस प्रकार प्रत्येक समाज सुधारक कुछ आधार न होते, हुए भी केवल हित सबथ जथवा आस्था दिखाने के लिये, तोनोट धोता मर्चाते हैं, उसी प्रकार गुगर वासियों की सामाजिक अवनंति के विषय में भी लोगों कुछ न कुछ कहा फरते हैं। परंतु यथार्थ में अप्रतक्ष जीर्णी में इनकी हीन दशा गत ही हुई है। अंत्रोफेसर शोरिंग कृषिके बहुत बड़े अभिमानी प्रश्न हैं, उन्होंने कुछ दिन पिछले एक ऐसा सिद्धात किया था यह कि सर्वा में भरती होने के लिये, जितने भरती रमी कृषिजीवी मिलते हैं, उनके

एक विद्वाई भी बाणिज्य-व्यवसाय करनेवालों में से जो शहर के निवासी हैं, उन्होंने के लिये नहीं मिलते। यह सिद्धांत सच है या क्षण, इस के विषय में अतेक वर्षों तक किसी ने जाँच नहीं की। बहुत वर्षों तक लोग इस सिद्धांत को सच ही समझते रहे परन्तु सन् १८९५ में व्यवरियन सरकार ने भिन्न भिन्न स्थानों से इस वात की जाँच करने के लिये नकशे तैयार कर के सँगवाए तो उनसे, मालूम हुआ कि प्रोफेसर साहब का सिद्धांत यथार्थ में कितना ठीक नहीं और उसी समय से इस सिद्धांत की कलई लोगों के सामने खुल गई।

अब यह कलई लोग सैनिक काम में, कदाचित् प्रवीण न होते हैं तो भी इस विचार को एक और रख कर कृषि की दृश्य सुधारने के लिये और खास कर स्वतंत्रतापूर्वक जीविका निर्वाह करनेवाले लाखों किसानों की रक्षा कर के थोड़ी खेती करने की ओर उनका मन लगाने के उद्देश्य से सरकार का प्रयत्न करना उसका कर्तव्य है और ऐसा करने के लिये अनेक कारण भी मौजूद हैं। कृषि का सुधार करने से शहरों के कारेखानों में काम करने के लिये लोग नहीं मिलते अथवा जिन्हें शहरों में रहने के लिये आराम का घर नहीं मिलता, वे खेती में जाते हैं; यहाँ कभी नहीं होता। परंतु हाँ, जो गाँधों को छोड़ कर छले गए हैं अथवा जिन्हें शहरों की चटक मटक और पेश आराम का व्यवसन नहीं दिया है, उन्हें अपने अपने गाँधों में वापस जाकर खेती में समेहरन करने की ओर आया है विलाना जिससे वे पुन जा कर खेती के काम में परिव्रक्ष करने लगे, खेती के सुधार का मुख्य

उपाय है, और इसी प्रकार जमीन जोतने और बीजारोपण की वर्तमान प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। इनके बिना कृषि से राष्ट्र के लोगों का उपयोग होना समव नहीं है। यह सुधार धीरे धीरे हो तो भी काम चलेगा। परतु इस काम में आज पद पद पर जो कठिनाई उपस्थित हो रही है वह इस काम के लिये अच्छे आदमियों का न मिलना है। इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न पहले होना चाहिए। सदाहरण के तौर पर देखिए गरमी के दिनों में (Summer) फसल काटने का वक्त आने पर पूर्वी सरहद पर लाखों विदेशी लोग जर्मनी में आते हैं और फसल काट कर रोजी कमाते हैं। परतु स्वयं जर्मनी में जर्मन लोग खेती के देश के छोड़ कर जिन प्रातों में व्यवसाय वाणिज्य का काम होता है अथवा जहां आसानी से अधिक लाभ होने की आशा होती है वहां अपना घर बार लाग कर अवश्य चले जाते हैं। उनके इस काम से कृषि को कितनी हानि पहुँचती है, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है।

सन् १८८३ से सन् १९०० तक कृषि विभाग ने जो अक प्रकाशित किए हैं, उनको देखने से यह मालूम होता है कि उपर्युक्त हानि उठा कर भी खेती, बाग बगीचों, कल्प फूल तर कारियों, जगलों और घरागाहों की आमदनी थोड़ी ही क्यों न हो पर बराबर बढ़ती हुई मालूम पड़ेगी, और उससे यह बात स्पष्ट भान में आ जायगी कि देश के देश में ही लोगों को खेती द्वारा भिन्न प्रकार से कितना लाभ होता है।

देश में सत्पन्न होनेवाले अनाज से जितना काम बढ़ना चाहिए उतना नहीं चलता । लोकसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और लोगों के रहन सहन में भी पहले की अपेक्षा अब बहुत सुधार हुआ है । इस कारण उत्तम जाति का गेहूँ विदेश से देश में बहुत आने लगा है । गत आठ वर्षों से अनाज की आमद बहुत बढ़ गई है । परतु तो भी जिस अनाज से गरीबों का निर्वाह होता है वह अब पहले की अपेक्षा अधिक पैदा होने लगा है । गरीबों के भोजन के लिये जर्मनी में जो अनाज पैदा होता है उसका नाम 'राइ' (Rye) और हल्के दर्जे का गेहूँ है । इनकी पैदावार काफी होती है । जिस हिसाब से अनाज अधिक पैदा होने लगा है उसी हिसाब से चराऊ जगलों का उपयोग भी कृषि काम के लिये-अधिकता से होने लगा है । जिन-मालिकों के पास बहुत सी जमीन है वे नई शास्त्रीय पद्धति से उसमें खेती करते हैं परतु उन्हें अभी बहुत सी नई नई वारें सीखने की आवश्यकता है । खेती के काम में मजदूरी बढ़ती जा रही है इस कारण बहुत से स्थानों में यथों की सहायता से काम होने लगा है । भाफ की शक्ति से चलनेवाले दो दो एजनों के हल बहुत से किसानों ने खरीदे हैं । इन हलों की सहायता से रोज साढ़े घारह एकड़ भूमि जोती जा सकती है । पोटाश नामक द्रव्य का भी बतौर खाद के बहुत से लोग प्रयोग करने लगे हैं । इन सब कारणों से अब खेती की पैदावार पहले की अपेक्षा बढ़ती जा रही है । कृषि के विकास का वर्णन यहीं पूरा नहीं होता । शराब

बनाने योग्य पदार्थों अथवा अन्य प्रकार के फलों के लागें, विश्वर शराब जिन फूलों में बनाते हैं उन फूलों की धेल "हॉप" (Hop), आलू तथा अन्य प्रकार के अमाजों से, शराब बनाने के कारणाने और "ब्रीट" नामक मृक्षा की जड़ से शक्ति तैयार करने के कारणानों की ओर दखा जाय तो इनसे भी लाभ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा । इससे यह बात ध्यान में आ जाती है कि कृषि की उन्नति के स्वयंग का कार्य कहा तक सफलतापूर्वक हो रहा है, और इसी के साथ यह भी मालूम हो जाता है कि आज जो सरक्षक कर लगा हुआ है वह वैसा ही बना रहे, यह जो लोगों का कहना है, वह किस उद्देश्य से है, इसका भी दिग्दर्शन हो जाता है । आनेवाले माल पर कर लगाने का उद्देश्य निश्चित करते समय, उन्नीसवीं शताब्दी के अतिम तीस वर्षों में खेती की उपज का विशेष विचार क्या किया गया, यह बात जानन योग्य है । सन १८५१ तक और उसके कुछ दिनों बाद भी खेती के कामे में इतनी अधिक उन्नति थी कि किसानों के लाभार्थ सरक्षक कर यदि नियत किया जाता भी था तो भी वह नाम मात्र का होता था । इस कर लगाने की आवश्यकता नहीं थी यह चांत सन् १८६५ में ध्यान में आई और उसी समय से वह कर लठा दिया गया । अपने देश में अपना कोई प्रतिस्पर्धा नहो, ये विचार उस समय किसान लोगों के ध्यान में बिछकुल न आते थे, क्योंकि उस समय जब उन्हें जरूरत होती वे अपने माल को बाहर ले जा कर सचित मूल्य पर बेच आ सकते थे । देश में अच्छी फसल

न पैदा होने पर भी गेहूं और राइ वहुतायत से इंग्लैंड को रखाना होता था । वर्षा कम होने पर भी जर्मन लोग इस अनाज को पसद न करने के कारण अपना उदर निर्वाह मका पर करते थे, इस कारण देश में पढ़े हुए अनाज को इंग्लैंड में अधिक मूल्य पर बेचने में सरलता होती थी ।

अब यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न हो सकता है कि फ्रास के साथ युद्ध का अत होने पर स्थोग धर्घों की जैसी उन्नति हुई वैसी कृषि की हुई अथवा नहीं ? इसका उत्तर यही है कि “हा, कुछ समय के लिये कृषि की खुब उन्नति हुई” परन्तु वह कहा तक पहुँची ? “अनाज की कीमत जहा तक बढ़ सकती थी वहा तक !” परन्तु यह कीमत बहुत दिनों तक न टिक सकी । हा, इससे इतना लाभ अवश्य हुआ कि थोड़े समय में ही अधिक मूल्य पर जमीन बेचकर अपना मूलधन बढ़ाने की प्रकृति लोगों में बढ़ गई । अनाजे का भाव ऐसा ही चढ़ा रहेगा इस विचार से प्राहकों की भी कमी न थी । बहुतों ने तो धन कर्ज लेकर जमीन मोल ली । परन्तु शीघ्र ही जमीन का दाम धीरे धीरे उतरने लगा । अत मे भाव इतना गिर गया कि लोगों में अपना कर्ज अदा करने की चिंता उत्पन्न होगई और जिन्होंने अधिक जमीन मोल ली थी उन्हें इस व्यवसाय में अधिक चिंता उत्पन्न हुई । इसीमें और एक नया विद्वन उपस्थित हुआ । खेती का काम करनेवाले मजदूर लोग अधिक मजदूरी मांगने लगे, क्योंकि खेती का काम करनेवाले बहुत से मजदूर शहरों में जाकर कले कारखानों में काम करने लगे थे । इसके अतिरिक्त नवीन युग का आरभ होने से पेट

भरने के लिये पहले समय की अपेक्षा अब अधिक भन में जरूरत पड़ने लगी । जो लोग अपना घर न छोड़कर गाव में ही बने रहे उनमें एक प्रकार की असंतुष्टता उत्पन्न हो गई । अनाज की पैदावार के काम में इतनी ही रुकावटें न पड़ीं बाल्कि अब तक जो अनाज केवल रुस से आता था वह अमेरिका और अर्जेटाइन से भी आने लगा । इस कारण “राइ” नामक अनाज का भाव अब बहुत गिर गया । इन सब बातों का यह परिणाम हुआ कि किसी को भी राइ की फसल बोने में लाभ नहीं हुआ । तब सन् १८७५ के आरम्भ में सरकार कर लगाने का आदोलन आरम्भ हुआ । प्रिंस विस्मार्क ने पहले तो इस और ध्यान नहीं दिया परतु सन् १८७९ में इस आदोलन की ओर लोगों ने उनका मन आकर्षित कर ही दिया और उन्होंने एक हाईट्रेट गेहूं अथवा राइ पर ६ पैस सरकार कर लगा दिया ।

उस समय तक देश में पैदा हुआ अनाज ही जर्मन लोगों का पेट भरता था, इतना ही नहीं वरन् आवश्यकता पड़न पर विदेश भी अनाज भेजा जाता था । परतु यह अवस्था बहुत जल्द बदल गई । सचर के साल में व्यवसाय वाणिज्य का आरम्भ होकर सारे राष्ट्र भर में उसका जाल फैल गया । व्यवसाय वाणिज्य की बढ़ती के साथ ही शहरों में रहनेवाले अमजीवियों की स्रूख्या भी बेतहाशा बढ़ने लगी और इन लोगों को अपनी पेटपूजा के निमित्त अधिक अनाज की आवश्यकता होने लगी और इसके लिये उनके पास काफी धन भी मौजूद था । कृषि प्रधान प्रातों से लोग खेती का काम छोड़ छोड़ कर शहरों में व्यवसाय सवधी कामों में

अपने को लगाकर सेती की अपेक्षा अधिक घन पैदा करने लगे। "इस कारण" कृषि में मजदूरी का भाव उन प्रातों से जहां संदाचे ही बहुत कम था वहां भी खूब बढ़ गया।

सन् १८७० तक जर्मन लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिजिल, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के स्वदेश में काम न मिलने के कारण अपना पेट भरने के लिये जाते थे। परतु इसके पश्चात् अपना देश छोड़ कर विदेश जाने की आवश्यकता ही उन्हें न रही। भिन्न भिन्न प्रकार की खानों, कल कारखानों, कलाभवनों में जितने मजदूर हो, उतनों को काम मिलने लगा। परतु इतने से ही मालिकों की लृप्ति नहीं हुई। "और भी मजदूर चाहिए" ऐसा वे लोग पुकार पुकार कर कहने लगे। सन् १८९० में तो नौबत यहां तक पहुँची कि "अपना देश छोड़ कर विदेश जाने की कोई भी इच्छा न करता।" कृष्ण लोग जाते अवश्य थे परतु उनकी सख्ता दिनों दिन कम होती गई और अब तो बहुत ही थोड़े लोग विदेश जाते हैं।

इतना होने पर भी पश्चीम क्यों बीस वर्ष पहले ही कृषि और व्यवसाय में आनेवाले विरोध का कोई चिह्न भी दिखाई नहीं पड़ा था। पीछे जिस छोटे से कर लगाने का उल्लेख हुआ है उसके लगाने से भी अनाज के भाव में कुछ बहुत सी अतर नहीं पड़ा। कारखाने के मालिकों को पहले के समान ही, जितने मजदूर चाहिए उन्हें मिल जाते थे। उन्हें मजदूरी अधिक देनी पड़ती थी, यह सच है, परतु आज कल जो मजदूरी बैनी पड़ती है उसकी अपेक्षा

वह बहुत कम थी। देश में राष्ट्र-व्यवस्था का काम जिस तत्व पर चलता था, उसमें भी कुछ अतर न पढ़ा था, क्योंकि इस तत्व का मुख्य भाव यह था कि जर्मनी का जो मुख्य उद्योग, व्यवसाय कृषि-कार्य है, और वह पूर्व काल से जैसा अवधित चला आ रहा है, वैसा ही भविष्यत् में सदा चला जाना चाहिए, जिससे जर्मनी और किसान सुसमझ बने रहे। मन्त्री और 'पार्लियमेंट' दोनों, इसे अपना पहला कर्तव्य समझते थे। सन् १८९५ में व्यावसायिक मनुष्य गणना का काम हुआ, उससे यह जाना जाता है कि सन् १८८२ में कृषि के ऊपर जितने लगे का जीवन निर्वाह होता था उतनों का सन् १८९५ में नहीं होता था। परतु यह कभी विशेष ध्यान देने योग्य न थी क्योंकि इसके विपरीत उन दिनों में भेड़ बकरी पालने का व्यवसाय जोरों पर था और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राष्ट्र की अतरव्यवस्था की मूँछ जड़ जो कृषि है उसकी अच्छी दशा में किसी प्रकार का धक्का नहीं लगा, तो भी व्यवसाय विभिन्न की उन्नति खूब हो रही थी। परतु इसके पश्चात् कृषि पर दोहरा बार पड़ने लगा। शहरों में कारखाने-वालों की प्रतिस्पर्धा के कारण मजदूरों का अकाल पड़ने लगा और अनाज पैदा करने का खर्च बढ़ गया। यह एक बार था। दूसरा बार अनाज के भाव में कभी थी जो बराबर उतरता ही चला गया। सन् १८८० से १८८९ तक गेहूँ और राइ के भाव की ओर यदि देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इनका भाव कितना कम हो गया था।

कृष्णों की दुर्दशा का यहाँ अत नहीं हो गया । जर्मन कारखानों में तैयार हुआ माल कसरत से विदेश जाने लगा और उसके बदले में बहुतायत के साथ अनाज विदेश से आने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि कारखानों की बढ़ती के साथ शहरों में मजदूरों की जो सख्त्या बढ़ गई थी, उसका पेट भरने के लिये बाहर ही बाहर विदेश से अनाज आकर काम निकलने लगा । कृषि-अभियानी प्रिंस विस्मार्क की जगह कौट वान काप्रिवी जर्मनी के महामन्त्री हुए । उन्होंने कानून के उद्देश्य को ही विलकुल बदल दिया । इस कारण कृषकों को और भी अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा । कृषकों की दशा अच्छी होने से राष्ट्र की दशा अपने आप अच्छी हो जाती है, यही प्रिंस विस्मार्क का सूच निश्चय था, और इसी निश्चय के अनुसार वे कानून कायदों को बनाते थे । कौट वान काप्रिवी के चासेलर होते ही सारा रग बदल गया । जर्मनी को कृषि प्रधान देश समझ कर कृषि के कल्याणार्थ कानून बनाना भूल है, संपत्ति उत्पादन के नए नए मार्ग जो अब खुल रहे हैं उनकी ओर ध्यान देना भी जरूरी है, कृषि का पालन पोषण करना जितना आवश्यक है उतना ही इन नए मार्गों के बीच में जो विप्र आते हैं उन्हें दूर करना आवश्यक है इस प्रधान मन्त्री ने अपनी यही राय स्थिर की । उनकी इस राय के अनुसार जब कानून कायदों का स्वरूप भी बदलने लगा तब व्यवसाय वाणिज्य और कृषि में तीव्र विरोध उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे यह विरोध, सबके ध्यान में आ गया ।

कृषि का सुधार करने के लिये सरकार कर किस प्रकार लगाया गया, इसका हतिहास इस पुस्तक में देने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। इसी प्रकार कर लगाने के विषय में जो अनेक वादप्रस्त ग्रन्थ थे, उनका विचार करने की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि सापत्तिक दृष्टि से जर्मन राष्ट्र की आज कल क्या दशा है केवल इसी बात का स्थूल दृष्टि से इस जगह विचार करना है। तथापि इस विषय में दो प्रश्न ऐसे हैं कि जिनपर थोड़ा बहुत विचार करने से पाठकों के ध्यान में और भी अनेक बातें आ जायगी। ये प्रश्न देखने में तो भिन्न भिन्न हैं परन्तु उनका स्वरूप एक ही है। वे प्रश्न ये हैं—(१) जर्मन लोग अपने आवश्यकतानुसार जर्मनी में ही अनाज पैदा कर सकते हैं या नहीं ? और (२) यह उद्देश्य आज कल के प्रचलित कानून द्वारा कितना साध्य हो सकता है ? जर्मनी में आज कल खेती नवीन पद्धति से होने लगी है, परन्तु जनसख्या बढ़ जाने के कारण और लोगों की रहन सहन जरा ऊचे सर्जनों की हो जाने के कारण जितने अनाज की लोगों को आवश्यकता है उतना अनाज लोगों को नहीं मिलता। अतएव यह दशा कैसे सुधारी जा सकती है, यह महत्व का प्रश्न जर्मन राष्ट्र के सामने है। इस प्रश्न का विचार करनेवाले लोगों में नाना प्रकार की बातें होती हैं परन्तु इस गड्ढ़ी में पाठकों को ले जाकर उनका समय नष्ट करना इम नहीं चाहते। उनके कहने का सार क्या है केवल यही हम यहा पर देना चाहते हैं। कृषि की उन्नति होकर उसकी स्थिरता कैसी होगी, इस

विषय पर जर्मनी में बहुत समय तक विचार करने की जरूरत है। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये कौन सा उत्तम उपाय है, इस काम में सरकारी मंदिर कितनी और कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस बारे में उन लोगों का बहुत कुछ मतभेद हैं। इस बात में एक मत हीना बहुत कठिन काम है। कृषि अभिमानी लोगों का कहना है कि जर्मनी के अनाज का बाजार जर्मन लोगों के ही हाथ में रहने की व्यवस्था सरकार को कर देनी चाहिए। रेडिकल पक्ष के लोगों का कथन है कि जर्मनी के बड़े बड़े दुकांओं को तोड़कर छोटे छोटे खेत बनाने की व्यवस्था जितनी सरकार कर सके उतनी उसे कर देनी चाहिए। मतभेद का यह एक उदाहरण है जो ऊपर दिया गया है। परंतु यह और इसी प्रकार के और बहुत से मतभेद हैं। जिनकी ओर ध्यान न देना ही अच्छा है, क्योंकि कृषि-व्यवसाय का मनुष्य के जीवन से निकट सबध होने के कारण उस व्यवसाय की ओर सरकार के पूरा पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिसे जो व्यवसाय रुचिकर हो उसे वही व्यवसाय करना चाहिए अब पहले समय की उदासीन वृत्ति को स्वीकार करके चलने से राम नहीं चलेगा, इस मुख्य तत्व के विषय में अब कुछ भी मत भेद नहीं है। मतभेद है तो केवल ऊपर वर्णित उपाय योजना की वाधत है। केवल राजनैतिक हृषि से विचार किया जाय तो यह कहा जायगा कि विदेशी अनाज पर अवलवित रहना जर्मन राष्ट्र के लिये बहुत धोखे का काम है। यह बात प्रत्येक जिम्मेदार राजनीतज्ञ को ध्यान में रखनी चाहिए।

प्रेट विटेन के सयुक्त राज्य ने कृषि का हास होने दिया, यह बहुत दुख बात की है। परंतु समुद्र द्वारा वाणिज्य का मार्ग खुला रखने की शक्ति इंग्लॅंड के बलशाली नौसेना विभाग में होने के कारण वहाँ के लोगों को अनाज बहुतायत से मिलता रहता है परंतु जर्मनी में यह शक्ति नहीं है और उत्तर तथा पूर्व की ओर अनाज पैदा करने योग्य उत्तम जमीन बहुत होने के कारण दश-क्ष्याण के चक्रेश से इस ओर सरकार के ध्यान के विशेष रूप से जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, यह बात विलक्ष्य निर्विवाद है। यह बात कटूर सरक्षण नीतिवालों को जितनी स्वीकार है उतनी ही कॉट वान क्षमियों को स्वीकार है। पुरुष क च्यवसाय वाणिज्य का पूर्णभिगानी होने के कारण, च्यवसाय वाणिज्य ही राष्ट्र का मुख्य जीवन है, यह उसका एक निश्चय था। परंतु तो भी मजदूरों को सस्ता अनाज मिलना चाहिए—यह बात उसको स्वीकार यी और इसी कारण ऊपर जो कहा गया उसके अनुकूल उसने अपना मत बना लिया था। सन् १८९१ में राइश्टाग में उन्होंने एक बार यह कहा था—“दूसरे राष्ट्रों के साथ युद्ध करने का प्रस्तर यदि जर्मनी को आया तो उस समय अनाज के लिये बाहरी लोगों का मुँह ताकना न पड़े, इस कारण स्वदेश में ही खेती का जितना सुधार किया जा सके उतना करने का यत्न करना चाहिए। भविष्यत् में होनेवाले युद्ध में सेना अथवा अन्य लोगों के काम में आने योग्य अनाज देश में पैदा किया जो सकता है अथवा नहीं, इस बात पर ही जय पराजय का निर्णय होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास”

वर्तमान विषय के इस प्रश्न पर ही सरक्षण कर के पक्ष-पातियों का यह मत है। व्यवसाय वाणिज्य की उन्नति के साथ साथ देश में अनाज सप्रह की भी वृद्धि होनी चाहिए। अनाज के लिये पराबलधी बनना हानिकारक है। एक देश से दूसरे देश में जानेवाले माल का बदला धन से न होकर माल के रूप में होता है और जर्मनी सरीखे देश-में यह बदला खास करके कभी माल और अनाज के रूप में जाना अनिवार्य है। इस पद्धति से जर्मन माल का क्रय विक्रय तभी तक चल सकता है जब तक जल मार्ग संघ राष्ट्रों के व्यापार के लिये खुला है—साराश, जब तक युद्ध का प्रसार नहीं आया, तब तक जर्मनी की गाड़ी अच्छी तरह चली जायगी परन्तु युद्ध आरभ होते ही यह दशा बदल जायगी। सरक्षण नीति के पक्षपातियों का यह भी कहना है कि स्वदेशी कारखानों को स्वदेश के बाजार में ही प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। इसीके साथ स्वदेश में अनाज इतना पैदा होना चाहिए कि विदेश से अनाज आने के बदले उन देशों में जर्मनी अपने यहां से अनाज भेज सके। और राष्ट्रों में बदला फरने के लिये जितना माल भेजने की आवश्यकता हो उतना ही भजना चाहिए, अधिक नहीं। सरक्षण पक्षवालों का यह कथन व्यावहारिक दृष्टि से ही निरूपयोगी नहीं है बरन कृषकों को भी उनका यह सिद्धात स्वीकार नहीं है। स्वत का सरक्षण करने के लिये विदेशी अनाज पर कर बैठाना, इतनी बात उनकी स्वीकार करने योग्य है। परन्तु विदेश में अनाज भेज कर यदि वहा अच्छा दाम मिलता हो

तो भी वहाँ न बेचेना, यह बात न्यायसमग्र नहीं है । वर्त्तमान इपीरियल चासलर बान ब्यूलो को यह बात पस्त है । उन्होंने सन् १९०६ से विदेश में आनेवाले अनाज पर सरक्षक कर तो लगा दिया है परतु स्वदेश से विदेश जानेवाले अनाज के लिये किसी प्रकार का नियम नहीं बनाया । कृषि की रक्षा के लिये उन्होंने जैसा सरक्षण कर लगाया है उसी प्रकार व्यवसाय वाणिज्य की रक्षा के लिये सरक्षक कर कायम रखा है । इस प्रकार दोनों का हित साधन करने की ओर उन्होंने अपना ध्यान रखा, और बहुत करके उनका यह कार्य उचित हुआ है, क्योंकि व्यवसाय वाणिज्य के समान ही कृषि की रक्षा करनी चाहिए । यदि व्यवसाय वाणिज्य की रक्षा न की जाय तो खेती भी करने की ज़रूरत नहीं है । इस प्रकार ये दोनों बाँहें एक दूसरे पर अबलम्बित हैं । अनाज का दाम सरक्षण नीति द्वारा कर लगान से पड़ता है अर्थात् माहकों पर उमस्का बोझा पड़ता है और बोझा भव में कारखानेवालों पर जाफर पड़ता है क्योंकि उन्हें अधिक मजदूरी देना पड़ती है । अज कल कुछ व्यवसाय ऐसे हैं कि यदि अनाज पर का सरक्षक कर उठा दिया जाय और विदेश में जितना जा सके उतना अनाज जाने दिया जाय तो उनके लिये सरक्षक कर की आवश्यकता प्रतीत न होगी । परतु यह हो कैसे ? वर्त्तमान समय में अनाज के अनियन्त्रित व्यापार तत्व को काम में लाना बड़ा साहस का कार्य है । अतएव इस प्रकार कार्य करन का विचार किसी के मन में उत्पन्न हो नहीं सकता ।

इसीके साथ व्यवसाय-बाणिज्यवालों की कृषि के विरुद्ध सदा यह तकरार रहती है, कि “कुछ तुमको और कुछ मुझ को” इस तत्व पर जर्मांदार लोग कभी तैयार नहीं होते। सरकार जो कानून - कायदे बनाके उनमें अपना जितना लाभ हो उतना अच्छा और फिर यदि दूसरों को कुछ लाभ पहुँच जाय तो कुछ हानि नहीं, उनका सदा यह ध्यान बना रहता है। “अमेरियन लीग” के समान सम्प्रदाय का काम जैसे चलता है, यदि यह बात देखी जाय तो उपरोक्त कथन में कितनी सचाई है, यह बात ध्यान में सहज ही आ सकती है। उस सम्प्रदाय का यह उद्देश्य स्पष्ट है कि कृषि के व्यवसाय बाणिज्य की ओर जर्मनी में जो प्रवाह वह रहा है उसे किसी न किसी उपाय से प्रत्येक स्थान से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस काम में “कंसरवेटिव” पक्ष के लोगों के अनुकूल होने के कारण, राजनीतिक दृष्टि से भी “लीग” को बहुत महत्व प्राप्त हो गया है। इन सब कारणों से दुलारे लड़के फा हठ बाप जैस पूरा करता है इसी प्रकार सरकार भी इन लोगों का हठ पूरा करने को तैयार रहती है।

